इग्नू
जन-जन का
विश्वविद्यालय

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
प्रबंध अध्ययन विद्यापीठ

BCOC-135

कम्पनी विधि

खंड

1

कम्पनी और उसका गठन

इकाई 1

कम्पनियों की प्रकृति और प्रकार 5

इकाई 2

सार्वजनिक तथा निजी कम्पनी 45

इकाई 3

प्रवर्तक 55

इकाई 4

कम्पनी का गठन 71

इकाई 5

कम्पनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्राधिकरण 87

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

कार्यक्रम डिजाइन समिति – बी. कॉम (सी.बी.सी.एस)

प्रो. मधु त्यागी
निदेशक, प्रबंध अध्ययन विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. आर.पी. हुडा
पूर्व कुलपति, एम.डी.
विश्वविद्यालय, रोहतक

प्रो. बी. आर. अनंथन
रानी चेन्नमा विश्वविद्यालय,
बेलगाँव, कर्नाटक

प्रो. आई. वी. त्रिवेदी
पूर्व कुलपति, एम.एल. सुखादिया
विश्वविद्यालय, उदयपुर

प्रो. पुरुषोत्तम राव (सेवानिवृत)
डिपाटमेंट ऑफ कामर्स
उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद

प्रो. डी.पी.एस. वर्मा (सेवानि.)
डिपार्टमेंट ऑफ कामर्स
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्रो. के.वी. भानुमूर्ति (सेवानि.)
डिपार्टमेंट ऑफ कामर्स दिल्ली
विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्रो. कविता शर्मा
डिपार्टमेंट ऑफ कामर्स
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्रो. खुर्शीद अहमद बट
डीन, वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय,
कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर

प्रो. डेवब्रत्ता मित्रा
डिपार्टमेंट ऑफ कामर्स
उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय,
डार्जिलिंग

प्रो. आर. के. ग्रोवर (सेवानि.)
प्रबंध अध्ययन विद्यापीठ, इग्नू

संकाय सदस्य
प्रबंध अध्ययन विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली
प्रो. एन.वी. नरसिम्हम
प्रो. नवल किशोर
प्रो. एम.एस.एस. राजू
प्रो. सुनील कुमार
डॉ. सुबोध केशवानी
डॉ. रशमी बंसल
डॉ. मधुलिका पी. सरकार
डॉ. अनुप्रिया पाण्डेय

पाठ्यक्रम डिजाइन समिति

प्रो. मधु त्यागी
निदेशक, प्रबंध अध्ययन विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. जी.के. कपूर
आई. एम. आई.
कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया, नई दिल्ली

डॉ. आर.पी. तुलसीयान
भगतसिंह कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली

संकाय सदस्य
प्रबंध अध्ययन विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली
प्रो. एन.वी. नरसिम्हम
प्रो. नवल किशोर
प्रो. एम.एस.एस. राजू
प्रो. सुनील कुमार
डॉ. सुबोध केशवानी
डॉ. रशमी बंसल
डॉ. मधुलिका पी. सरकार
डॉ. अनुप्रिया पाण्डेय

पाठ्यक्रय निर्माण दल

श्री विनोद प्रकाश
मोतीलाल नेहरू कॉलेज
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

डॉ. डी. डी. कौशिक
मेरठ कॉलेज, मेरठ

प्रो. जी.के. कपूर, आई.एम.आई.,
कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया,
नई दिल्ली

डॉ. सी.एल. त्यागी (सेवानिवृत)
राजधानी कॉलेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

डॉ. एस.एस. गुलशन,
कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज
नई दिल्ली

डॉ. भगवती प्रसाद,
धारवाड़ विश्वविद्यालय, धारवाड़

श्री एन. जानकीरमन,
विशेष केयर कॉलेज,
तिरूचिरापल्ली

प्रो. एस.पी. नारंग, इंस्टीट्यूट
ऑफ कम्पनी सेक्रेट्रीज ऑफ
इंडिया, नई दिल्ली

प्रो. जी.के. कपूर (संपादक)
आई.एम.आई. कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया,
नई दिल्ली

प्रो. मधु त्यागी (पाठ्यक्रम समन्वयक)
प्रबंध अध्ययन विद्यापीठ, इग्नू,
नई दिल्ली

अनुवाद
प्रो. मधु त्यागी, प्रबंध अध्ययन विद्यापीठ, इग्नू
श्री विनोद प्रकाश, मोती लाल नेहरू कॉलेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
श्री एस.एन.शर्मा, सत्यवती कॉलेज
डॉ. सी.एल. त्यागी राजधानी कॉलेज, दिल्ली
प्रो. आर.के. ग्रोवर, प्रबंध अध्ययन विद्यापीठ,
इग्नू, नई दिल्ली

सामग्री निर्माण

श्री वाई. एन. शर्मा
सहायक कुलसचिव (प्रकाशन)
एम.पी.डी.डी., इग्नू, नई दिल्ली

श्री सुधीर कुमार
अनुभाग अधिकार (प्रकाशन)
एम.पी.डी.डी., इग्नू, नई दिल्ली

नवम्बर, 2020

© इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 2020

ISBN

सर्वाधिकार सुरक्षित, इस कार्य का कोई भी अंश इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के बारे में विश्वविद्यालय कार्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्विद्यालय की ओर से कुलसचिव, सामग्री निर्माण एवं वितरण विभाग द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

लेजर टाइप सेटिंग एवं मुद्रकः ऐजूकेशनल स्टोर्स S-5 बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया, साईट–1 गाजियाबाद (उ.प्र.)–201009

खंड 1 कम्पनी और उसका गठन

व्यवसाय को चलाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता पड़ती है और अत्यंत जटिल वातावरण में कार्य करना पड़ता है। कम्पनी रूप व्यवसाय संगठन का अधिक उचित व अत्यंत लोकप्रिय व्यवसाय संगठन हो गया है। इस प्रकार के संगठन में बड़ी संख्या में व्यक्ति अपना धन लगाते हैं जिन्हें "अंशधारी" कहते हैं, जो देश व संसार के कोने–कोने से होते हैं। जो कम्पनी की कार्य चलाते हैं निवेशकर्ताओं पर दृष्टि नहीं रख सकते इसलिए उनके हितों की रक्षा के लिए, यह आवश्यक है कि सरकार कम्पनी के कार्य पर निरीक्षण व विनियमितता रखे। इसी उद्देश्य के कारण कम्पनी अधिनियम बनाया गया और बदलते वातावरण में समय समय पर इसमें संशोधन किए गए। भारत में सबसे पहला कम्पनी अधिनियम 1850 ई में पारित हुआ और उस के बाद 1857,1866,1913 और 1956 में कम्पनी अधिनियम बनें। कम्पनी अधिनियम 1956 भाभा समिति की सिफारिशों पर आधारित था। 1956 अधिनियम में भी व्यापार में बदलती आवश्यकताओं और अधिक जटिलताओं और कुशल प्रबंध के कारण 1956 अधिनियम में कई बार संशोधन किए गए। अंतिम संशोधन कम्पनी (संशोधन) अधिनियम 2006 द्वारा लागू हुए।

कम्पनी अधिनियम 2013

कम्पनी अधिनियम 1956 के स्थान पर अब कम्पनी अधिनियम 2013 लागू है, यह अधिक आधुनिक, साधारण व यथायोग्य विधान है। इस नये अधिनियम का उद्देश्य हमारे कम्पनी विधि को संसार की सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के बराबर लाना है।

2013 के अधिनियम मे एक व्यक्ति कम्पनी के साथ ही कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility), वर्ग कार्रवाई अभियोग (class action suits) व स्वतंत्र निदेशकों का निर्धारित समय जैसे विचार लागू किये हैं।

इसमें जनता से धन एकत्र करने, कम्पनी निदेशकों या मुख्य प्रबन्धकीय कर्मचारियों (key managerial personnel) द्वारा भेदिया व्यापार करने सम्बंधी कार्यों को अपराध मान कर प्रावधानों को कड़ा किया गया है। यद्यपि यह सार्वजनिक कंम्पनियों को भी शेयर धारकों के समझौतों में "पहले प्रस्ताव का" या "पहले इंकार" करने का अधिकार भी प्रदान करता है।

और इसके अनुसार कुछ कम्पनियों को पिछले तीन वर्षो के औसत शुद्ध लाभ का 2% प्रतिशत कम्पनी सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यों के लिए अलग रखना होगा व इस प्रक्रिया में अपनायी गयी नीति की अंशधारियों को जानकारी देनी होगी।

कम्पनी विधि के अंतर्गत जिन विषयों के संबंध में व्यवस्था की जाती है वे हैं कम्पनी के गठन की प्रक्रिया, उसके उद्देश्य तथा क्षेत्र, आंतरिक प्रबंध सबंधी नियम, पूंजी ढांचा, निदेशक की शक्ति और उनके कर्तव्य, कम्पनी की सभाएं, कंपनी के लेखों का रख–रखाव और उनका अंकेक्षण, कम्पनी के कामकाज के संबंध में जांच–पडताल और अनुसंधान तथा उसके समापन की विधियाँ।

इस परिचायक खंड में जिन विषयों पर चर्चा की गई है वे हैं कंम्पनियों की प्रकृति और प्रकार, निजी लिमिटेड कम्पनी की स्थिति, प्रवर्तकों की भूमिका और कम्पनी के गठन की प्रक्रिया। इसमें चार इकाइयां हैं।

कम्पनी अधिनियम 2013 में भी कई बार संशोधन किए गए हैं। यह संशोधन कम्पनी (संशोधन) अधिनियम 2015, 2017 तथा 2019 तथा दिवाला और शोधन अक्षमता कोड 2016 और वित्त अधिनियम 2017 द्वारा लागू किए गए हैं। यह संशोधन उपयुक्त स्थानों पर शामिल किए गए हैं।

इस परिचारक खंड में जिन विषयों पर चर्चा की गई है वे हैं कम्पनियों की प्रकति और प्रकार, निजी लिमिटेड कम्पनी की स्थिति, प्रवर्तको की, भूमिका, कम्पनी के गठन की प्रक्रिया तथा कम्पनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्राधिकरण। इसमें पांच इकाईयां है।

इकाई 1 में कम्पनी की प्रकृति, कम्पनी और साझेदारी के बीच अंतर और गठित की जा सकने वाली विभिन्न प्रकार की कंम्पनियों के संबंध में बताया गया है।

इकाई 2 में सार्वजनिक कम्पनी और निजी कम्पनी का अर्थ, निजी कम्पनी और सार्वजनिक कम्पनी के बीच अंतर, निजी कम्पनी के विशेषाधिकार तथा सार्वजनिक कम्पनी में इसके रुपांतरण व विपरीतयता के संबंध में बताया गया है।

इकाई 3 में प्रवर्तक की विधिक स्थिति को स्पष्ट किया गया है। इसमें उसके कार्यों, दायित्यों तथा पारिश्रामिक के संबंध में विवेचन किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि कोई प्रवर्तक जब कम्पनी की ओर से कोई प्रारंभिक अनुबंध करता है तब उसकी क्या स्थिति होती है।

इकाई 4 में कम्पनी के गठन की प्रक्रिया के संबंध में बताया गया है इस प्रक्रिया की चार अवस्थाएं होती है – (i) प्रवर्तन, (ii) आवश्यक कागजातों को फाइल करना, (iii)निगमन (पंजीयन) और (v) व्यवसाय का प्रारंभ। इस इकाई में इनका विस्तृत वर्णन दिया गया है।

इकाई 5 में कम्पनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत विभिन्न प्राधिकरणों का वर्णन किया गया है। इसमें राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, तथा राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण, विशेष न्यायालयों तथा अन्य प्राधिकारी/प्राधिकरणों की विवेचना की गयी है।

इकाई 1 कम्पनियों की प्रकृति और प्रकार

इकाई की रूपरेखा

1.0 उद्देश्य

1.1 प्रस्तावना

1.2 कम्पनी का अर्थ एवं परिभाषा

1.3 कम्पनी बनाम निगमित निकाय

1.4 क्या कम्पनी एक नागरिक है?

1.5 कम्पनी की प्रमुख विशेषताएं

1.6 निगमन का आवरण हटाना

1.6.1 अभिव्यक्त सांविधिक प्रावधानों के अन्तर्गत

1.6.2 न्यायिक व्याख्याओं के अन्तर्गत

1.7 कम्पनी और साझेदारी में भेद

1.8 कम्पनी और सीमित दायित्व साझेदारी में अन्तर

1.9 कम्पनियों के प्रकार

1.9.1 निगमन के आधार पर

1.9.2 दायित्व के आधार पर

1.9.3 नियंत्रण के आधार पर

1.10 पंजीकृत कम्पनियों के अन्य प्रकार

1.10.1 उत्पादक कम्पनी

1.10.2 एक व्यक्ति कम्पनी

1.10.3 लघु कम्पनी

1.11 संस्था जिसका उद्देश्य ''लाभ'' कमाना नहीं है (धारा–8)

1.12 अवैध संस्थाएं

1.12.1 अर्थ

1.12.2 अपवाद

1.12.3 परिणाम

1.13 सारांश

1.14 शब्दावली

1.15 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.16 स्वपरख प्रश्न

1.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप इस योग्य हो सकेंगे कि:

- कम्पनी की परिभाषा दे सकें;

- कम्पनी व निगमित निकाय में अंतर जान सकें;
- एक कम्पनी की विशेषताएं बता सकें;
- "निगमन का आवरण", की संकल्पना को स्पष्ट कर सकें;
- कम्पनी और साझेदारी में भेद कर सकें;
- कम्पनी व सीमित दायित्व साझेदारी का अन्तर बता सकें;
- विभिन्न प्रकार की कम्पनियों का वर्णन कर सकें;
- संस्था जिस का उद्देश्य लाभ नहीं होता का वर्णन कर सकें; और
- एक गैर–कानूनी संस्था का वर्णन कर सकें।

1.1 प्रस्तावना

कम्पनी अधिनियम 2013 की राष्ट्रपति की स्वीकृति 29 अगस्त को व 30 अगस्त 2013 को अधिसूचना हुई। इस में 470 धारायें व 7 अनुसूचियां हैं जबकि 1956 अधिनियम में 658 धारायें और 15 अनुसूचियां थीं। अधिनियम में कम्पनी के गठन, प्रबंध और प्रशासन तथा अधिकरण (tribunal) द्वारा समापन के विस्तार से नियम दिये गये हैं। इसमें सीमानियम, प्रविवरण की परिभाषा, अंकेक्षक की नियुक्ति, वित्तीय विवरण, लेखा मानकों व अन्वेषण (investigation) के प्रावधानों में परिवर्तन किए गये हैं। इस अधिनियम में कम्पनी (संशोधन) अधिनियम 2015, 2017 तथा 2019 द्वारा संशोधन किए गये हैं। इस इकाई में आप कम्पनी की परिभाषा, कम्पनी की विशेषताएं, साझेदारी व सीमित दायित्व साझेदारी में भेद और भारत में गठित की जाने वाली विभिन्न प्रकार की कम्पनियों का अध्ययन करेंगे।

1.2 कम्पनी का अर्थ एवं परिभाषा

कम्पनी शब्द से तात्पर्य कुछ व्यक्तियों की एक सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों के लिए बनाई गयी एक संस्था से है। वास्तव में, व्यक्तियों की विविध प्रकार के उद्देश्यों के लिए सहयोग करने की इच्छा हो सकती है। इसमें आर्थिक और गैर आर्थिक उद्देश्य दोनों हैं। परन्तु "कम्पनी" शब्द का प्रयोग केवल तब किया जाता है जब विभिन्न व्यक्ति आर्थिक उद्देश्य के लिए संगठित होते हैं अर्थात् एक व्यवसाय से लाभ अर्जित करने के लिए। **इस का अर्थ यह नहीं है कि कम्पनी का गैर आर्थिक या पूर्त (परोपकारी) उद्देश्यों (charitable purposes) के लिये गठन नहीं किया जा सकता। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अनुसार गैर लाभ वाली संस्थायें कम्पनी बन सकती हैं।**

साझेदारी फर्में प्रायः अपने को A,B,C एंड कम्पनी की तरह कहती हैं। लेकिन ऐसा नाम देने से फर्म विधिक रूप में कम्पनी नहीं बन जाती है, यह नाम केवल इस बात को दर्शाता है कि इस संगठन में अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं।

विधिक शब्दावली में, एक कम्पनी का अर्थ कम्पनी अधिनियम 2013 या पहले के कम्पनी अधिनियमों में से किसी अधिनियम के अन्तर्गत निगमित या पंजीकृत कम्पनी है। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(20) के अनुसार कम्पनी का अर्थ है, **इस अधिनियम के अन्तर्गत संगठित और पंजीकृत की गयी कम्पनी या किसी पहले अधिनियम के अन्तर्गत।** लेकिन यह परिभाषा एक सम्पूर्ण परिभाषा नहीं है क्योंकि इससे एक कम्पनी का अर्थ एवं विशेषताएं पता नहीं चलती। इस कारण हमें प्रसिद्ध न्यायधीशों द्वारा दी गयी कम्पनी की परिभाषा देखनी होगी।

लार्ड जस्टिस लिंडले ने एक कम्पनी की परिभाषा इन शब्दों में की है: "कम्पनी से अभिप्राय उन अनेक व्यक्तियों की संस्था से होता है जो किसी सामान्य स्टॉक (common stock) में अपना धन या उसके मूल्य की वस्तु लगाते हैं और उसका प्रयोग वे किसी व्यापार या व्यवसाय में करते हैं तथा उससे होने वाले लाभ या हानि (जैसे भी स्थिति हो) को आपस में बाँट लेते हैं। इस प्रकार बनाया गया सामान्य स्टॉक धन के रुप में होता है और इसे कम्पनी की पूँजी कहा जाता है। जो लोग इसमें धन लगाते है और जो इसके स्वामी होते है उन्हें सदस्य कहा जाता है। प्रत्येक सदस्य जिस अनुपात में इस पूँजी का स्वामी होता है उसे उसका शेयर कहा जाता है। शेयर सदा ही हस्तांतरणीय होते हैं, यद्यपि हस्तांतरणीयता के संबंध में कुछ न कुछ प्रतिबंध भी लगे होते हैं।"

एक अन्य परिभाषा **चीफ जस्टिस मार्शल** ने दी है। उनके अनुसार "कम्पनी वह व्यक्ति है जो कृत्रिम, अदृश्य और अमूर्त होती है तथा जो केवल कानून की नजर में ही विद्यमान होती है। कानून द्वारा सर्जित होने के नाते इसमें केवल वे ही विशेषताएं होती है जिसें इसे बनाने वाला चार्टर इसको देता है, स्पष्ट रूप से या इसके अस्तित्व के संदर्भ में।"

लार्ड हैने (Lord Haney) के अनुसार "कम्पनी एक निगमित संस्था है जो कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका अपना अलग अस्तित्व होता है और जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सार्वमुद्रा (common seal) होती है।

ऊपर दी गयी परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि कम्पनी का एक सामुहिक व विधिक व्यक्ति होता है। यह एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका केवल विधिक अस्तित्व होता है। इसका एक स्वतंत्र विधिक आस्तित्व, एक सार्वमुद्रा और शाश्वत उत्तराधिकार होता है।

1.3 कम्पनी बनाम निगमित निकाय

निगमित निकाय का अर्थ व्यक्तियों की एक संस्था से है जिसका किसी विधि के अन्तर्गत निगमन हुआ है जिसका शाश्वत उत्तराधिकार, सार्वमुद्रा और अपने सदस्यों से पृथक विधिक अस्तित्व है।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(11) के अनुसार निगमित निकाय की परिभाषा इस प्रकार है:

"निगमित निकाय या "निगम" के अंतर्गत भारत के बाहर निगमित कोई भी कम्पनी है, किन्तु इस के अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं हैं –

(i) सहकारी सोसाइटियों से संबधित किसी विधि के अधीन पंजीकृत कोई सहकारी सोसाइटी, और

(ii) ऐसी कोई अन्य निगमित निकाय (जो इस अधिनियम में यथा परिभाषित कम्पनी नहीं है) जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट किया जाए।

निगमित निकाय दो प्रकार के हो सकते हैं:

(i) एकक निगम (corporation sole)

(ii) सामूहिक निगम (corporation aggregate)

एकक निगम एक निगमित निकाय है जो एक व्यक्ति से गठित है जो, किसी कार्यालय या कार्य के अधिकार के कारण, निगमित पद रखता हैं। एकक निगम के उदाहरण

शाश्वत कार्यालयों में मिलते हैं जैसे राष्ट्रपति, गर्वनर, राज्यपद, मंत्री और पब्लिक ट्रस्टी। एकक निगम कम्पनी अधिनियम 2013 के अर्न्तगत निगमित निकाय नहीं है। फिर भी यह कानूनी व्यक्ति है। इस नाते वह किसी कंपनी का सदस्य हो सकती है। स्टार टाईल वर्क्स लिमिटेड बनाम एन गोविन्दन **[Star Tile works Ltd v. N Govindan (1956)]।**

"निगम समूह" व्यक्तियों का एक समूह है जो आपस में जुड़े हैं, ताकि वे "एक व्यक्ति" का रूप लें जैसे लिमिटेड कम्पनी, व्यापार संघ।

यहां पर यह ध्यान देना रोचक होगा कि भारत के बाहर पंजीकृत हुई कम्पनी को "निगमित निकाय" की परिभाषा में शामिल करने से उस कम्पनी पर कम्पनी अधिनियम 2013 के काफी प्रावधान लागू होते हैं। जैसे धारा 380 के अनुसार विदेशी कम्पनियों को भारत में व्यापार करने के लिए रजिस्ट्रार को कुछ दस्तावेज भेजने होंगे। 'निगम' या 'निगमित' निकाय शब्द कम्पनी शब्द से व्यापक है। यहां पर जैसा कि ऊपर लिखा है कि कम्पनी से अर्थ निगम समुह से है।

1.4 क्या कम्पनी एक नागरिक है?

यद्यपि कम्पनी एक कानूनी व्यक्ति (परन्तु कृत्रिम) है, फिर भी भारतीय संविधान या नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत कम्पनी एक नागरिक नहीं है, **हैवी इन्जीनियरिंग मजदूर यूनियन बनाम स्टेट ऑफ बिहार (1969) (Heavy Engineering Mazdoor Union vs Sate of Bihar (1969)। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बनाम सी.टी.ओ. 1963 (State Trading Corporation Ltd vs. CTO (1963))** में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि निगम जिसमें कम्पनी शामिल है उसे भारतीय संविधान के अन्दर नागरिक का दर्जा नहीं दिया जा सकता। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को मिले हैं कम्पनी को नहीं मिलते। फिर भी यह चाहे नागरिक है या नहीं उन मौलिक अधिकारों का संरक्षण मांग सकती है जो सब व्यक्तियों को मिलते हैं जैसे कि संपत्ति पर स्वामित्व अधिकार।

Narasarsopeta Electronic Corporation LTD v State of Madras (1951) के वाद में उच्च न्यायालय ने कहा कि कम्पनी जिस का भारतीय कम्पनी अधिनियम के अर्न्तगत निगमन हुआ है यदि वह संविधान की धारा 5 में "नागरिक" की परिभाषा की शर्तें पूरी नहीं करती अतः नागरिक नहीं है।

कोई कम्पनी मौलिक अधिकारों की इस आधार पर मांग नहीं सकती कि यह नागरिकों का समूह है। जब कम्पनी या निगम का गठन होता है, कम्पनी या निगम का व्यापार नागरिकों का व्यापार नहीं होता बल्कि उस कम्पनी या निगम का होता है जो निगमित हुई है और निगमित संस्था के अधिकार उस आधार पर देखने चाहिये, इस धारणा पर नहीं आंकना चाहिए कि वह अधिकार एक व्यक्तिगत नागरिक का है – उच्चतम न्यायालय **Telco Ltd vs State of Bihar (1964)** के वाद में।

यद्दपि कम्पनी नागरिक नहीं है फिर भी उसके पास राष्ट्रीयता, अधिवास (docmicle) व निवास स्थान है। उस देश और स्थान पर जहां इसका निगमन हुआ है वह उसकी निवासी व नागरिक (resident and national) है।

1.5 कम्पनी की प्रमुख विशेषताएं

"कम्पनी" शब्द की विभिन्न विधिक व न्यायिक परिभाषाओं का विश्लेषण यह दर्शाता है कि कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित व पंजीकृत कम्पनी की कुछ ऐसी खास विशेषताएं हैं जिनके कारण यह संगठनों के अन्य रूपों से भिन्न है। कम्पनी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

1) **कानून द्वारा निर्मित (Creation of Law):** कम्पनी ऐसे व्यक्तियों की संस्था है। (केवल एक व्यक्ति कम्पनी छोड़कर) जो अस्तित्व में तभी आती है जब इसका पंजीकरण कम्पनी अधिनियम के अंर्तगत किया जाता है। निजी कम्पनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 व सार्वजनिक कम्पनी में 7 होनी चाहिये। एक व्यक्ति कम्पनी का गठन केवल एक व्यक्ति कर सकता है। (धारा 3)

(2) **कृत्रिम व्यक्ति (Artificial Person)**: विधि की स्वीकृति द्वारा कम्पनी का निर्माण होता है और वह अपने आप में मनुष्य नहीं हैं। इस कारण यह कृत्रिम है और क्योंकि इसके अपने अधिकार व दायित्व हैं, इस लिये व्यक्ति है। इसी कारण से कम्पनी एक कृत्रिम व्यक्ति है।

(3) **स्वतंत्र विधिक अस्तित्व (Separate Legal Entity):** कम्पनी उन व्यक्तियों से, जो इस के सदस्य हैं, पृथक है। साझेदारी में ऐसा नहीं है। धारा 9 के अनुसार पंजीकरण के बाद व्यक्तियों की संस्था उस नाम से जो नाम सीमानियम में दिया है एक निगमित निकाय बन जाती है। कम्पनी की वैधानिक स्थिति की भारतीय उच्चतम न्यायालय ने **टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटव कं. लि. बनाम बिहार राज्य (Tata Engingeering & Locomotive Co. Ltd vs. State of Bihar)** मुकदमें में एक अच्छी व्याख्या दी है। जो निम्नलिखित हैः

"कानून की नजर में कम्पनी एक वास्तविक व्यक्ति के समान होती है तथा इसका अपना कानूनी अस्तित्व होता है। कम्पनी का अस्तित्व उसके शेयर धारियों के अस्तित्व से बिल्कुल पृथक् होता है, इसके पास अपना नाम और अपनी मुद्रा हो सकती है, इसकी परिसंपत्तियां इसके सदस्यों की परिसम्पत्तियों से पृथक् और भिन्न हो सकती हैं, अपने कार्यों के लिए यह किसी पर मुकदमा कर सकती है और कोई इस पर मुकदमा कर सकता है।"

यद्यपि कम्पनी का भौतिक अस्तित्व नहीं होता लेकिन कानून के प्रयोजन के लिए इसे एक स्वंतत्र विधिक व्यक्ति माना जाता है जिसका अपना व्यक्तित्व होता है और जो उन सदस्यों से भिन्न होता है जिनसे वह कम्पनी बनती है। इसलिए कम्पनी अपने किसी भी सदस्य के साथ अनुबंध कर सकती है। एक व्यक्ति इसका अशंधारी (शेयरधारी) हो सकता है और लेनदार भी। एक व्यक्ति कम्पनी की सारी शेयर पूँजी का धारक होने पर भी कम्पनी के कार्यों और ऋणों के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता। कम्पनी के प्रचलन के दौरान या इसके समापन पर कोई भी सदस्य व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से कम्पनी की परिसम्पत्तियों में स्वामित्व के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। इसी प्रकार कम्पनी के लेनदार केवल कम्पनी के ही लेनदार होते हैं और वे कम्पनी के सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकते।

जहाँ केवल एक अंशधारी के पास ही कम्पनी के लगभग सभी शेयर हैं, वहां भी कम्पनी का ऐसे अंशधारी से एक पृथक विधिक अस्तित्व होता है। **सालोमन बनाम सालोमन एण्ड कं• लि• (Salomon vs. Salomon & Co.Ltd)** के मुकदमे के द्वारा इस बात को अच्छी तरह समझा जा सकता है। श्री सालोमन इंग्लैंड मे जूतों का अपना व्यवसाय करते थे। उन्होंने Saloman and Co. Ltd, नाम की कम्पनी का गठन किया। इसमें स्वयं सालोमन, उनकी पत्नी, चार पुत्र और लड़की शामिल थे। सालोमन ने जूतों का अपना व्यवसाय, कम्पनी को 30,000 पौंड में बेच दिया गया। सालोमन ने क्रय मूल्य के रूप में कम्पनी से एक–एक पौंड के 20,000 पूर्ण प्रदत्त शेयर और 10,000 पौंड के ऋणपत्र, जिनका कम्पनी की परिसम्पत्तियों पर अस्थायी अथवा चल

प्रभार (floating charge) था, बाकी नकद प्राप्त किया। सालोमन के परिवार के प्रत्येक सदस्य ने 1 पौंड के एक–एक शेयर के लिए नकद अंशदान किया। सालोमन कम्पनी का प्रबंध निदेशक था। व्यवसाय में कम्पनी कुछ अरक्षित ऋणों (unsecured loans) के लिए उत्तरदायी बन गयी। कुछ समय बाद कम्पनी को वित्तीय कठिनाइयों ने घेर लिया और एक साल में इसका समापन कर दिया गया। समापन पर, इसकी परिसम्पत्तियों से 6,000 पौंड वसूल हुए। 10,000 पौंड सालोमन की और 7,000 पौंड अरक्षित लेनदारों को देने थे। ऋणपत्र धारक (सालोमन) को भुगतान करने के बाद कम्पनी के पास अरक्षित लेनदारों को देने के लिए नहीं बचा। लेनदारों ने दावा किया कि ऋणपत्रों की तुलना में उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए क्योंकि सालोमन और सालोमन एण्ड कं. लि. एक ही व्यक्ति है और कम्पनी तो निर्दोष लेनदारों को धोखा देने का एक दिखावा है। अतः सालोमन को एक रक्षित लेनदार (secured creditor) नहीं माना जाना चाहिए। हाअस ऑफ लार्ड्स (house of lords) ने निर्णय लिया कि कम्पनी विधिवत् गठित हुई है और इसका इसके सदस्यों से अलग एक स्वतंत्र अस्तित्व है। इसलिए सालोमन अपनी राशि पहले प्राप्त करने का अधिकारी है क्योंकि वह एक रक्षित लेनदार है। व्यवसाय कम्पनी का है, सालोमन का नहीं। कम्पनी और सालोमन का पृथक् विधिक अस्तित्व है। सालोमन कम्पनी का एजेन्ट है, कम्पनी सालोमन का ऐजन्ट नहीं हैं।

टी. आर. प्रैट (बम्बई) लि. बनाम् ई. डी. सैसून एण्ड कं. लि. (T.R. Pratt (Bombay) Ltd vs E. D. Sasoon and Co. Ltd) के मुकदमे में यह कहा गया कि कानून के अन्तर्गत एक निगमित कम्पनी का पृथक् अस्तित्व होता है और चाहे कम्पनी के सारे शेयर व्यावहारिक रुप में एक ही व्यक्ति द्वारा नियंत्रित हो फिर भी कानून के अन्तर्गत कम्पनी का एक पृथक् अस्तित्व होता है। इसी प्रकार, **अब्दुल हक बनाम दास मल** के मुकदमे में कम्पनी के एक कर्मचारी ने कम्पनी के एक निदेशक पर अपने वेतन की राशि, जो देय थी, के लिए दावा किया। यह निर्णय दिया गया कि वह इस दावे में सफल नहीं हो सकता क्योंकि इसका उपचार तो कम्पनी कर सकती है, उसका निदेशक या सदस्य नहीं।

एक पृथक् विधिक अस्तित्व होने से कम्पनी अपने सदस्यों के साथ अनुबंध कर सकती है और सदस्य कम्पनी के साथ अनुबंध कर सकते हैं। इस प्रकार एक शेयरधारी (अंशधारी) कम्पनी का लेनदार भी हो सकता है।

4) **सीमित दयित्व (Limited Company):** कम्पनी का एक प्रमुख लाभ यह है कि इसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। आगे चलकर आप पढेंगे कि दायित्व के आधार पर कम्पनियों को इस प्रकार बाँटा जा सकता हैः (i) शेयरों द्वारा सीमित कम्पनियां (ii) गारण्टी द्वारा सीमित कम्पनियां (iii) शेयर पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कम्पनियां और (iv) असीमित दायित्व वाली कम्पनियां।

शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी में सदस्यों का दायित्व उन के शेयरों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है जो उनके पास हैं। यदि किसी सदस्य ने शेयरों की पूरी राशि का भुगतान कर दिया है। तो उस का दायित्व शून्य होगा। गारण्टी द्वारा सीमित कम्पनी में सदस्यों का दायित्व उस ने जिनकी राशि की गारण्टी दी है उस तक सीमित होगा परन्तु शेयर पूँजी वाली गारण्टी कम्पनी में एक सदस्य का दायित्व उसके शेयरों की राशि जो देय है और गारण्टी की गयी राशि दोनों के जोड़ तक सीमित होगा।

आप ध्यान दें कि कम्पनी अधिनियम 2013 सदस्यों के असीमित दायित्व वाली कम्पनियों के गठन की अनुमति देता है, असीमित दायित्व वाली कम्पनियों के सदस्यों

का दायित्व उनके पास शेयरों के अंकित मूल्य तक सीमित नहीं होता। जब तक कम्पनी के देयताओं व ऋण के एक–एक पैसे का भुगतान नहीं होता वे उत्तरदायी होंगे। फिर भी कम्पनी के पृथक अस्तित्व होने के कारण लेनदार सदस्यों के विरूद्ध सीधे वाद नहीं कर सकते।

(5) **पृथक सम्पत्ति (Separate Property):** कानून की दृष्टि में शेयरधारी उपक्रम (undertaking) के आंशिक मालिक नहीं होते। भारत में उच्चतम न्यायालय ने पृथक सम्पत्ति का सिद्धांत **बच्चा एफ गुज्जदार बनाम कमिशनर आफ इनकम टैक्स बॉम्बे [Bacha F Guzdar vs. Commissoner of Income tax,Bombay, (Supra)]** के वाद में उत्तम तरीके से स्पष्ट किया। उच्चतम न्यायलय ने निर्णय दिया कि शेयरधारी कम्पनी या इसकी सम्पत्ति का आंशिक मालिक नहीं होता। उस को कानून द्वारा कुछ अधिकार दिये हैं जैसे कि मत देना, सभाओं में उपस्थित होना, लाभांश प्राप्त करना।

Macaura vs. Northern Assurance Co Ltd (1925) के वाद में निर्णय दिया गया कि सदस्य का कम्पनी की सम्पत्ति में कोई बीमा योग्य हित नहीं होता। इस वाद में Macaura के पास एक लकड़ी की कम्पनी के एक के सिवाय बाकि सब शेयर थे। उस ने कम्पनी की लकड़ी का अपने नाम से बीमा कराया। आग के कारण लकड़ी जल गई। उस का दावा रद्द कर दिया गया क्योंकि लकड़ी में उस कोई बीमा हित नहीं था। न्यायालय ने कहा "किसी भी शेयरधारी का कम्पनी की किसी भी सम्पत्ति की किसी भी वस्तु में अधिकार नहीं होता क्योंकि उस का उस में कानूनी या न्यायोचित हित नहीं हैं।"

(6) **शाश्वत उत्तराधिकार (Perpetual Succession):** "शाश्वत उत्तराधिकार" शब्द का अर्थ है निरंतर विद्यमान रहना। कम्पनी का अस्तित्व इसके सदस्यों के दिवालियापन, मृत्यु,पागलपन जैसे कारणों से प्रभावित नहीं होगा। कम्पनी का एक शाश्वत उत्तराधिकार होता है। सदस्य आते रहते हैं, जाते रहते हैं लेकिन कम्पनी चलती रहती है। यदि कम्पनी के सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाये तब भी कम्पनी का विधिक अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। एक निजी कम्पनी के सारे सदस्य साधारण सभा के समय युद्ध के मध्य एक बम के कारण मारे गए। परन्तु कम्पनी बची रही। एक हाईड्रोजन बम भी उसे समाप्त नहीं कर सका। उपयुक्त अवस्था में मृत अंशधारियों के कानूनी उत्तरधिकारी सदस्य बन जाएंगे। इस का अर्थ यह नहीं है कि कम्पनी का कभी अंत नहीं हो सकता। आपने पढ़ा है कि कम्पनी विधि द्वारा निर्मित की जाती है तथा विधि की प्रक्रिया द्वारा ही इस का अन्त भी किया जाता है।

(7) **शेयरों का हस्तांतरण (Transferability of Shares):** कम्पनियों के लोकप्रय होने का एक विशेष कारण यह है कि उन के शेयर आसानी से हस्तांतरित हो सकते हैं। एक सार्वजनिक कम्पनी के शेयर निर्बाध रूप से हस्तांतरणीय हैं। अन्य सदस्यों की सहमति के बिना कोई भी शेयरधारी अपने शेयरों का हस्तांतरण कर सकता है। अन्तर्नियमों के अन्तर्गत एक सार्वजनिक कम्पनी भी शेयरों के हस्तांतरण पर कुछ पाबंदिया लगा सकती है लेकिन उन्हें पूर्णतया नहीं रोक सकती। एक सार्वजनिक कम्पनी का शेयरधारी जिस के पास पूर्णतया प्रदत्त शेयर हैं अन्तर्नियमों के प्रावधानों के अनुसार किसी को भी हंस्तातरित करने में स्वतंत्र है।

कम्पनी अधिनियम 2013 में धारा 58(2) के अनुसार "उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी **सार्वजनिक कम्पनी में किसी सदस्य की प्रतिभूतियां या अन्य**

हित स्वच्छंद रूप से हस्तांतरणीय होंगे। बशर्ते प्रतिभूतियों के हस्तांतरण की बाबत कोई अनुबन्ध दो या अधिक व्यक्तियों के बीच अनुबंध के रूप में प्रर्वतनीय होगा। इसलिये वर्तमान अधिनियम "सार्वजनिक कम्पनी के शेयरधारियों के करारों को जिन में "पहले प्रस्ताव का अधिकार" और "पहले मना करने का अधिकार" का प्रावधान है, वैध है। परन्तु एक निजी कम्पनी को हस्तांतारणीयता पर कुछ पाबंदी लगानी आवश्यक है परन्तु निजी कम्पनी भी हस्तांतरण का अधिकार पूर्ण रूप से वापिस नहीं ले सकती।

(8) **सार्व मुद्रा (Common Seal)**: एक कम्पनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, उसकी मनुष्य की भांति देह नहीं है। इसलिये इसे अपने निदेशक, अधिकारी व दूसरे कर्मचारियों के द्वारा कार्य करने पड़ते हैं। परन्तु यह उन दस्तावेजों के लिये बाध्य है जिस पर इस के हस्ताक्षर हैं। सार्वमुद्रा कम्पनी के अधिकारिक हस्ताक्षर होते हैं। इसके लिए एक धातु की मुद्रा प्रयोग करनी चाहिए। प्रत्येक कम्पनी की एक सार्व मुद्रा हो सकती है जिस पर उस का नाम अंकित होना चाहिए।

धारा 22(2) के अनुसार कोई कम्पनी, अपनी सार्व मुद्रा के अधीन किसी व्यक्ति को साधारणतया या किसी विनिर्दिष्ट अर्टोनी अधिकार के अंतर्गत, भारत में या भारत के बाहर उस की ओर से विलेखों के निष्पादन के लिए अधिकार दे सकती है। ऐसे किसी अर्टनी द्वारा कम्पनी की ओर से उस की मुद्रा के अधीन हस्ताक्षरित कोई विलेख बाध्य होगा और उस का वही प्रभाव होगा मानो वह उस की सार्वमुद्रा के अधीन किया गया है। कम्पनी (संशोधन) अधिनियम 2015 के अनुसार सार्व मुद्रा अनिवार्य नहीं हैं। यदि किसी कम्पनी की सार्वमुद्रा नहीं है, उस दशा में, प्रमाणीकरण दो निदेशकों या एक निदेशक और कम्पनी सचिव, जहां कम्पनी ने कम्पनी सचिव की नियुक्ति की है, के द्वारा किया जायेगा। पुनः, सिवाए इसके जहां इस अधिनियम में कोई दस्तावेज या कार्यवाही, जिसका किसी कम्पनी द्वारा प्रमाणीकरण अपेक्षित है कम्पनी के किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या किसी ऐसे अधिकारी, कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित की जा सकेगी जिसे इस बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया है तथा सार्वमुद्रा की आवश्यकता नहीं है (धारा 21)।

(9) **वाद योग्यता (May Sue or be Sued)**: एक न्यायिक व्यक्ति के रूप में कम्पनी अपने नाम से वाद ला सकती है और इस पर वाद लाये जा सकते हैं। इसका कारण यह है कि कम्पनी का एक पृथक् विधिक अस्तित्व है। कम्पनी अनुबंध कर सकती है और अनुबंधिक अधिकारों को दूसरों के विरुद्ध प्रवर्तित कर सकती है और यदि यह अनुबधों का उल्लघंन करती है तो इस पर दूसरों द्वारा वाद लाये जा सकते हैं।

बोध प्रश्न क

1) कम्पनी की परिभाषा दीजिए।

.....

.....

.....

.....

2) कम्पनी की तीन प्रमुख विशेषताएं बताइये।

.....

.....

.....

.....

3) बताइये कि निम्नलिखित कथन **सही** हैं या **गलतः**

i) कम्पनी का विधि द्वारा निर्माण किया जाता है।

ii) कम्पनी एक कृत्रिम व्यक्ति है।

iii) क्योंकि कम्पनी एक कृत्रिम व्यक्ति है इसलिए यह कोई गलती नहीं कर सकती और न ही इस पर कोई वाद लाया जा सकता हैं।

iv) साझेदारी की भांति, कम्पनी के किसी शेयरधारी की मृत्यु से कम्पनी का अन्त हो जाता है।

v) यद्यपि कम्पनी एक निगमित व्यक्ति है फिर भी यह एक नागरिक नहीं है।

vi) एक सदस्य का दायित्व उसके शेयरों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है।

1.6 निगमन का आवरण हटाना (Lifting the Corporate Veil)

आपने पैरा 1.5 में पढ़ा है कि एक कम्पनी का अपने सदस्यों से स्वतंत्र और एक पृथक् विधिक अस्तित्व होता है। पृथक् विधिक अस्तित्व का नियम **सालोमन बनाम सालोमन एण्ड कं. लि.** के वाद में अच्छी तरह से स्थापित हुआ। निगमन के समय कम्पनी और इसके सदस्यों को अलग करने वाली एक रेखा खींची जाती है या एक आवरण डाला जाता है। वास्तव में, कम्पनी व्यक्तियों की संस्था है और ये व्यक्ति ही कम्पनी की सारी सम्मिलित सम्पत्ति के वास्तविक लाभकारी स्वामी होते हैं। कम्पनी के निगमन के पीछे जो असली व्यक्ति होते हैं, कम्पनी का गठन होने और उसका विधिक आस्तित्व हो जाने के बाद, उनकी उपेक्षा कर दी जाती है।

पृथक् विधिक अस्तित्व के फलस्वरुप कम्पनी को बहुत से लाभ मिलते हैं जिनके बारे में आपने इस इकाई के पिछले भाग में पढ़ा है। लेकिन जो कम्पनी का इमानदारी से प्रयोग करते हैं उन्हें ही निगमन का लाभ मिलता है। परन्तु निगमन के आवरण का अनुचित व छल कपट उपयोग करने पर कानून इस निगमन के आवरण के उपेक्षा करता है और इसके पीछे जो व्यक्ति हैं और जो कपट के जिम्मेदार है उनका पता लगाता है और कम्पनी तथा इसके सदस्यों को एक ही व्यक्ति मानता है। **जब न्यायालय कम्पनी की उपेक्षा करता है और कम्पनी के सदस्यों और पद–अधिकारों में दिलचस्पी लेता है तब यह कहा जाता है कि निगमन के आवरण को हटा दिया गया है।** प्रो. गौवर के अनुसार, "जब कानून निगमित आस्तित्व (corporate entity) की उपेक्षा करता है और इस विधिक मुखौटे के पीछे जो व्यक्ति हैं उन पर ध्यान देता है तब इसे निगमित व्यक्तित्व का आवरण हटाना कहते हैं।

परन्तु आप ध्यान रखें कि न्यायालय का निगमन के आवरण को हटाने का अधिकार पूर्णतया विवेकाधीन है। न्यायालय कम्पनी का अवरण तभी हटाता है जब ऐसा करना सार्वजनिक हित में होता है। **Cotton Corporation of India Ltd v G. C. Odusumathd (1999)** वाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि विधि में, नियम के तौर पर, निगमन का आवरण हटाना, स्वीकृति योग्य नहीं है जब तक कि कानून में स्पष्ट शब्दों में नहीं दिया या चिंताजनक कारणों से जैसे छल कपट को रोकने की चेष्टा या शत्रु देश के साथ व्यापार को रोकना है।

जिन परिस्थितियों में निगमन का आवरण हटाया जा सकता है उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित दो शीर्षकों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है:

1) अभिव्यक्त सांविधिक प्रावधानों के अन्तर्गत, और

2) न्यायिक व्याख्याओं के अन्तर्गत

आइये, अब इनका विस्तार से वर्णन करें।

1.6.1 अभिव्यक्त सांविधिक प्रावधानों के अन्तर्गत (Under Express Statutory Provisions)

कम्पनी अधिनियम 2013 में ही ऐसे कुछ मामलों के लिए प्रावधान है जिनमें कम्पनी के निदेशक या सदस्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराये जा सकते हैं। ऐसे मामलों में यद्यपि कम्पनी का पृथक् अस्तित्व तो रखा जाता है परन्तु कम्पनी के साथ–साथ निदेशकों या सदस्यों को भी व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी ठहराया जाता है। यह मामले निम्नलिखित हैं:

1) प्रविवरण में मिथ्या कथन (धारा 34 व 35)

प्रविवरण में मिथ्या कथन के लिए कम्पनी और प्रत्येक निदेशक, प्रर्वतक, विशेषज्ञ और वह सभी व्यक्ति, जो प्रविवरण जारी करने के अधिकृत हैं, वे सभी उस प्रत्येक व्यक्ति को जिस ने उस मिथ्या कथन के विश्वास पर शेयर खरीदे हैं, हानि व हर्जाना देने के उत्तरदायी होंगे।

इस के अतिरिक्त इन व्यक्तियों को कारावास जो छह महीने से कम नहीं होगा और जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है का दंड दिया जा सकता है, और वे जुर्माने के जिम्मेदार होंगे जो छल कपट की कुल रकम से कम नहीं होगा और यह इस राशि का तीन गुणा तक हो सकता है (धारा 34 और धारा 47 साथ पढ़े जाएं)।

यद्धपि उपरोक्त कथित दंड से व्यक्ति बच सकता है यदि वह यह सिद्ध कर दे कि ऐसा कथन या लोप महत्वहीन था या उसके पास विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार था और वह प्रविवरण जारी किए जाने के समय तक यह विश्वास करता रहा था कि कथन सत्य है या सम्मिलित किया जाना अथवा लोप किया जाना आवश्यक था।

2) आवेदन राशि को वापिस न करने की चूक (धारा 39)

कम्पनी जनता को जब प्रतिभूति जारी करती है तो, प्रविवरण (प्रास्पेक्टस) में दी गयी रकम न्यूनतम रकम के रुप में 30 दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि के भीतर जो प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, यदि प्राप्त नहीं की जाती तो ऐसी राशि को निर्धारित समय के भीतर और रीति में, वापस कर दिया जाएगा। Rule 11 of Companies (Prospectus and Secturies Rules 2014), के अनुसार, आवेदन पत्र की रकम शेयरों के जारी के बन्द होने 15 दिन के अन्दर वापिस करनी होगी। यदि नहीं तो कम्पनी के निदेशक जो कम्पनी के अधिकारी हैं वह संयुक्त और पृथक रूप से 15% वार्षिक दर से ब्याज समेत रकम वापिस करने पर बाध्य हैं। चूक (default) की दशा में कम्पनी और इसके अधिकारी जिस ने चूक की है 1,000 रुपये प्रतिदिन जब तक यह चूक जारी रहती है या एक लाख रुपये इनमे से जो भी कम है दंड (penalty) के लिए उत्तरदायी होंगे।

3) **नाम की अशुद्धि या ना बताना (Non disclosure/Misdescription of name) (धारा 12)**

धारा 12 के अनुसार कम्पनी अपने नाम हुंड़ियों, वचन पत्रों, विनिमय पत्रों और ऐसे दस्तावेजो पर जो विहित है मुद्रित करेगी। अतः जब कोई कम्पनी अधिकारी कम्पनी की ओर से कोई अनुबंध विनिमय पत्र, हुंडी, वचनपत्र, चैक या मुद्रा के आदेश पर हस्ताक्षर करता है तो ऐसा व्यक्ति यदि कम्पनी के नाम का उल्लेख नहीं करता है या गलत नाम देता है व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

इस प्रकार एक चैक पर एक कम्पनी का नाम "LR agencies Limited" लिखा गया जबकि वास्तव नाम "L & R Limited" था। हस्ताक्षर करने वाले निदेशक को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया गया **[Hendon v. Adelman(1973]** इसके अतिरिक्त कम्पनी और इसके अधिकारी जिनसे चूक हुई है 1000 रुपये प्रतिदिन जब तक चूक रहती है और एक लाख रुपये इनमें दोनों में जो कम है के उत्तरदायी होंगे।

4) **धारा 210 या 212 या 213 के अन्तर्गत किसी कम्पनी के कार्यकलापों का जांच (investigation) करने हेतु निरीक्षक को उस के कार्य में सहायता (धारा 219)**। धारा 219 में प्रावधान है कि यदि किसी कम्पनी के कार्यकलापों की छानबीन (investigation) करने के लिए धारा 210 व धारा 212 या धारा 213 के अधीन निरीक्षक नियुक्त किया गया है तो निरीक्षक ऐसी किसी अन्य कम्पनी जो इस कम्पनी से सम्बन्धित है और एक ही प्रबंध के या समुह के अधीन है और ऐसे किसी व्यक्ति का जो किसी उचित समय पर प्रबंध निदेशक, प्रबंधक या कर्मचारी रहा हो, की जांच कर सकता है।

5) **कम्पनी के स्वामित्व की छानबीन (धारा 216) (For investigation of ownership of a company)**: धारा 216 के अनुसार जहां केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करने का कारण है तब वह एक या अधिक निरीक्षक नियुक्त कर सकती जो कम्पनी और उसकी सदस्यता सम्बन्धित मामलों की छानबीन करे और उन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे ताकि असली व्यक्ति का पता लगाया जा सके जोः

(क) कम्पनी की सफलता या असफलता में चाहे वास्तविक रूप से या स्पष्ट रूप से, वित्तीय रूप से दिलचस्पी ले रहे हैं/लेते रहे हैं या

(ख) कम्पनी की नीति को कौन नियंत्रित करने में या प्रभावित करने में समर्थ हैं या रहे हैं।

6) **शक्ति–बाह्य कार्यों के लिए दायित्व (Liability for ultravires Acts)** : कम्पनी के निदेशक और दूसरे अधिकारी उन सब कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे जो कम्पनी की ओर से किए हैं यदि वे शक्ति बाह्य हैं अर्थात कम्पनी की शक्ति के बाहर हैं।

7) **कारोबार का छल कपट पूर्ण संचालन करना (Fraudulent condct of business)** (धारा 339) : धारा 339 के अनुसार यदि किसी कम्पनी के समापन (winding up) के दौरान में यह प्रतीत होता है कि कम्पनी का कारोबार कम्पनी के लेनदारों या किन्हीं अन्य व्यक्तियों को धोखा देने के आशय से किया गया है, ऐसी स्थिति में वे व्यक्ति जो जानबूझकर ऐसे कार्य सहयोगी

थे व्यक्तिगत रूप से किसी ऋण या अन्य देयताओं के उत्तरदायी होंगे। ऐसे में अधिकरण (tribunal) कम्पनी के विधिक अस्तित्व की अनदेखी कर सकता है और कपटी व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से कम्पनी के ऋणों के लिए उत्तरदायी बना सकता है।

7) **अन्य अधिनियमों में दायित्व (Liability under other statutes)** : कम्पनी अधिनियम के अतिरिक्त निदेशक व अन्य अधिकारी व्यक्तिगत रूप से दूसरे कानूनों के प्रावधानों के अन्तर्गत उत्तरदायी होंगे। उदाहरण के तौर पर आयकर अधिनियम के अन्तर्गत जब निजी कम्पनी का समापन होता है और यदि पिछले वर्ष की आय पर बकाया आयकर कम्पनी से वसूल नहीं किया जा सकता तब हर व्यक्ति जो किसी भी समय सम्बंधित पिछले वर्ष में कम्पनी का निदेशक था कर देने के लिये संयुक्त व पृथक रूप से उत्तरदायी होगा। इसी प्रकार विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, 1999, (FEMA) के अन्तर्गत निदेशक व दूसरे अधिकारियों पर अधिनियम की अवहेलना करने के लिए संयुक्त व पृथक रुप से अभियोग किया जा सकता है।

1.6.2 न्यायिक व्याख्याओं के अन्तर्गत (Under Judicial Interpretations)

न्यायलयों ने जब निगमन का आवरण हटाया है या हटा सकते हैं उन सब वादों (cases) का बताना कठिन है। कुछ ऐसे वादों का वर्णन किया जा सकता है जहां न्यायिक निर्णय दिया है। वह एक विचार बनाया जा सकता है कि किसी प्रकार की परिस्थितियों में निगम व्यक्तित्व का दिखावा हटाया गया था या जहां पर यदि आवश्यकता पड़ी तो उन व्यक्तियों को पहचाना गया और दण्डित किया गया।

1) **राजस्व सुरक्षा (Protection of Revenue): सर दिनशा मानेकजी पेटिट (1927) (Sir Dinshaw Maneckjee Petit)** के वाद में, करदाता एक अरबपति व्यक्ति था लाभांश और ब्याज आय के रूप में बहुत बड़ी राशि अर्जित कर रहा था। उस ने चार निजी कम्पनियों का गठन किया और अपना निवेश उन कम्पनियों के शेयर के बदले हर कम्पनी को हस्तांतरित कर दिया। लाभांश और ब्याज की आय जो कम्पनी को मिलती थी वह सर दिनशा को ऋण के रूप वापिस कर देती थी। यह निर्णय दिया कि करदाता ने कम्पनी केवल आयकर ना देने के लिए गठित की थी। कम्पनी और करदाता दोनों अलग नहीं थे, यह कोई व्यापार नहीं करती थी, परन्तु यह विधिक अस्तित्व केवल लाभांश और ब्याज प्राप्त करने के लिए गठन की गई थी और करदाता को ऋण देने का बहाना था।

2) **धोखा या अनुचित आचरण रोकने के लिए (Prevention of Fraud or Improper Conduct):** यदि कम्पनी का उद्देश्य धोखा देना या अनुचित आचरण करना रहा है, तो न्यायालय ने निगमन के आवरण को हटाया है और वास्तविकता को देखा है। **गिलफोर्ड मोटर कम्पनी बनाम होर्न** (Gilford Motor Co.Ltd vs. Horne) के वाद में होर्न को गिलफोर्ड मोटर कम्पनी का प्रबंध संचालक नियुक्त किया। करार अनुसार शर्त हुई कि कार्य छोड़ने के कुछ समय तक वह कम्पनी के ग्राहकों तोड़गा नहीं और कम्पनी के साथ स्पर्धा नहीं करेगा। वादी के निकालने के बाद होर्न ने एक कम्पनी गठित की जिस ने स्पर्धा कारोबार चलाया। सब शेयर उसने अपनी पत्नी और कम्पनी के कर्मचारी को आबंटित कर दिए। जिन्हें कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त

कर दिया था। निर्णय दिया गया कि प्रतिवादी होर्न का कम्पनी पर नियंत्रण था इस कारण इस का गठन वादी कम्पनी के साथ करार तोड़ने के लिए केवल एक बहाना मात्र या दिखावा (cloak or sham) थी। न्यायालय ने उसके और उसकी कम्पनी के विरुद्ध ग्राहक तोड़ने को रोकने के लिए निषेधादेश (injunction) जारी किया।

इसी प्रकार **जोन्स बनाम लिपमेन (1962) (Jones vs. Lipman)** के मुकदमे में जमीन के विक्रेता ने एक अनुबन्ध का निर्दिष्ट निष्पादन (specific performance) टालने के लिए जमीन देने के लिए एक कम्पनी गठित की। निर्णय हुआ कि जमीन को कम्पनी को दे देने से विक्रेता के निर्दिष्ट निष्पादन को टाला नहीं सकता क्योंकि कम्पनी क्रय अनुबंध को टालने के लिए केवल एक दिखवा थी। विक्रेता और कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध के निर्दिष्ट निष्पादन का निर्णय हुआ।

3) **कम्पनी के शत्रु स्वरूप का निर्धारण करने के लिए (Determination of the enemy Character of the Company):** कम्पनी एक कृत्रिम व्यक्ति है वह मित्र या शत्रु नहीं हो सकती। लेकिन युद्ध के दौरान निगमन का आवरण हटाना आवश्यक होता है और उस कम्पनी के पीछे व्यक्ति शत्रु है या मित्र है यह देखना/ज्ञात करना आवश्यक होता है। यह इसलिए कि कम्पनी का अलग अस्तित्व होता है व इसका कार्य व्यक्ति ही चलाते हैं। **डेमलर कम्पनी लिमिटेड बनाम कॉन्टिनेटल टायर एण्ड रबर कम्पनी लिमिटेड (Daimler Co Ltd vs. Continental tyre & Rubber Co Ltd) (1916)** के वाद में एक कम्पनी इंग्लैंड में पंजीकृत की गई इस कम्पनी का उद्देश्य जर्मनी में एक जर्मन कम्पनी द्वारा निर्मित टायरों को इंग्लैंड में बेचना था। इस कम्पनी के अधिकांश शेयरधारी व सभी निदेशक जर्मन थे। 1914 में इंग्लैंड व जर्मनी के बीच युद्ध हुआ। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दोनों निर्णय लेने वाली निकाय, निदेशक बोर्ड व अंशधारियों पर जर्मन लोगों का नियन्त्रण था। अतः कम्पनी जर्मन कम्पनी थी इसलिए यह शत्रु कम्पनी थी। अतः. कम्पनी ने ऋण वसूली के लिए एक वाद दायर किया व इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि ऋण अदायगी शत्रु के साथ व्यापार करना होगा और शत्रु के साथ व्यापार करना सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है।

4) **नियंत्रित कम्पनियों को एजेंट के रुप में कार्य करने के लिए गठित करना (Formation of subsidiaries to act as agent): मरचेन्डाईज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड बनाम ब्रिटिश ट्रासंपोर्ट कमीशन (1982)** के केस में एक परिवहन कम्पनी अपनी गाड़ियों के लिए लाईसेंस प्राप्त करना चाहती थी परन्तु वह अपने नाम से आवेदन नहीं दे सकती थी। इसलिए इसने एक नियंत्रित कम्पनी (subsdiary) बनाई और उस के नाम से लाइसेंस के लिए आवेदन दिया। गाड़ियों को नियंत्रित कम्पनी के नाम पर हस्तांतरित करना था। निर्णय हुआ नियंत्रक व नियंत्रित कम्पनियां एक वाणिज्यिक इकाई है और लाईसेंस आवेदन को रद्द कर दिया गया।

स्टेट ऑफ यू• पी• बनाम वी रेनू सागर पावर कम्पनी (State of UP vs. Renu Sagar Power Co Ltd) (1991) के वाद में यू.पी. सरकार ने कम्पनियां जो अपने प्रयोग के लिए बिजली उपज करती हैं कुछ उन्हें राजस (subsidy) सहायता मिलेगी की घोषणा की। रेनु सागर पावर कम्पनी हिन्डलको की 100% नियंत्रित कम्पनी थी और सारी बिजली किसी और को नहीं बल्कि

हिन्डलको को दे रही थी। उच्चत्तम न्यायालय ने निर्णय दिया कि नियंत्रक कम्पनी के पास नियंत्रित कम्पनी के 100% शेयर है और यह केवल नियत्रंक कम्पनी के लिए बनाई थी। इसलिए निगमन का आवरण हटाया जा सकता है। हिन्डलको को राजस सहायता मिलेगी। दोनों कम्पनियां एक ही इकाई हैं। आप नोट करें कि इस मामले में कम्पनी के हित के लिए आवरण हटाया गया, निदेशकों, अधिकारियों व कम्पनी को दंड देने के लिए नहीं।

फिर जे. बी. एक्सपोर्ट लिमिटेड बनाम बी॰ एस॰ इ॰ एस॰ राजधानी पावर लिमिटेड (2007) (J B Exports Ltd vs. BSES Rajdhani Power Ltd) (2007) के मामले मे अपीलकर्ता नम्बर 1 कम्पनी ने अपील कर्ता नम्बर 2 कम्पनी की सारी शेयर पूंजी ले ली जो उसकी एक पंजीकृत उपभोक्ता थी। जिसे उसके फैक्टरी भवन में बिजली कनेक्शन दिया था और यह पता लगने पर कि बिजली का उपभोग अपीलकर्ता नम्बर 1 कर रहा है बिजली बोर्ड ने आदेश दिया कि अपीलकर्ता नम्बर 2 से किराए पर देने के कारण खर्चा वसूल हो। न्यायालय के निर्णय दिया कि "निगमन का आवरण" सिद्धांत लागू करने पर दोनों कम्पनियां एक ही इकाई हैं। इसलिए किराए (Sub letting) का प्रश्न नहीं है।

5 **जो कम्पनी अपने सदस्यों/शेयरधारियों के एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए गठित की जाती है (where a company acts as agent for its members shareholder):** यदि शेयरधारियों व कम्पनी में ठहराव है कि कम्पनी शेयरधारियों के एक एजेंट के रूप में व्यापार चलाने के कार्य करगी, तो व्यापार वास्तव में शेयरधारियों का है। जहां इस तरह का ठहराव होता है, व्यक्तिगत रूप से शेयरधारियों पर दायित्व होगा। **आर. जी. फिल्मस लिः** के वाद में एक अमरिकी कम्पनी ने भारत में "मानसून" नामक एक फिल्म का निर्माण किया और पूंजी भी लगायी। लेकिन तकनीकी रूप में यह फिल्म इग्लैंड में निर्गमित एक कम्पनी के नाम से बनायी गयी थी। ब्रिटिश कम्पनी की पूंजी, केवल एक नकद पाउन्ड के 100 शेयर यानि 100 पाउन्ड थी। इसमें से 90 शेयर अमरीकन कम्पनी के प्रेसीडेंट के पास थे। बोर्ड ऑफ ट्रेड ने फिल्म को ब्रिटिश फिल्म के रूप में पंजीकृत करने से इंकार कर दिया। न्यायालय ने बोर्ड ऑफ ट्रेड के मत की पुष्टि की। न्यायालय ने निर्णय दिया कि फिल्म की सच्ची निर्माता अमरीकी कम्पनी थी और ब्रिटिश कम्पनी ने तो केवल उस के एजेन्ट के रुप में कार्य किया।

6) **आर्थिक अपराध की दशा में (in case of economic offences): शान्तनु रे बनाम यूनीयन ऑफ इन्डिया (Santanu Ray vs. Union of India)** (1989) में यह निर्णय हुआ कि न्यायालय को निगमन का आवरण हटाने का अधिकार है यदि कोई आर्थिक अपराध हुआ है और विधिक दिखाने की आड़ में आर्थिक वास्तविकता क्या है। इस वाद में कम्पनी पर यह आरोप लगा कि उस ने केन्द्रीय उत्पाद व नमक अधिनियम 1944 की धारा 11(a) का उल्लंघन किया है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि निर्णय देने वाले अधिकारी निगमन का आवरण हटा सकते हैं यह पता करने के लिए कि कौन से निदेशक धोखा, तत्थयों को छुपा या जानबूझकर अशुद्ध कथन या सत्य छुपा रहे थे या अधिनियम के प्रावधानों का या उस के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और उत्पाद शुल्क नहीं दे रहे थे।

7) **जब कम्पनी का उपयोग कल्याणकारी कानूनों से बचना हो (where company is used to avoid welfare legislation):** जहां यह पता लगे कि नई कम्पनी गठन करने का उद्देश्य केवल कर्मियों को बोनस की राशि घटा देने के एक साधन के रूप में उपयोग करना था, उच्चतम न्यायालय ने निगमन के आवरण को हटा कर व्यवहारिक स्थिति का पता लगाने का निर्णय दिया। **वर्कमैन ऑफ एसोसिटिड रबर इन्टस्ट्रीज लि. बनाम एसोसिएटिड रबर इन्टस्ट्रीज लि. (Workmen of Associated Rubber Industry Ltd vs. Associated Rubber Industry Ltd)** (1986) वाद में एक नई कम्पनी का गठन किया गया जिस की अपनी कोई परिसम्पत्ति नहीं थी सिवाय उस परिसम्पत्ति के जो प्रधान कम्पनी ने इसे हस्तांतरित की थी। नई कम्पनी का अपना कोई व्यवसाय भी नहीं था। इसे हस्तांतरित किये गये शेयरों पर लाभांश प्राप्त होता था। इस प्रकार प्रधान कम्पनी सकल लाभों को कम करने में सफल हुई और इससे मजदूरों को देय बोनस राशि घटा दी गयी। उच्चतम न्यायालय ने नयी कम्पनी के स्वतंत्र पद को खारिज किया और निर्देश दिया कि नई कम्पनी को दी गई लाभांश की राशि भी प्रधान कम्पनी के सकल लाभों को निर्धारण करते समय शामिल की जाएगी।

8) **जब कम्पनी का किसी अवैध या अनुचित उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए (where company is used for some illegal or improper purpose):** न्यायालयों ने निगमन का आवरण उठाया है जहां इसका अवैध या अनुचित कार्य के लिए एक माध्यम के रूप उपयोग में किया गया हो। **पी॰ एन॰ बी॰ फाईनेंस लि. बनाम भीतल प्रसाद जैन (1983) व सेबी बनाम लिबरा प्लांटेशन (लि.) (1999) (PNB Finance LTd vs. Shital Prasad Jain (1983) and SEBI vs. Libra plantation Ltd (1999)।** बाम्बे उच्च न्यायालय ने जो प्रापर्टी छल कपट स्कीम द्वारा प्राप्त की गयी थी उसको भी तीसरे पक्ष के पास से वापिस लेने का आदेश दिया।

9) **न्यायालय का अपमान करने पर दंड (To punish for contempt of court):** कम्पनी एक कृत्रिम व्यक्ति होते हुए भी न्यायालय के आदेश का उल्लघंन नहीं कर सकती। जो व्यक्ति गलती पर हैं उन का पता लगाना चाहिए (ज्योती लि. बनाम कवंलजीत कौर भसीन (1987) **(Jyoti Ltd vs. Kanwaljit Kaur Bhasin)।**

10) **कम्पनी की तकनीकी योग्यता देखना (For determination of technical competence of the company):** उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि तकनीकी योग्यता के लिए प्रर्वतकों का अनुभव कम्पनी का अनुभव माना जाएगा। यहां आप यह नोट करेंगे कि कम्पनी के लाभ के लिए भी निगमन का आवरण हटाया गया। **न्यू होराईजन लिः बनाम यूनीयन ऑफ इन्डिया (New Horizons Ltd vs. Union of India)।**

11) **जहां कम्पनी केवल धोखा या दिखावा है (Where company is mere Sham or Cloak): दिल्ली डवलपमेंट ऑर्थोरटी बनाम स्कीपर कंस्ट्रक्शन कम्पनी** (पी०) लि. **(Delhi Development Authority vs. Skipper Construction Company (P) Ltd)** (1996) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि एक निदेशक और उस को फैमिली ने कई

कम्पनियां खोल दी हैं तो उन्हे एक ही अस्तित्व माना जाएगा यदि यह पता लगे कि निगमित निकाय केवल एक धोखा है और यह केवल अवैध कार्य या लोगों को धोखा देने के लिए बनायी गयी हैं।

1.7 कम्पनी और साझेदारी में भेद

आपने पढ़ा कि कम्पनी विधि द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है और सीमित दायित्व व शाश्वत उत्तराधिकार इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। आइये अब यह अध्ययन करें कि एक कम्पनी और एक प्रचलित व्यक्तियों की संस्था जिसे साझेदारी कहा जाता है में क्या अन्तर है। इन दोनों के मुख्य अन्तर निम्नलिखित हैं:

(1) **निर्माण की विधि (Mode of Creation) :** कम्पनी की स्थापना केवल तभी होती है जब वह कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत की जाती है। जबकि एक साझेदारी का गठन साझेदारों में किए गए करार द्वारा होता है। साझेदारी अधिनियम 1932 के अन्तर्गत साझेदारी फर्म का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। इसलिए एक साझेदारी फर्म जो पंजीकृत नहीं है वह अवैध नहीं है।

(2) **सदस्यता** (membership)

(क) **न्यूनतम** : साझेदारी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या दो होती है। जबकि निजी कम्पनी के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 है और सार्वजनिक कम्पनी में 7 है।

(ख) **अधिकतम** : साझेदारी में अधिकतम संख्या 50 तक सीमित है प्राईवेट कम्पनी में अधिकतम संख्या 200 है। (भूतपूर्व व वर्तमान कर्मचारियों को छोड़कर और सयुंक्त रूप से अंशधारी एक सदस्य माने जाते हैं।) परन्तु सार्वजनिक कम्पनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या पर कोई सीमा नहीं है।

(3) **विधिक स्थिति (Legal Status):** कम्पनी एक पृथक विधिक व्यक्तित्व के रूप में होती है जबकि साझेदारी एक पृथक व्यक्ति नहीं हैं। साझेदारी, आमतौर से फर्म कहलाती है और इसका सदस्यों से अलग विधिक अस्तित्व नहीं होता। सारे साझेदारों को एक फर्म कहने का एक सरल तरीका है। कम्पनी क्योंकि एक कानूनी व्यक्ति है इसलिए अपने सदस्यों से भिन्न है।

(4) **सदस्यों का दायित्व (Liability of members)**: शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी में प्रत्येक शेयरधारी का दायित्व उस के पास शेयरों के मूल्य तक या उनके द्वारा दी गई गारण्टी की राशि तक ही सीमित है। लेनदार केवल कम्पनी के विरुद्ध कारवाई कर सकते हैं परन्तु सदस्य या सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकते। असीमित दायित्व वाली कम्पनी के भी लेनदार सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से कारवाई नहीं कर सकते क्योंकि कम्पनी सदस्यों से पृथक है। वे कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं। परन्तु साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असिमित होता हैं और साझेदार फर्म के ऋण के लिए संयुक्त व पृथक रूप से उत्तरदायी होते हैं। फर्म के लेनदार सभी साझेदारों के लेनदार हैं और वे साझेदारों के विरुद्ध व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से कार्यवाही कर सकते हैं।

(5) **शेयरों का हस्तांतरण (Transfer of Shares)** : सार्वजनिक कम्पनी के शेयर स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय हैं। एक निजी कम्पनी हस्तांरणीयता को मना किए बिना अपने शेयरों की हस्तांतरणीयता पर कुछ पाबंदियां लगाती है।

एक साझेदारी में कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों के सहमति के बिना अपने शेयर का विक्रय या हस्तांतरण नहीं कर सकता।

(6) **शाश्वत उत्तराधिकार (Perpetual Succession):** एक कम्पनी के पास शाश्वत उत्तराधिकार होता है। किसी सदस्य की मृत्यु, दिवालिया, पागल या अलग होने से कम्पनी के अस्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन साझेदारी में ऐसा नहीं है। जब तक कोई करार न हुआ हो, फर्म के किसी साझेदार की मृत्यु, दिवालिया होना, इत्यादि से साझेदारी फर्म का अन्त हो जाता है।

(7) **प्रबंध (Management)**: कम्पनी के कार्यों का प्रबंध एक निदेशक मंडल करता है। निदेशक मंडल में निदेशक साधारण सभा में शेयरधारियों द्वारा निर्वाचित, नियुक्ति या पुनः नियुक्त किए जाते हैं। कम्पनी के कार्यों के प्रबंध में सदस्यों की कोई भूमिका नहीं होती। दूसरी ओर साझेदारी में हर साझेदार फर्म के प्रबंध में भाग ले सकता है, यदि साझेदारी विलेख या करार के इसके विपरीत न दिया हो।

(8) **एजेन्सी सम्बंध (Agency Relationship):** शेयरधारी कम्पनी के एजेन्ट नहीं होते और उनको कम्पनी को अपने कार्यों से बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं होता। साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार फर्म का और दूसरे साझेदारों का एजेन्ट होता है। एक साझेदार दूसरे साझेदारों के कार्यों से बाध्य होता है यदि वे कार्य उस के स्पष्ट या प्रत्यक्ष अधिकार में हों।

(9) **सम्पत्ति (Property) :** कम्पनी की स्थिति में कम्पनी की सम्पत्ति उस के नाम होती है और इसका सम्पत्ति पर स्वामित्व होता है। यह किसी व्यक्तिगत शेयरधारियों की नहीं होती। कम्पनी के जीवनकाल में किसी भी शेयरधारी का कम्पनी की किसी भी सम्पत्ति में कोई विधिक या न्यायोचित हित नहीं होता। लेकिन साझेदारी की स्थिति में साझोदार फर्म की सम्पत्ति के संयुक्त स्वामी होते हैं।

(10) **सांविधिक अपेक्षाएं (Statutory Requirements):** एक कम्पनी के लिए विभिन्न सांविधिक औपचारिकताएं पूरा करना आवश्यक है। जैसे सांविधिक बहियां (statutory books) रखना व खातों का चार्टड अकाउन्टेंट से अंकेक्षण करवाना इत्यादि। लेकिन साझेदारी फर्म का ऐसा कोई सांविधिक दायित्व नहीं है।

(11) **शक्तियां (Power)** : कम्पनी की शक्तियां सीमानियम के उद्देश्य खंड में दी होती हैं। उन का परिवर्तन अधिनियम में दिये हुए तरीके से होता है। साझेदारी में साझेदार, साझेदारी विलेख (partnership deed) में आपसी सहमति से परिवर्तन सकते हैं।

(12) **विघटन (Dissolution):** कम्पनी के निगमित अस्तित्व का अन्त केवल कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जा सकता है। एक साझेदारी का विघटन किसी भी समय साझोदारों के करार से हो सकता है या एच्छिक साझेदारी में एक भी साझेदार के जाने पर।

(13) **विनियम विधान (Governing legislation)**: कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियमन और स्टॉक एक्सचेंज के

लिस्टिंग आवश्यकताओं (Listing requirements) द्वारा विनियमित की जाती है। जबकि साझेदारी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 द्वारा विनियमित की जाती है।

1.8 कम्पनी और सीमित दायित्व साझेदारी में अन्तर (Distinction Between Company and Limited Liability Partnership)

सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 एक नया अधिनियम है। इस अधिनियम में साझेदारी के गठन, साझदारों के दायित्व को सीमित रखने का कम्पनी के शेयरधारियों की तरह प्रावधान है। इस प्रकार जनता को साझेदारी अधिनियम 1932 या सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत साझेदारी फर्म गठन के लिए विकल्प है। यद्यपि एल.एल. पी. (limited liability partnership) में साझेदारों का दायित्व सीमित है परन्तु यह कम्पनी से कई बातों में भिन्न है। एक सीमित दायित्व साझेदारी और सीमित दायित्व कम्पनी में निम्नलिखित अन्तर हैं :–

(1) **विनियामक अधिनियम (Regulating Act):** एक सीमित दायित्व साझेदारी का विनियमन सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के अनुसार होता है, जब कि कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत नियमित होती है। कम्पनी के नाम के अंत में "लिमिटेड" या "प्राइवेट लिमिटेड" में होना चाहिये। जबकि सीमित दायित्व साझेदारी में नाम के अंत में "एल. एल. पी" या सीमित दायित्व साझेदारी होना आवश्यक है।

(2) **न्यूनतम और अधिकतम सदस्यों की संख्याः** सीमित दायित्व साझेदारी (एल• एल• पी•) (LLP) में न्यूनतम साझेदार 2 होने चाहिये जबकि पब्लिक कम्पनी में न्यूनतम संख्या 7 होनी आवश्यक है। सीमित दायित्व साझेदारी में अधिकतम संख्या की कोई सीमा नहीं हैं। लेकिन प्राईवेट कम्पनी में 200 सदस्यों से अधिक नहीं हो सकते।

(3) **शासन विधि ढांचा (Governance Structure):** एक मूल अन्तर सीमित दायित्व साझेदारी और कम्पनी में शासन विधि ढांचे का है। कम्पनी का ढांचा कानून द्वारा विनियमित (regulated) होता है अर्थात् कम्पनी अधिनियम 2013, सीमानियम और अंतर्नियमों द्वारा (Memorandum and Articles) जबकि सीमित दायित्व साझेदारी में यह साझेदारों के बीच संविदात्मक करार के द्वारा होता है।

(4) **प्रबंध (Management):** सीमित दायित्व साझेदारी में प्रबंध उन साझेदारों के हाथों में, नामित साझेदारों समेत, (designated partner)] होता है जिन्हें करार द्वारा अधिकार दिया हो, लेकिन कम्पनी में व्यापार के प्रबंध व नियत्रंण का अधिकार निदेशक मंडल को होता है, जिसे शेयरधारी चुनते हैं। अतः प्रबंध और स्वमित्व का विभाजन कम्पनी की तरह सीमित दायित्व साझेदारी में स्वाभाविक नहीं है।

(5) **हित का हस्तांतरण (Transfer of Interest):** सीमित दायित्व साझेदारी में साझेदार के आर्थिक अधिकार हस्तांतरित हो सकते हैं (यानी लाभों व हानि में हिस्सेदार का अधिकार, समापन के समय अपना अंशदान प्राप्त करना) (धारा 42)। फिर भी ऐसे हस्तांतरण का प्रभाव साझेदार को अलग नहीं कर सकेगा और न ही सीमित दायित्व साझेदारी का समापन और विघटन कर

सकेगा। इसके अतिरिक्त ना ही ऐसा हस्तांतरण हस्तांतरिती को सीमित दायित्व साझेदारी. का साझेदार बनाने और प्रबंध में भाग लेने का अधिकार देता है (धारा 42)। सीमित दायित्व साझेदारी का साझेदार बनने के लिए, जब तक साझेदारी करार में प्रतिकूल न दिया हो, सारे मौजूदा साझेदारों की स्वीकृति चाहिए। [अनुसूची 1, सीमित दायित्व साझेदारी, अधिनियम में संलग्न] लेकिन सार्वजनिक कम्पनी में एक शेयर धारी अपने शेयर बिना किसी रुकावट के हस्तातंरित कर सकता है और हस्तांतरिती सदस्यता के अधिकारों का उत्तराधिकारी बन जाता है।

(6) **अंकेक्षण (Audit):** कम्पनी के खातों का अंकेक्षण एक वैधानिक आवश्यकता है। परन्तु सीमित दायित्व साझेदारी. में नहीं है। सीमित दायित्व साझेदारी में यदि पूंजी अभिदान 25 लाख रु. से अधिक या 40 लाख रु से अधिक वार्षिक बिक्री ना हो तो अंकेक्षण आवश्यक नहीं है [Rule 28(8) of LLP Rules 2009]।

(7) **सभा (Meeting):** शेयरधारियों की वार्षिक साधारण सभा कम्पनी के लिए विधि द्वारा अनिवार्य है। लेकिन सीमित दायित्व साझेदारी में साझेदारों की वार्षिक सभी अनिवार्य नहीं है।

बोध प्रश्न ख

1) निगमन के आवरण का क्या अर्थ है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) ऐसी चार परिस्थितियों का उल्लेख कीजिये जिनमें निगमन का आवरण हटाया जा सकता है।

.....

.....

.....

.....

.....

3) कम्पनी और साझेदारी में तीन प्रमुख अंतर बताइये।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4) सीमित दायित्व साझेदारी और कम्पनी में अन्तर बताइये।

.....

.....

.....

.....

.....

5) रिक्त स्थानों को भरिये।

i) निगमन के कारण कम्पनी को एक..... व्यक्ति माना जाता है।

ii) यदि कम्पनी का एक अधिकारी, कम्पनी की ओर से अनुबंध करते समय अपनी ..... हैसियत नहीं बताता तो वह ऐसे अनुबंधों पर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो जाता है।

iii) जब दो देशों में युद्ध हो रहा है तो कम्पनी का ..... ज्ञात करने के लिए निगमन का आवरण हटाया जा सकता है।

iv) न्यायालय के हस्तक्षेप से और ..... के अन्तर्गत निगमन का आवरण हटाया जा सकता है।

v) सीमित दायित्व साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व ..... होता है।

6) बताइये कि निम्नलिखित कथन **सही** हैं या **गलतः**

i) कम्पनी की स्थापना उसके पंजीकरण पर होती है।

ii) कम्पनी का पंजीकरण वांछनीय तो है लेकिन अनिवार्य नहीं है।

iii) पंजीकरण के बाद एक कम्पनी व्यक्तियों की एक संस्था नहीं रहती है और इसे न्यायिक हैसियत प्राप्त हो जाती है।

iv) अपनी ऋणों की वसूली के लिये कम्पनी का लेनदार एक सदस्य की निजी सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

v) निजी कम्पनी को छोड़कर किसी भी अन्य कम्पनी का सदस्य स्वतंत्र रूप से अपने शेयरों को किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरिक कर सकता है।

vi) एक शेयर धारक कम्पनी का एजेन्ट नहीं होता।

vii) एक व्यक्ति एक ही समय पर कम्पनी की सदस्य और लेनदार दोनों ही हो सकता है।

1.9 कम्पनियों के प्रकार

कम्पनियों के वर्गीकरण करने के विभिन्न आधार है जो निम्नलिखित हैं:

1) निगमन (incorporation) के आधार पर

2) दायित्व (liability) के आधार पर

3) नियंत्रण (control) के आधार पर

विभिन्न कम्पनियों के व्यापक सर्वेक्षण के लिए चित्र 1.1 को ध्यानपूर्वक देखिए

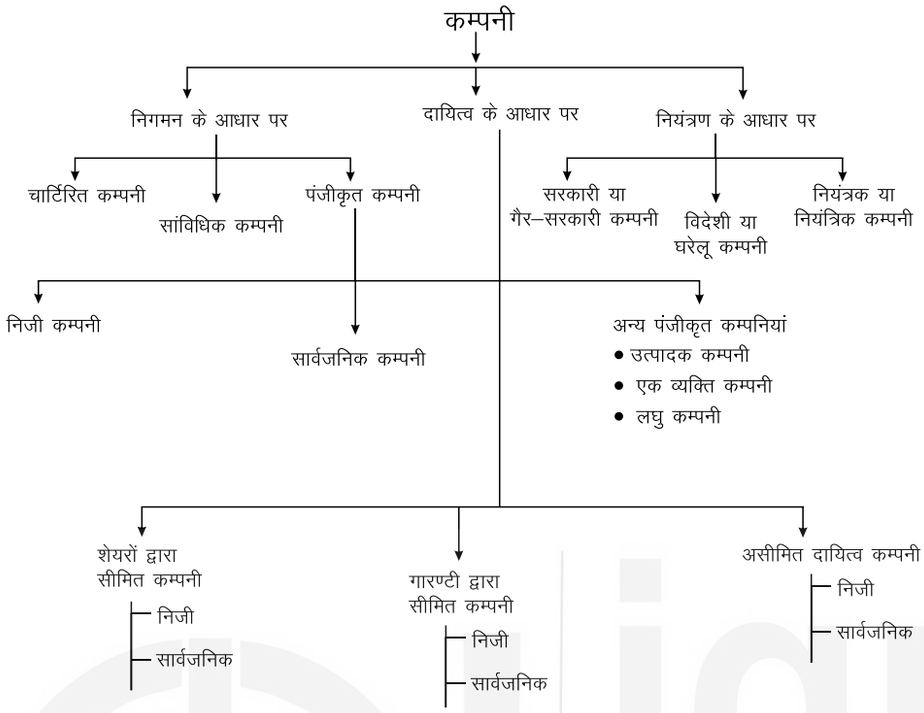

चित्र 1.1 कम्पनियों के प्रकार

1.9.1 निगमन के आधार पर

निगमन की पद्धति के आधार पर संयुक्त पूँजी कम्पनियों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में बांटा जाता है।

i) **चार्टरित कम्पनी (Chartered Company):** वह कम्पनी जिसका निगमन इंग्लैंड के राजा या रानी द्वारा अनुमत विशेष चार्टर के अन्तर्गत किया जाता है, चार्टरित कम्पनी कहलाती है। इस कम्पनी का विनियमन इसके चार्टर के द्वारा होता है। और इस पर कम्पनी अधिनियम लागू नहीं होता है। चार्टर ही कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति और इसके अधिकार को भी निर्धारित करता है। चार्टरित कम्पनी के जाने पहचाने उदाहरण ईस्ट इंडिया कम्पनी और बैंक ऑफ इंग्लैंड है। **ऐसी कम्पनी अब भारत में गठित नहीं की जा सकती।**

ii) **सांविधिक कम्पनी (Statutory Company):** सांविधिक कम्पनी वह कम्पनी है जिसका निर्माण संसद या किसी राज्य के विधान–मंडल के विशेष अधिनियम द्वारा किया जाता है। ऐसी कम्पनियां प्रायः सार्वजनिक उपयोगिताओं से सम्बन्धित उद्देश्य को पूरा करने के लिए गठित की जाती हैं। जिस विशेष अधिनियम के अन्तर्गत इनका निर्माण होता है उसी में ऐसी कम्पनियों की प्रकृति और अधिकार भी दिये होते हैं। इन पर कम्पनी अधिनियम के प्रावधान भी उस हद तक लागू होते हैं जहां तक वे विषष अधिनियम के प्रावधानों में सामंजस्य रखते हैं। सांविधिक कम्पनी का पृथक विधिक अस्तित्व भी होता है और इसके लिए अपने नाम के बाद "सीमित" शब्द का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। ऐसी कम्पनियों का अंकेक्षण भारत के ऑडिटर जनरल के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अन्तर्गत किया जाता है। और उनके कार्य की वार्षिक रिपोर्ट संसद या राज्य विधान–मंडल जैसी भी स्थिति हो, में रखनी होती है। ऐसी कम्पनियों के सुविदित उदाहरण भारत का रिजर्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय खाद्य निगम, और स्टेट बैंक और इंडिया आदि हैं।

iii) **पंजीकृत या निगमित कम्पनी (Registered or incorporated Company):** एक पंजीकृत कम्पनी वह है जो कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत हुई है और वे कम्पनियां जिनका गठन व पंजीकरण पहले से किसी अधिनियम के अन्तर्गत हुआ है। एक पंजीकृत कम्पनी अस्तित्व में तभी आती है जब इसे निगमन का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है। पंजीकृत कम्पनियां कम्पनी अधिनियम 2013 द्वारा नियमित होती हैं।

एक पंजीकृत कम्पनी निजी कम्पनी या सार्वजनिक हो सकती है। एक निजी कम्पनी वह होती है जो अपने अंतर्नियमों (Articles of Association) द्वारा (क) शेयरों के हस्तांतारण के अधिकार को सीमित करती है, (ख) अपने सदस्यों की संख्या (वर्तमान व भूतपूर्व कर्मचारियों को शामिल किया बिना) 200 तक सीमित रखती है और (ग) जनता को कम्पनी के शेयरों या ऋणपत्रों के लिए अभिदान करने के लिए आमंत्रण करने का निषेध करती है। [धारा 2(68)]

दूसरी ओर, एक सार्वजनिक कम्पनी वह होती है जो निजी कम्पनी नहीं है / या जो ऐसी प्राईवेट कम्पनी है जो सार्वजनिक कम्पनी की नियंत्रित कम्पनी है इस बात के बावजूद भी ऐसी नियंत्रित कम्पनी अपने अन्तर्नियमों में प्राइवेट कम्पनी बनी रहती है धारा 2(71)।

एक निजी कम्पनी बनाने के लिए न्यूनतम दो सदस्यों की आवश्यकता होती है जबकि एक सार्वजनिक कम्पनी के लिए न्यूनतम संख्या सात है।

1.9.2 दायित्व के आधार पर

दायित्व के आधार पर एक निगमित कम्पनी (1) शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी हो सकती है या (2) गारण्टी द्वारा सीमित कम्पनी हो सकती है या (3) असीमित कम्पनी हो सकती है।

(1) **शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी (Company Limited by Shares):** वह कम्पनी जिसमें इसके सदस्यों का दायित्व उनके शेयरों पर अदत्त राशि, यदि कोई है, के आधार पर सीमानियम द्वारा सीमित होता है, 'शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी' कहलाती है [धारा 2(22)]। ऐसी कम्पनियों को आमतौर पर सीमित दायित्व वाली कम्पनियों के रूप में जाना जाता है। यद्यपि कम्पनी का दायित्व सीमित नहीं होता, सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। दायित्व को कम्पनी के सदस्यों के विरुद्ध कम्पनी के जीवन काल में या समापन के दौरान प्रवर्तित किया जा सकता है। ऐसी कम्पनी के पास शेयर पूंजी होनी चाहिए क्योंकि दायित्व की सीमा शेयरों के अंकित मूल्य द्वारा निर्धारित की जाती है। फिर भी शेयरों पर अदत्त राशि के भुगतान का कोई दायित्व नहीं होता जब तक कानून व अन्तर्नियम के अनुसार शेयर की मांग (calls) ना हो, जब तक कम्पनी एक चालू व्यवसाय है और समापन के समय शेयर की मांग की जाए।

(2) **गारण्टी द्वारा सीमित कम्पनी (Company Limited by Guarantee):** अधिनियम की धारा 2(21) के अनुसार जिस कम्पनी के सदस्यों का दायित्व उसके सीमानियम के द्वारा उस राशि तक सीमित किया जाता है जो वे कम्पनी के समापन की स्थिति में कम्पनी की परिसम्पत्तियों को अंशदान करने का वचन देते हैं, को गांरटी द्वारा सीमित कम्पनी कहा जाता है। [धारा 2(21)]।

ऐसी कम्पनी के पास शेयर पूँजी होनी आवश्यक नहीं है। यदि गारण्टी द्वारा

सीमित कम्पनी का गठन बिना शेयर पूँजी के किया जाता है तो सदस्य केवल गारण्टी की गयी राशि के लिए ही दायी है और वह भी तब जब कम्पनी का समापन हो।

लेकिन यदि गारण्टी द्वारा सीमित कम्पनी का गठन शेयर पूँजी के साथ किया जाता है तो सदस्य अपने शेयरों पर अदत्त राशि दने के लिए दायी है। लेकिन गारण्टी की गयी राशि केवल कम्पनी के समापन के समय मांगी जा सकती है।

iii) **असीमित कम्पनी (Unlimited Company):** जिस कम्पनी के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है उस कम्पनी को एक 'असीमित कम्पनी' कहा जाता है [धारा 2(92)]। अतः असीमित कम्पनी में सदस्यों का दायित्व कम्पनी के सारे ऋण व दायित्व की कुल राशि तक होता है। आप यह देखेंगे की असीमित कम्पनियों के सदस्यों का दायित्व साझेदारों के दायित्व की भांति होता है, परन्तु साझेदारों के दायित्व के विपरीत कम्पनी के सदस्यों पर सीधा वाद नहीं किया जा सकता। चूंकि कम्पनी का पृथक विधिक अस्तित्व होता है इसलिए कम्पनी के विरुद्ध ही वाद होगा। अतः लेनदारों को अपने दावों के लिए कम्पनी के समापन के लिए आवेदन देना होगा। लेकिन सरकारी समापक सदस्यों को बिना किसी सीमा के दायित्व व ऋणों के भुगतान के लिए बुला सकता है। एक असीमित कम्पनी के पास शेयर पूंजी होना आवश्यक नहीं है।

धारा 18 के अनुसार कम्पनी जिस का पंजीकरण असीमित कम्पनी की भांति हुआ है बाद में सीमित कम्पनी में परिर्वतन सकती है। परन्तु ऐसे परिवर्तन से किसी ऋण, दायित्वों, आवेदनों या अनुबन्धों पर जो कम्पनी की ओर से किए गए थे कोई प्रभाव नहीं होगा।

1.9.3 नियंत्रण के आधार पर

आइये अब नियंत्रण के आधार पर कम्पनियों के वर्गीकरण का अध्ययन करें जैसे कि कम्पनी के मामलों को कौन प्रभावषाली रूप से नियंत्रित करता है। इस आधार पर कम्पनियों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जाता हैः

i) नियंत्रक कम्पनी और नियंत्रित कम्पनी

ii) सरकारी कम्पनी

iii) विदेशी कम्पनी

(i) **नियंत्रक और नियंत्रित कम्पनी (Holding and Subsidiary Company):** बोल चाल की भाषा में, जब एक कम्पनी दूसरी कम्पनी को नियंत्रित करती है तो नियत्रंण करने वाली कम्पनी को 'नियत्रक कम्पनी' (holding company) और जिस कम्पनी पर नियंत्रण किया जाता है उसे 'नियंत्रित कम्पनी' या सहायक कम्पनी (subsidiary company) कहते हैं।

अधिनियम की धारा 2(87) के अनुसार नियंत्रित कम्पनी या नियंत्रित किसी अन्य कम्पनी के संबंध में (जैसे नियंत्रक कम्पनी) से अभिप्राय है, एक कम्पनी जिसमें नियंत्रक कम्पनीः

(i) निदेशक बोर्ड के संघटन का नियंत्रण करती है; या

(ii) कुल शेयर पूंजी के आधे से अधिक का नियंत्रण या तो वह स्वयं या अपनी एक या अधिक नियंत्रित कम्पनियों के साथ मिलकर करती है।

एक कम्पनी (मान लीजिए यह (S) कम्पनी है) दूसरी कम्पनी (मान लीजिए ये (H) है) की केवल निम्नलिखित स्थितियों में नियंत्रित कम्पनी मानी जाएगीः

i) जब कम्पनी (कम्पनी (H) दूसरी कम्पनी (कम्पनी S) के निदेशक मंडल के संघटन को नियत्रित करती है;

ii) जब कम्पनी (H) के पास (S) कम्पनी की आधे से अधिक इक्विटी शेयर पूंजी है। जहां कम्पनी 'H' कम्पनी 'S' के साथ मिलकर कम्पनी 'Z' की आधे से अधिक कुल शेयर पूंजी का भाग रखती है उस स्थिति में कम्पनी 'Z' कम्पनी 'H' की नियंत्रित कम्पनी होगी।

iii) जब कम्पनी 'S' एक अन्य कम्पनी 'T' की नियंत्रित कम्पनी है और कम्पनी 'T' कम्पनी 'H' की नियंत्रित कम्पनी है।

केवल ऊपर बतायी गयी स्थितियों में ही कम्पनी 'S' कम्पनी 'H' की नियंत्रित कम्पनी मानी जाएगी।

जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि एक नियंत्रक कम्पनी प्रायः नियंत्रित कम्पनी की एक प्रमुख शेयर होल्डर होती है और कानून की दृष्टि से दोनों का पृथक विधिक अस्तित्व होता है। जब तक दोनों कम्पनियों में कोई विशिष्ट अनुबन्ध न हो, इसमें से कोई भी दूसरे की एजेन्ट नहीं कही जा सकती। एक नियंत्रित कम्पनी को नियंत्रक कम्पनी का एक अंग भी नहीं का जा सकता।

ii) **सरकारी कम्पनी (Government Company):** कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के अनुसार एक सरकारी कम्पनी का अर्थ हैः "कोई भी वह कम्पनी (जो कम्पनी अधिनियम में पंजीकृत हुई हो। जिसमें कम से कम 51% प्रदत्त शेयर पूँजी

(i) केन्द्रीय सरकार या

(ii) राज्य सरकार या सरकारों या

(iii) अंशतः केन्द्रीय सरकार और अंशतः राज्य सरकार या सरकारों के पास है।

इसमें वह कम्पनी जो सरकारी कम्पनी की नियंत्रित कम्पनी है को भी सरकारी कम्पनी माना जाता है। इन्जीनियर इंडिया लिमिटेड, बी.एच.ई.एल. और हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सरकारी कम्पनियों के उदाहरण हैं।

एक सांविधिक निगम संसद के विशेष अधिनियम या राज्य के अधिनियम के द्वारा गठन की जाती है जैसे जीवन बीमा निगम (LIC of India) वह कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी नहीं हैं। इसलिए ऐसी निगम सरकारी कम्पनी नहीं है। ऐसी निगम सरकारी कम्पनियों से भिन्न हैं और उन का पंजीकरण व नियंत्रण उन से सम्बंधित अधिनियमों द्वारा होता है।

एक सरकारी कम्पनी सरकार की एजेंट नहीं होती। यह और कम्पनियों की तरह जो कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है अपने सदस्यों से पृथक होती है। इनके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते। और कम्पनियों की तरह वह भी निजी व सार्वजनिक होती हैं। इन पर भी और कम्पनियों की तरह कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू होते हैं।

(iii) **विदेशी कम्पनी (Foreign Company):** धारा 2 (42) के अनुसार 'विदेशी कम्पनी' का अर्थ भारत के बाहर निगमित कोई कम्पनी या निगमित निकाय है

(i) जिसका भारत में चाहे स्वयं द्वारा या किसी एजेन्ट द्वारा भौतिक रूप से या इलेक्ट्रानिक पद्धति द्वारा, कारोबार का स्थान है और

(ii) जो किसी अन्य तरीके से भारत में किसी भी व्यापारिक क्रियाकलाप का संचालन करती है।

यद्यपि धारा 386 (c) के अनुसार शेयर हस्तांतरण कार्यालय या शेयर पंजीकरण कार्यालय व्यापार का स्थान भी हो सकता है।

धारा 380 के अंतर्गत प्रत्येक विदेशी कम्पनी को भारत में व्यापार के क्षेत्र की स्थापना के 30 दिन के भीतर कम्पनी के रजिस्ट्रार को निम्नलिखित दस्तावेज जमा कराने आवश्यक है:

(क) कम्पनी के चार्टर, कानून या सीमानियम और अंतर्नियम या कम्पनी का गठन करने वाले या गठन को परिभाषित करने वाले कोई अन्य लिखित प्रलेख और यदि अंग्रेजी भाषा में प्रलेख (instruments) नहीं है तो अंग्रेजी भाषा में उसका प्रमाणित अनुवाद;

(ख) कम्पनी के पंजीकृत या प्रधान कार्यालय का पूरा पता

(ग) कम्पनी के निदेशकों और सचिव की सूची, जिस में ऐसे विवरण होंगे, जैसा निर्धारित (prescribed) है;

(य) भारत में रहने वाले एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों के नाम और पते जो कम्पनी की ओर से कोई नोटिस या विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत कोई दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हों;

(ड) भारत में कम्पनी के उस कार्यालय का पूरा पता, जिस के बारे में यह माना जाएगा कि वह भारत में व्यवसाय का मुख्य स्थान है;

(च) पूर्व अवसर या अवसरों पर भारत में खोले गए और बन्द किए गए व्यवसाय के स्थानों का ब्यौरा;

(छ) यह घोषणा कि कम्पनी का कोई निदेशक या भारत में कम्पनी का प्राधिकृत प्रतिनिधि कभी भी अपराधी नहीं घोषित किया गया या भारत में अथवा विदेश में कम्पनी के गठन और प्रबंध करने से रोका नहीं गया है; और

(ज) कोई अन्य जानकारी जो विहित की जाए।

जहां इस धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रार को सुपुर्द किए गए दस्तावेजों में कोई परिवर्तन किया जाता है या होता है, वहां विदेशी कम्पनी ऐसे परिवर्तन के तीस दिन के भीतर परिवर्तन के ब्यौरों वाली एक विवरणी, पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार को विहित प्रारूप में भेजेगी।

धारा 382 के अनुसार प्रत्येक विदेशी कम्पनी सहजदृश्य (conspicusouly) रूप में अपने कार्यालय या उस स्थान के बाहर जहां वह कारोबार करती है प्रदर्शित करेगी और हर प्रविवरण में (i) कम्पनी का नाम (ii) उस देश का नाम जहां वह निगमित की गयी है (iii) यह तथ्य कि सब सदस्यों का दायित्व सीमित है।

उपर्युक्त सूचना सभी कारोबार पत्रों, बिल शीर्ष, कागजपत्रों और नोटिसों और कम्पनी के अन्य अधिकारिक प्रकाशनों में अंग्रेजी में और उस स्थान की उपयोग में आने वाली स्थानीय भाषा में जहां कार्यालय या स्थान स्थित है निर्दिष्ट करेगी।

धारा 381 के अनुसार प्रत्येक विदेशी कम्पनी सिवाए उस वर्ग की कम्पनियों के जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा छूट प्राप्त है, प्रत्येक कैलेडंर वर्ष में :–

क) ऐसे प्रारूप मे बैलेंस शीट और लाभ हानि लेखा तैयार करेगी, जिस में ऐसे विवरण होंगे या ऐसे दस्तावेज सम्मिलित होंगे या उस से उपाबद्ध या सलंग्न होगे जो निर्धारित किए गये हैं; और

ख) उन दस्तावजो की एक प्रति रजिस्ट्रार को सपुर्द करेगी।

विदेशी कम्पनी को भी अधिनियम की धारा 92 के प्रावधान जो वार्षिक विवरणी के रजिस्ट्रार के पास जमा करने से सम्बंधित हैं लागू होते है।

1.10 पंजीकृत कम्पनियों के अन्य प्रकार (Other Kinds of Registered Companies)

अन्य पंजीकृत कम्पनियां की श्रेणी में ये कम्पनियां हैः

1. उत्पादक कम्पनी (producer Company)
2. एक व्यक्ति कम्पनी (one person Company)
3. लघु कम्पनी (small Company)

1.10.1 उत्पादक कम्पनी*

डा. अलग अयोग की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित प्रावधान उत्पादक कम्पनियों से संबधित हैः

(1) **उत्पादक कम्पनी का अर्थ** : उत्पादक कम्पनी वह निगमित निकाय है जिस का सम्बंध उन सभी कार्यकलाप से है जो प्राथमिक उत्पाद से जुड़ा या संबधित है। प्राथमिक उत्पाद से अभिप्राय (i) किसानों का वह उत्पाद जो कृषि से उत्पन्न होता है (इस में पशुपालन, मधुमक्खी पालन आदि शामिल हैं) या (ii) और कोई दूसरी प्राथमिक कार्यकलाप जिस से किसानों या उपभोगताओं के हित को प्रोत्साहन देना हो या (iii) उन लोगों द्वारा उत्पादन जो हथकरगा व दस्तकारी और कुटीर उद्योग में लगें हैं या (iv) ऊपर लिखे कार्यकलापों से जुड़ी उप–उत्पाद या सहायक वस्तु।

(2) **सदस्यों की न्यूनतम व अधिकतम संख्या** : कोई भी दस या अधिक उत्पादकों** द्वारा, जो व्यक्ति हैं, या दो या अधिक उत्पादक सस्थाएं*** या दस या अधिक व्यक्तियों और उत्पादक संस्थाओ का संगठन एक उत्पादक कम्पनी बना सकते हैं। परन्तु जो व्यक्ति, जिसका व्यापारिक हित उत्पादक कम्पनी के व्यापारिक हित का विरोधी है उस कम्पनी का सदस्य नहीं बन सकता। अधिकतम सदस्यों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है।

(3) **शेयर पूंजीः** उत्पादक कम्पनी की शेयर पूंजी केवल साधारण शेयर ही होंगे।

(4) **शेयरों का पारेषण और हस्तांतरणः** उत्पादक कम्पनी के सदस्यों के शेयर

---

* यहां नोट करें कि कम्पनी अधिनियम की धारा 465 के अनुसार उत्पादक कम्पनियां कम्पनी अधिनियम 1956 के द्वारा विनियमति की जाएंगी जब तक विशेष अधिनियम नहीं बनाया जाता।

** उत्पादक का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसका कार्यकलाप प्राथमिक उत्पादक से जुड़ा होता है।

*** उत्पादक संस्थान से अर्थ उत्पादक कम्पनी या और अन्य संस्थान से है जिसके सदस्य केवल उत्पादक कम्पनी (यों) उत्पादक है (हैं) चाहे उसका निगमन हुआ है या नहीं जिनका उद्देश्य धारा 581B के अंतर्गत है और जो इनके अतंर्नियमों के अनुसार उत्पादक (कों) के सेवाओं का उपयोग करने के लिए सहमत हो गए हैं।

हस्तांतरित नहीं हो सकते केवल बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से सक्रिय सदस्य को हस्तांतरित हो सकते हैं। यदि हस्तांतरण की अनुमति मिल जाती है तो हस्तांतरण केवल शेयर के अंकित मूल्य पर होगा। किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर शेयर मृतक के मनोनीत व्यक्ति के नाम पंजीकृत होंगे जिसका उत्पादक होना आवश्यक है।

(5) **सदस्यों का दायित्वः** उत्पादक कम्पनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिए शेयरों के अदत्त राशि तक ही यदि है, सीमित होता है।

(6) **प्रवर्तक का पारिश्रामिक** : उत्पादक कम्पनी, सदस्यों की पहली साधारण सभा में उन की स्वीकृति से, इसके प्रर्वतकों को कम्पनी के निगमन और पंजीकरण से संबधित सभी प्रत्यक्ष लागत, जिसमें, कानूनी फीस, सीमानियम और अन्तर्नियम छपवाना भी शामिल है, की पूर्ति कर सकती है।

(7) **निजी कम्पनी का दर्जा** : पंजीकरण होने पर, उत्पादक कम्पनी एक निगमित निकाय बन जाती है मानो यह एक निजी कम्पनी है अपने नाम के आगे प्राइवेट शब्द लगाये बिना और सदस्यों की संख्या पर किसी सीमा के बिना। धारा 581F के अनुसार एक उत्पादक कम्पनी के नाम के अन्त में "उत्पादक कम्पनी लिमिटेड" होगा।

(8) **सदस्यों के मत अधिकार** :

(क) जब उत्पादक कम्पनी के सदस्य (i) केवल व्यक्ति ही सदस्य हों या (ii) व्यक्ति और उत्पादक संस्थाएं हों तो मत अधिकार प्रत्येक सदस्य का एक वोट होगा चाहे उस के कितने ही शेयर हों या उसे उत्पादक कम्पनी का संरक्षण प्राप्त हो।

(ख) यदि सदस्यता केवल उत्पादक संस्थानों की है तो मत अधिकार इन संस्थानों के उत्पादक कम्पनी के व्यापार में पिछले वर्ष भाग लेने के आधार पर, जैसा अन्तनियमों में वर्णित हो, निर्धारित होंगे। परन्तु जिस वर्ष में जब कम्पनी का पंजीकरण हुआ है, मत अधिकार इन उत्पादक संस्थाओं के शेयरों के आधार पर होगा।

(9) **सदस्यता की समाप्तिः**

कोई व्यक्ति जिस का व्यापारिक हित उत्पादक कम्पनी के व्यापार के हित के विरोध में है सदस्य नहीं बन सकता। यदि कोई सदस्य रहते हुए उत्पादक कम्पनी के व्यापार के विरुद्ध हित प्राप्त करता है वह अन्तर्नियमों के अनुसार सदस्यता से हटाया जाएगा और यदि कोई सदस्य प्राथमिक उत्पादक नहीं रहता तो भी उस कि सदस्यता समाप्त हो जाएगी। उस को, उस के शेयरों के सममूल्य या कोई और मूल्य मंडल की अनुमति से चुका दिया जाएगा।

(10) **सदस्यों के लाभ** :

(क) सदस्यों को अपनी सांझा या पूर्ति (pool or supply) किए हुए उत्पादक का पूरा मूल्य नहीं दिया जाएगा। रोकी हुई रकम (withheld price) बाद में नकद या साधारण शेयरों के रूप में, जैसा बोर्ड अनुमति दे, दी जाएगी।

(ख) सदस्यों को उन की पूंजी पर एक सीमित लाभ मिलेगा।

(ग) सदस्यों को बोनस शेयर भी आबंटित किए जा सकते हैं।

(ड) (i) धारा 581(z) के अनुसार सीमित लाभ और संचय (limited return and reserves) के प्रावधान करने के बाद (ii) उत्पादक कम्पनी को व्यापार के विकास के लिए प्रावधान करने पर; (iii) सामान्य सुविधाओं का प्रावधान करने पर अधिशेष (surplus), यदि कोई है, तो उसे बोनस के रूप में सदस्यों के व्यापार में भाग लेने के अनुपात से वितरित किया जा सकता है। यह नकद और इक्विटी शेयर के रूप में दिया जा सकता है।

(11) **सामान्य सभाएं:**

(i) **प्रथम वार्षिक सभा** : प्रथम वार्षिक सभा उत्पादक कम्पनी को निगमन के 90 दिनों के अन्दर करनी होगी, इस में अंतर्नियमों की स्वीकृति, निदेशकों की नियुक्ति का कार्य होता है। समय सीमा को बढ़ाया नहीं जा सकता।

(ii) **अगामी वार्षिक सभाएं** : दो वार्षिक सभाओं में 15 माह से अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए। कम्पनी रजिस्ट्रार इसे 3 माह तक बढ़ा सकता है।

(iii) **वार्षिक सभा का समय और स्थान** : इस बारे में जो प्रावधान और कम्पनियों पर लागू होते हैं वो ही उत्पादक कम्पनी पर लागू होते हैं। अतः वार्षिक साधारण सभा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में होनी चाहिए, छुट्टी वाले दिन नहीं होनी चाहिए और कारोबार समय (Business times) में होनी चाहिए।

(iv) **असाधारण सभा** : कम्पनी के मतअधिकार रखने वाले कुल सदस्यों का 1/3 भाग या उससे से अधिक के मांग पत्र पर उसने हस्ताक्षरों के साथ पर निदेशकों द्वारा यह सभा बुलाई जा सकती है।

(v) **नोटिस** : नोटिस (क) सभी सदस्यों तथा (ख) कम्पनी के अंकेक्षकों को भेजा जाना चाहिए।

(vi) **कोरम** : वार्षिक साधारण सभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का 1/4 उपस्थित होना आवश्यक है। अन्तर्नियमों द्वारा इस से अधिक कोरम का भी प्रावधान हो सकता है। असाधारण सभा के लिए कोई कोरम निर्धारित नहीं होता।

1.10.2 एक व्यक्ति कम्पनी (One Person Company)

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(62) के अनुसार एक व्यक्ति कम्पनी की परिभाषा इस प्रकार है 'एक व्यक्ति कम्पनी से अभिप्राय ऐसी कम्पनी से है जिस में सदस्य के रूप में केवल एक व्यक्ति है।' धारा 3(1)(c) कहती है कि 'कोई कम्पनी, किसी वैध प्रयोजन के लिए, एक व्यक्ति द्वारा बनायी जा सकती है, जहां बनाई जाने वाली कम्पनी एक व्यक्ति कम्पनी होगी, अर्थात निजी कम्पनी सीमानियम में अपने नाम से हस्ताक्षर करने और पंजीकरण के संबंध में इस अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए बनाई जा सकेगी।

एक व्यक्ति कम्पनी (OPC) का पंजीकरण शेयर द्वारा सीमित कम्पनी या गारण्टी द्वारा सीमित कम्पनी के रूप मे कराया जा सकता है।

एक व्यक्ति कम्पनी के सीमानियम में किसी दूसरे व्यक्ति का नाम, निर्धारित फार्म में (फार्म न0 INC 3) उस की पूर्व लिखित अनुमति से दिया जाएगा, जो अभिदाता की मृत्यु की या अनुबन्ध न करने की क्षमता की दशा में कम्पनी का सदस्य बनेगा। जब

कम्पनी का पंजीकरण होगा। यह लिखित अनुमति रजिस्ट्रार के पास सीमानियम व अन्तर्नियमों के साथ फाइल करनी होगी जिस व्यक्ति का नाम दिया है वह किसी समय अपनी सहमति जैसा कि निर्धारित हो वापिस ले सकता है।

एक व्यक्ति कम्पनी के प्रवर्तक (प्रोमोटर) सदस्य की मृत्यु होने पर, वह व्यक्ति जिस का नामांकन किया है उसे सारे शेयर प्राप्त होंगे। उसे वे ही अधिकार, दायित्व, लाभांश जो पहले एकमात्र प्रर्वतक सदस्य को प्राप्त थे, प्राप्त या दायी होंगे।

एक व्यक्ति कम्पनी का सदस्य ऐसे दूसरे व्यक्ति का नाम किसी भी समय नोटिस द्वारा बदल सकता है और इस परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को निर्धारित समय और विधि के अनुसार देनी होगी।

'एक व्यक्ति कम्पनी' (OPC) शब्दों को कोष्टक में, उस कम्पनी के नाम के नीचे, उल्लेखित जाएगा जहां कही भी इस का नाम मुद्रित हो, लगाया गया हो या उत्कीर्ण हो।

एक व्यक्ति कम्पनी (ओ• पी• सी•) को मिलने वाली छूटें

एक व्यक्ति कम्पनी को मिलने वाली छूटों में शामिल हैं:

1. रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने की कोई आवश्यकता नहीं [(धारा (2) (40)]।
2. वार्षिक विवरणी पर निदेशक भी हस्ताक्षर कर सकता है। कम्पनी सचिव के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है (धारा 92)।
3. वार्षिक साधारण सभा की आवश्यकता नहीं है (धारा 96)।
4. साधारण सभा व असामान्य सभा से सम्बंधित विशेष प्रावधान (provisons) लागू नहीं होते हैं (धारा 100 से 111 तक)।
5. यदि प्रस्तावों (resolutions) को कम्पनी की केवल कार्यवृत पुस्तक में प्रविष्ट किया है तो यह अनुपालन माना जाएगा (धारा 122)।
6. यदि अंकेक्षित (audited) वित्तीय विवरण को एक ही निदेशक हस्ताक्षर करता है तो यह प्राप्य होगा (धारा 134)।
7. वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर 30 दिन की बजाए 6 महीने के भीतर वित्तीय विवरण फाइल किए जा सकते हैं (धारा 137)।
8. एक व्यक्ति कम्पनी को निदेशक बोर्ड की केवल एक सभा, कलेन्डर वर्ष में प्रत्येक छह महीने में करनी होगी। परन्तु दो सभाओं के बीच का अन्तर 90 दिन से कम नहीं होना चाहिये (धारा 173)।

एक व्यक्ति कम्पनी पर लागू विशेष प्रावधान

धारा 193 कहती हे 'जहां शेयरों या प्रतिभूतियों से सीमित एक व्यक्ति कम्पनी, कम्पनी के एक मात्र सदस्य से, जो कम्पनी का निदेशक भी है अनुबन्ध करती है वहां कम्पनी जब तक अनुबन्ध लिखित में नहीं हो, इस बात को सुनिश्चित करेगी कि अनुबन्ध की शर्तें या प्रस्ताव सीमानियम में अंतर्विष्ट हैं या अनुबन्ध करने के पश्चात् कम्पनी की आयोजित की गयी निदेशक बोर्ड की आगामी पहली सभा के विवरण (minuted) में अभिलिखित है। परन्तु यह कम्पनी द्वारा अपने व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में किए गये अनुबन्धों पर लागू नहीं होगा।

केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार

1) केवल एक प्राकृतिक व्यक्ति ही जो भारतीय नागरिक है और भारत का निवासी है "एक व्यक्ति कम्पनी" का निगमन कर सकता है या "एक व्यक्ति कम्पनी" के एक मात्र सदस्य का नामित भी नियुक्त हो सकता है। 'भारत का निवासी' शब्द का अर्थ उस व्यक्ति से है जो एक वित्तीय वर्ष से पहले वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो (नियम नः 3.1)।

2) कोई भी व्यक्ति एक से अधिक "एक व्यक्ति कम्पनी" का निगमन नहीं कर सकता और ऐसी कम्पनी का नामित नहीं हो सकता। (नियम नः 3.2)।

3) कोई भी अवयस्क "एक व्यक्ति कम्पनी" में सदस्य या नामित नहीं हो सकता या न ही किसी लाभकारी हित में हिस्सेदार हो सकता है। (नियम नः 3.4)।

4) ऐसी कम्पनी कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अन्तर्गत निगमन या सपरिवर्तन नहीं कर सकती (नियम नः 3.5) या गैर बैकिंग वित्तीय गतिविधियां, जिस में किसी निगमित निकाय की प्रतिभूतियों में निवेश भी शामिल है, का कार्य कलाप नहीं चला सकती (नियम 3.6)।

5) जब एक व्यक्ति कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक और उस समय उस की औसत वार्षिक बिक्री दो करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है तो वह "एक व्यक्ति कम्पनी" के रूप समाप्त हो जाएगी और जारी नहीं रह सकती (नियम 3.7)।

जब ऐसी कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 50 लाख रूपए से अधिक हो जाए और बिक्री 2 करोड़ रुपए से अधिक हो जाए तो उस तिथि से छह मास के अन्दर ऐसी कम्पनी अपने को निजी या सार्वजनिक कम्पनी में परिवर्तित कर सकती है। (नियम 6)।

6) **एक व्यक्ति कम्पनी का प्राईवेट या पब्लिक कम्पनी में परिवर्तन** : – एक व्यक्ति कम्पनी अपने को प्राईवेट या पब्लिक कम्पनी में परिवर्तित कर सकती है परन्तु इसे न्यूनतम सदस्य और निदेशक की संख्या दो या न्यूनतम सात सदस्य और तीन निदेशक जैसी भी स्थिति हो करने होगें और अपनी न्यूनतम प्रदत्त पूंजी इस श्रेणी की कम्पनी के लिए अधिनियम के अनुसार करनी होगी और धारा 18 के परिवर्तन के प्रावधानों का पालन करना होगा अर्थात् पहले से पंजीकृत कम्पनियों का परिवर्तन (नियम 6)। फिर भी, ऐसी कम्पनी स्वेच्छा से किसी प्रकार की कम्पनी में परिवर्तित नहीं हो सकती जब तक इस के निगमन की तारीख से छह मास नहीं बीत गए हों। (नियम 3.7)।

1.10.3 लघु कम्पनी (Small Company)

कम्पनी अधिनियम 2013 में लघु कम्पनी की संकल्पना का पहली बार परिचय हुआ है। कम्पनी अधिनियम 2013 धारा 2(85) कम्पनी (संशोधन) अधिनियम 2017 द्वारा संशोधित के अनुसार पब्लिक कम्पनी के अतिरिक्त लघु कम्पनी, है –

(i) जिस की प्रदत्त शेयर पूँजी पचास लाख रुपए या उस उच्चतर राशि से, जो निर्धारित की गयी है जो दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी; और

(ii) जिसकी तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष कुल बिक्री उसके अंतिम लाभ और हानि खातों के अनुसार दो करोड़ रुपए या वह उच्चतर राशि से जो एक सौ संदर्भ में निर्धारित की जाए, जो एक सौ करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी;

यद्यपि लघु कम्पनी अभिव्यक्ति में शामिल नहीं होगी :

(अ) नियंत्रण कम्पनी या कोई नियंत्रित कम्पनी

(आ) लाभ न कमाने वाली संस्था (कम्पनी अधिनियम 2013 के धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनी)

(छ) किसी विशेष अधिनियम द्वारा नियमित कोई कम्पनी या निगमित निकाय

ऐसी कम्पनी में रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने की कोई आश्यकता नहीं, वार्षिक विवरणी पर निदेशक या सचिव हस्ताक्षर कर सकता है, और आधे कैलेन्डर वर्ष में एक सभा बुलानी चाहिए और दो सभाओं के बीच 90 दिन से कम अन्तर नहीं होना चाहिये।

1.11 संस्था जिसका उद्देश्य "लाभ" कमाना नहीं है (धारा 8)

ऐसी संस्था जो लाभ कमाने के लिए नहीं है वह संस्था है जिस का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि वाणिज्य, कला, विज्ञान, खेल कूद, शिक्षा, अनुसंधान, समाज कल्याण, धर्म, पूण्य पर्यावरण का संरक्षण या किसी ऐसे अन्य उद्देश्य का संवर्धन करना है (धारा 8)। ऐसी संस्था कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो सकती है या नहीं भी हो सकती। जब ऐसी संस्था सीमित कम्पनी के रूप में कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होती है तब केन्द्रीय सरकार उसे लाईसेंस दे सकती है। जिस व्यक्ति* या संस्था का सीमित कम्पनी के रूप में इस अधिनियम में पंजीकृत होने जा रहा है ऐसा लाइसेंस केन्द्रीय सरकार तभी देगी जब वह संतुष्ट हो जाए कि इस कम्पनी का:

(क) उद्देश्य वाणिज्य, विज्ञान, खेलकूद, शिक्षा, अनुसंधान समाज कल्याण, धर्म, पर्यावरण का संरक्षण या किसी ऐसे अन्य उद्देश्य का संवर्धन करना है;

(ख) अपने लाभों को, यदि कोई है, या अन्य आय को अपने उद्देश्यों के संवर्धन के लिए उपयोग करना चाहती है; और

(ग) अपने सदस्यों को किसी लाभांश के भुगतान का निषेध करती है।

जब ये शर्तें पूरी हो जाती हैं तब केंद्रीय सरकार लाईसेंस द्वारा उस व्यक्ति या संस्था को निर्देश दे सकती है कि वह कम्पनी अपने नाम के आगे 'लिमिटेड' या 'प्राईवेट लिमिटेड शब्द जोड़े बिना पंजिकरण करा सकती है। केन्द्रिय सरकार लाईसेंस देते समय कोई भी शर्त या विनियम जो वह उचित समझे लगा सकती है और ये संस्था पर बाध्य होगें। ऐसी कम्पनियों के उदाहरण जो धारा (8) के अंतर्गत पंजीकृत हैं। वे हैं मोहन बगान क्लब, जिम खाना क्लब, देहली डिस्ट्रीकट क्रिकेट एसोसिशन, आदि।

- **सीमानीयम व अन्तर्नियमों में परिवर्तन (Alteration of Memorandum and Articles of Association)**

  ऐसी पंजीकृत कोई कम्पनी केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अपने सीमानीयम या अन्तर्नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकती (धारा 8 (4))।

- **साझेदारी फर्म सदस्य बन सकती है**

* यहां पर आप नोट करें कि धारा 8 के अंतर्गत शब्द 'व्यक्ति' से अर्थ है कि एक व्यक्ति भी जो उद्देश्य विशिष्ट है कम्पनी का गठन कर सकता है। परन्तु कम्पनी (निगमन) नियम शब्द के नियम 3(5) के अंतर्गत एक व्यक्ति कम्पनी को ऐसी कम्पनी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

यहां पर यह नोट करें कि एक साझेदारी फर्म ऐसी कम्पनी की सदस्य बन

सकती है। यद्यपि फर्म के विघटन होने पर इस की सदस्यता समाप्त हो जाएगी [धारा 8(3))]

इस के अतिरिक्त 'एक व्यक्ति कम्पनी' धारा 8 के अर्न्तगत ना ही पंजीकृत या परिवर्तित हो सकती है धारा 8 (नियम 3(5) कम्पनी incorporation rules 2014)।

- **धारा 8 में गठित कम्पनी का अन्य प्रकार की कम्पनी में परिवर्तन**

  धारा 8 के अधिन पंजीकृत कम्पनी साधारण सभी में इस परिवर्तन की अनुमति के लिए विशेष प्रस्ताव पास करके तथा ऐसी शर्तों का जो इस संदर्भ में निर्धारित हों का पालन करने के पश्चात् किसी अन्य प्रकार की कम्पनी में स्वयं को परिवर्तित कर सकती है [Rule 21 of Companies (Incorporation) Rules, 2014]

1.12 अवैध संस्थाएं (Illegal Associations)

1.12.1 अर्थ

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 464 [कम्पनी विविध नियम 2014 के नियम 10 साथ] के अनुसार 'ऐसे किसी कारोबार को करने के प्रयोजन के लिए जिस में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई संस्था या साझेदारी का या व्यष्टि सदस्यों द्वारा लाभ अर्जित करना है 50 से अधिक व्यक्तियों की कोई संस्था या साझेदारी गठित नहीं की जाएगी जब तक कि उसे कम्पनी अधिनियम के अधीन कम्पनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाता या किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत जो उस समय लागू है।

अतः यदि ऐसी संस्था कम्पनी अधिनियम में पंजीकृत नहीं हुई है तो यह संस्था अवैध मानी जाएगी भले ही जिन उद्देश्यों के लिए इसका गठन किया गया है वे अवैध नहीं हैं।

1.12.2 अपवाद (Exceptions)

(क) **कोई भी व्यवसाय करने वाली संयुक्त हिन्दू परिवार (Hindu undivided family)** अर्थात् संयुक्त हिन्दू परिवार कोई भी व्यवसाय चाहे वह लाभ अर्जित करने के लिए ही हो, सदस्यों की किसी भी संख्या के साथ, किसी भी भारतीय विधि के अन्तर्गत जैसा धारा 464 में है पंजीकृत हुए बिना कर सकता है और फिर भी यह अवैध संस्था नहीं होगी। परन्तु जब दो हिन्दू परिवार मिल कर व्यवसाय करते हैं तो धारा 464 लागू होगी। ऐसी संस्था में सदस्यों की गणना करते समय परिवार के अवयस्क सदस्यों को शामिल नहीं किया जाएगा। वयस्क सदस्यों की गणना में पुरुष व महिलाएं दोनों शामिल किए जाएगें।

(ख) ऐसी किसी संस्था या साझेदारी को लागू नहीं होगा यदि वह पेशेवर व्यक्तियों द्वारा गठित की जाती है जो विशेष अधिनियम द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।

1.12.3 परिणाम

एक अवैध संस्था के परिणाम निम्नलिखित हैं:

(1) ऐसी साझेदारी या संस्था के प्रत्येक सदस्य पर, व्यवसाय चलाने पर, जुर्माना होगा, जो एक लाख रु. तक हो सकता है।

(2) ऐसे व्यवसाय से उत्पन्न सभी दायित्वों के लिए प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

(3) ऐसी संस्था कोई अनुबंध नहीं कर सकती।

(4) ऐसी संस्था अपने किसी सदस्यों या बाहरी व्यक्तियों पर वाद नहीं चला सकती, चाहे बाद में संस्था का कम्पनी के रूप में पंजीकरण हो गया हो,

(5) कोई सदस्य या बाहरी व्यक्ति जिस पर कोई ऋण बाकी है वह इस पर वाद नहीं कर सकता।

(6) ऐसी संस्था का कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक अपंजीकृत (unregistered) कम्पनी की तरह भी विघटन नहीं हो सकता है।

(7) क्या कोई सदस्य बंटवारा या समापन या हिसाब किताब के लिए अवैध संस्था पर वाद कर सकता है ? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने यह प्रश्न **Mewa Ram v Ram Gopal (1926)** के वाद में आया। यह निर्णय हुआ कि जहां संस्था अवैध है और व्यापार कई वर्ष तक चलाया गया, इस का कोई भी सदस्य बंटवारे का वाद नहीं कर सकता क्योंकि इस का अर्थ यह था कि बंटवारे में कम्पनी की परिसम्पत्तियों बेच कर ऋण का भुगतान करना होगा जैसा कि साझेदारी के विघटन या कम्पनी के समापन के वाद में होता है।

यह नोट करें की एक अपंजीकत कम्पनी का विघटन हो सकता है, अवैध संस्था का नहीं क्योंकि विधि की दृष्टि में वह मौजूद नहीं है।

(8) अवैध संस्थाओं की अवैधता को बाद में सदस्यों की संख्या कम करके ठीक नहीं किया जा सकता **(Kumar Swami Chattiar vs. M.S. M. Chinnathambi Chattiar)**

(9) अवैध संस्था के लाभ आयकर निर्धारण के उत्तरदायी हैं (**Gopal Ji Co. v. CITA**)।

बोध प्रश्न ग

1) एक सांविधिक कम्पनी क्या होती है?

.....

.....

.....

.....

2) पंजीकृत कम्पनी का क्या अर्थ है?

.....

.....

.....

.....

3) गारण्टी द्वारा सीमित कम्पनी का क्या अर्थ है ?

.....

.....

.....

.....

.....

4) सरकारी कम्पनी क्या होती है ?

.....

.....

.....

.....

5) 'अवैध संस्था से आप क्या समझते हैं ?

.....

.....

.....

.....

6) रिक्त स्थानों को भरियेः

i) एक निगमित कम्पनी की स्थापना एक चार्टरित कम्पनी के रूप में, एक सांविधिक कम्पनी के रूप में, और एक ..... कम्पनी के रूप में की जा सकती है।

ii) गारण्टी द्वारा सीमित कम्पनी में एक सदस्य के गारण्टी की गयी राशि का भुगतान केवल तब करना होता है यदि कम्पनी.....होता है।

iii) एक सरकारी कम्पनी वह है जिसमें केन्द्रीय सरकार के पास प्रदत्त शेयर पूँजी का ..... प्रतिशत से कम न हो।

iv) एक विदेशी कम्पनी को, जो भारत में व्यवसाय के स्थान की स्थापना कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने के बाद करती है, उसे कम्पनी के रजिस्ट्रार को पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज भारत में व्यवसाय के स्थान की स्थापना के ..... दिन के भीतर देने होते हैं।

v) अधिनियम की धारा ..... के अन्तर्गत, कोई संस्था जिसका निर्माण लाभ के लिए नहीं किया गया हो, केन्द्रीय सरकारी से छूट प्राप्त कर सकती है और अपने नाम के अन्तिम शब्द के रूप में 'सीमित' शब्द का प्रयोग किये बिना पंजीकृत की जा सकती है।

7) बताइये कि निम्नलिखित कथन **सही** है या **गलतः**

i) एक बार यदि एक कम्पनी का पंजीकरण एक असीमित कम्पनी के रूप में हो जाता है तो इसका विघटन किये बिना इसे एक सीमित कम्पनी के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

ii) एक सरकारी कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों से विनियमित नहीं होती।

iii) एक सरकारी कम्पनी में कम्पनी की प्रदत्त शेयर पूँजी अंशतः केन्द्रीय सरकार के पास हो सकती है और अंशतः एक या अधिक राज्य सरकार के पास।

iv) एक विदेशी कम्पनी भारत में व्यवसाय का स्थान स्थापित किया बिना भी भारत में व्यवसाय कर सकती हैं।

v) एक विदेशी कम्पनी वह है जो भारत में पंजीकृत और विदेश में अपना व्यवसाय चलाती है।

vi) नियंत्रक कम्पनी और नियंत्रित कम्पनी का पृथक–पृथक विधिक अस्तित्व होता है।

vii) एक निजी कम्पनी जो व्यवहार में एक सार्वजनिक कम्पनी की नियंत्रित कम्पनी है, उसे एक सार्वजनिक कम्पनी की भांति माना जाएगा।

viii) एक साझेदारी फर्म एक संस्था जो लाभ के लिए नहीं होती की सदस्य हो सकती है।

ix) एक अवैध संस्था का कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं होता।

8) नीचे लिखे विकल्प में कौन सा विकल्प **सही** है बताइए:

(क) एक निजी कम्पनी

i) में कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए

ii) के 50 सदस्यों से अधिक नहीं हो सकते

iii) अपने शेयर क्रय के लिए जनता को नियंत्रण आंमत्रित पर अवश्य रोक लगानी चाहिए।

iv) को प्रविवरण के बदले विवरण फाइल करना आवश्यक है

ख) एक अवैध संस्था

i) एक साझेदारी है जो अवैध कार्यों के लिए गठन की जाए

ii) एक साझेदारी है जिस में 100 से अधिक सदस्य हों

iii) एक साझेदारी है जिस का विघटन न्यायालय द्वारा हो

iv) एक संयुक्त हिन्दू परिवार है जिसमें 100 से अधिक सदस्य हों

1.13 सारांश

एक कम्पनी का अर्थ किसी सामूहिक उद्देश्य या उद्देश्यों के लिये व्यक्तियों की संस्था से है। कम्पनी अधिनियम में कम्पनी की परिभाषा इस प्रकार है 'एक कम्पनी का कम्पनी अधिनियम 2013 के अर्न्तगत गठन व पंजीकरण हुआ हो या पहले किसी कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत हुआ हो।

एक कम्पनी की प्रमुख विशेषताएं हैं

(1) यह एक अधिनियम द्वारा निर्मित पंजीकृत संस्था है। (2) पंजीकरण के बाद यह निगमित निकाय बन अपने सदस्यों से स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त करती है। (3) यद्यपि कम्पनी को एक व्यक्ति जैसे अधिकार व दायित्व प्राप्त हैं पर यह एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिस का अस्तित्व केवल विधि में ही है। (4) कम्पनी के सदस्यों का दायित्व उसके शेयरों के अदत्त मूल्य तक या उनके द्वारा दी गई गारन्टी की राशि तक सीमित होता है। (5) कम्पनी एक अलग अस्तित्व है इसलिए कम्पनी की सम्पत्ति भी अलग है। शेयरधारी कम्पनी की सम्पत्ति के सहस्वामी नहीं होते। कम्पनी की सम्पत्ति में सदस्यों का बीमा हित भी नहीं होता। (6) शेयर कम्पनी की चल सम्पत्ति होते हैं इसलिए अन्तर्नियम के नियम अनुसार हस्तातांरणीय हैं। (7) कम्पनी एक कृत्रिम व्यक्ति है इसलिए बीमारी या किसी कारण से असमर्थ नहीं होती। सदस्य आते हैं और जाते हैं परन्तु कम्पनी सदैव रहती हैं। (8) कम्पनी को व्यक्तियों की एजेन्सी द्व ारा कार्य करना पड़ता है। लेकिन यह उन दस्तावेजों के लिए बाध्य है जहां पर इस के हस्ताक्षर यानी सर्वमुद्रा, हो

एक कम्पनी सदस्यों से भिन्न व्यक्ति है लेकिन यह एक कृत्रिम व्यक्ति हैं। जो लोग कम्पनी का प्रबंध करते हैं वे कम्पनी के नाम पर अवैध कार्य या धोखा धड़ी कर सकते हैं। इस कारण यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्तियों को पता लगने पर उनके गलत कार्यों के लिए व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी ठहराया जाये। दूसरे शब्दों में इस निमगन का आवरण हटाना कहते हैं। निगमन का आवरण दो परिस्थितियों में हटाया जाता हैः

क) अभिव्यक्त सांवधिक प्रावधानों के अन्तर्गत और

ख) न्यायिक व्याख्या के अर्न्तगत

अभिव्यक्त सांविधिक प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित परिस्थितियों मं आवरण हटाया जाता हैः

(1) प्रास्पेक्टस में मिथ्या कथन (2) आवेदन राशि को वापिस न करने पर चूक (3) नाम की अशुद्धि या ना बताना (4) कम्पनी के मामलों की छानबीन करने पर (5) कम्पनी के स्वामित्व की छानबीन (6) कारोबार का कपट पूर्ण संचालन करना (6) शक्ति बाह्य कार्यों के लिए दायित्व (8) अन्य विधियों में दायित्व

न्यायिक व्याख्या के अर्न्तगतः निगमन का आवरण निम्नलिखित दशाओं में हटाया जाता हैः

(1) राजस्व सुरक्षा (2) निगम द्वारा धोखा या अनुचित आचरण (3) कम्पनी के दुश्मन स्वरूप का निर्धारण (4) नियंत्रित कम्पनियां एजेंट का कार्य करने के लिए गठन करना (6) कम्पनी अपने सदस्यों के एंजेट के रुप में कार्य करने पर (7) आर्थिक अपराध (8) जब कम्पनी अवैध या अनुचित उद्देश्य का प्रयोग (9) न्यायालय का अपमान करने पर (10) कम्पनी की तकनीकी योग्यता देखना (11) जहां कम्पनी केवल धोखा या दिखावा हो।

एक कम्पनी और निगमित निकाय में अन्तर है। शब्द 'निगमित निकाय' कम्पनी शब्द से अधिक विस्तृत है। निगमित निकाय में, कम्पनी, कम्पनी जिसका पंजीकरण विदेश मे हुआ हो, लोक वितीय संस्था, राष्ट्रीयकृत बैंक और दूसरी संस्थाएं, जिन्हें केन्द्रिय सरकार द्वारा निगमित निकाय घोषित किया गया है, शामिल हैं।

कम्पनी कानून की दृष्टि में व्यक्ति है। इस की राष्ट्रीयता व रहने का स्थान होता है। परन्तु एक कम्पनी नागरिक नहीं है यह न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है और इसलिए इसे नागरिकों को जो मौलिक अधिकार मिलें हैं वह नहीं मिलते। परन्तु जो मौलिक अधिकार सब व्यक्तियों को, चाहे नागरिक हों या नहीं, मिलते हैं वे कम्पनी को भी मिलते है जैसे सम्पत्ति के मलिकाना अधिकार।

एक साझेदारी और कम्पनी में अन्तर निम्नलिखित आधारों पर हैं : गठन का तरीका, सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या, विधिक हैसियत, सदस्यों का दायित्व, शेयरों का हस्तातंरण, एजेन्सी, प्रबंध, शाश्वत उत्तराधिकार शक्तियां, विघटन और कानूनी दायित्व।

कम्पनियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः– (1) चार्टरित कम्पनियां (2) सांविधिक कम्पनियां और (3) पंजीकृत कम्पनियां। एक पंजीकृत कम्पनी शेयरों द्वारा या गारण्टी द्वारा सीमित हो सकती है या एक असीमित कम्पनी हो सकती है। ये कम्पनी निजी या सार्वजनिक हो सकती है। विदेशी कम्पनियां वे है जो भारत के बाहर निगमित हुई हैं लेकिन भारत में उनका व्यापार का स्थान है। एक कम्पनी दूसरी कम्पनी की नियंत्रक कम्पनी है यदि दूसरी कम्पनी इसकी नियंत्रित कम्पनी है। एक कम्पनी दूसरी कम्पनी की एक नियंत्रित कम्पनी केवल तब मानी जाती है जबः

1) दूसरी कम्पनी इस कम्पनी के निदेशक मंडल के संघटन को नियंत्रित करती है।

2) दूसरी कम्पनी इसकी ईक्विटी शेयर पूँजी के अंकित मूल्य के आधे से अधिक की धारक है।

3) यह किसी अन्य कम्पनी की नियंत्रित कम्पनी है और वह कम्पनी स्वयं नियंत्रक कम्पनी की एक नियंत्रित कम्पनी है।

उत्पादक कम्पनियां वह कम्पनियां है जिसमें दस या उससे अधिक उत्पादक जो व्यक्ति है या कोई दो या अधिक उत्पादक संस्थाएं एक उत्पादक कम्पनी का गठन और निगमन कर सकती है।

एक व्यक्ति कम्पनी एक शेयरधारी निगमित अस्तित्व कम्पनी है जहां विधि व वित्तीय दायित्व कम्पनी तक ही सीमित होता हैं।

लघु कम्पनी का अर्थ सार्वजनिक कम्पनी को छोड़कर (i) जिस की प्रदत्त शेयर पूंजी पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है ii) जिस का आर्वत (turnover) उस के अंतिम लाभ और हानि खातों के अनुसार दो करोड़ से अधिक नहीं हैं।

अवैध संस्थाएं : कम्पनी अधिनियम की धारा 464 के अनुसार कोई संस्था या साझेदारी में 50 से अधिक सदस्य होने पर अवैध संस्था कहलाएगी। एक संयुक्त हिन्दू परिवार, स्टॉक एक्सेंज या संस्था जिस का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है अवैध संस्थाएं नहीं है। अवैध संस्था का हर सदस्य ऐसे कारोबार के दायित्वों का स्वयं जिम्मेदार होगा।

1.14 शब्दावली

कम्पनी (Company): कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों की एक संस्था। यह विधि द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका विशिष्ट नाम, एक सामान्य मुद्रा और इसके सदस्यों का शाश्वत उत्तराधिकार होता हैं।

चार्टड कम्पनी (Chartered Company) : ऐसी कम्पनी जिस का निगमन इंग्लैंड के राजा या रानी द्वारा अनुमत विशेष चार्टर के अंतर्गत किया गया है।

सांविधिक कम्पनी (Statutory Company): एक कम्पनी जो संसद या राज्य विधान मंडल के विशेष अधिनियम द्वारा निर्मित की जाती है।

शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी (Company Limited by Shares) : एक कम्पनी जिसके सदस्यों का दायित्व उनके शेयरों के मूल्य तक सीमित होता है।

गारण्टी द्वारा सीमित कम्पनी (Company Limited by Guaratnee): एक कम्पनी जिसके सदस्यों का दायित्व उस राशि तक सीमित है जो वे कम्पनी के समापन होने की स्थिति में कम्पनी की परिसम्पत्तियों में देने का उत्तरदायित्व लेते हैं।

सरकारी कम्पनी (Government Company) : वह कम्पनी जिसकी प्रदत्त पूँजी में सरकार का भाग 51% से कम नहीं होता।

निजी कम्पनी (Private Company): कम्पनी जो अपनी अंतर्नियमों द्वारा (क) अपने शेयरों के हस्तांतरण के अधिकार को सीमित करती है (ख) इसके सदस्यों की संख्या को 200 तक सीमित करती है (इसके वर्तमान शेयरधारियों कर्मचारियों को छोड़कर) और (ग) जनता को इसके शेयरों या ऋणपत्रों के लिए अभिदान को नियंत्रित करने पर रोक लगाती है। (घ) सदस्यों निदेशक तथा रिश्तदारों को छोड़कर जनता का जमा का नियंत्रण या साझेदारी पर रोक लगाती है। निजी कम्पनी के गठन के लिए कम से कम दो सदस्यों की अवश्यकता होती है।

सार्वजनिक कम्पनी (Public Company) : एक कम्पनी जो निजी कम्पनी नहीं है। या जो निजी कम्पनी है परन्तु एक सार्वजनिक कम्पनी की नियंत्रित कम्पनी है। एक सार्वजनिक कम्पनी के गठन के लिए कम से कम 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है।

असीमित कम्पनी (Unlimited Company): एक कम्पनी जिसके सदस्यों का दायित्व असीमित होता है।

शाश्वत उत्तराधिकार (Perpetual Succession): अपने सदस्यों के जीवन या विवेक पर ध्यान किये बिना कम्पनी का अस्तित्व निरंतर बने रहना।

विदेशी कम्पनी (Foreign Company): भारत से बाहर निगमित कम्पनी लेकिन जिसका भारत में व्यवसाय का स्थान है।

निगमन का अवरण (Corporate Veil): एक सीमा रेखा या आवरण जो कम्पनी और इसके सदस्यों के बीच खींचा जाता है।

उत्पादक कम्पनी: यह वह कम्पनियां है जिन्हें कोई 10 या अधिक प्राथमिक उत्पादक या 2 या 2 से अधिक प्राथमिक उत्पादक कम्पनियां मिलकर किसी उत्पादक कम्पनी का निगमन कर सकते हैं।

एक व्यक्ति कम्पनी : यह कम्पनी एक शेयरधारी निर्गमित अस्तित्व कम्पनी है जहां विधि व वित्तीय दायित्व कम्पनी तक ही सीमित होता हे।

लघु कम्पनी : लघु कम्पनी का अर्थ है सार्वजनिक कम्पनी को छोड़कर (i) जिस की प्रदत्त शेयर पूंजी पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है (ii) जिस का आर्वत उस के अंतिम लाभ और हानि खातों अनुसार दो करोड़ से अधिक नहीं है।

1.15 बोध प्रश्नों के उत्तर

क) 3 i) सही ii) सही iii) गलत iv) गलत v) सही vi) सही

ख) 5 (a) स्वतंत्र विधिक (b) प्रतिनिधि (c) शत्रु स्वरूप (d) सांविधिक प्रावधान (e) असीमित ।

6 i) सही ii) गलत iii) गलत iv) गलत v) सही vi) सही vii) सही

ग) 6 i) पंजीकृत ii) समापन iii) 51 iv) आडिटर जनरल ऑफ इंडिया v) तीस vi) 8

7 i) गलत ii) गलत iii) सही iv) सही v) गलत vi) सही vii) सही viii) सही ix) सही

8 क) iii, ख) ii

1.16 स्वपरख प्रश्न

1) 'कम्पनी शाश्वत उत्तराधिकार वाली और विधि द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है और जिस सदस्यों से यह बनती है उनके व्यक्तित्व से भिन्न होती है'। टिप्पणी कीजिए।

2) कम्पनी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

3) निगमन के आवरण की संकल्पना का विवेचना कीजिए। किन परिस्थितियों में यह आवरण हटाया जा सकता है ?

4) कम्पनी और साझेदारी में भेद कीजिए।

5) कम्पनी और निगमित निकाय के बीच अन्तर बताए।

6) सरकारी कम्पनी पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए।

7) विभिन्न प्रकार की कम्पनियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

8) विदेशी कम्पनी क्या है? एक विदेशी कम्पनी से सम्बधित विशेष प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

9) नियंत्रक कम्पनी और नियंत्रित कम्पनी में भेद कीजिए। किसी कम्पनी को दूसरी कम्पनी की नियत्रित कम्पनी कब कहा जा सकता है ? उदाहरण दीजिए।

10) एक अवैध संस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइये। ऐसी संस्था बनाने के क्या परिणाम होते हैं ?

11) एक व्यक्ति कम्पनी और लघु कम्पनी के बारे में संक्षेप में बताइए।

नोट : इन प्रश्नों में आपको इस इकाई को और अच्छी तरह से समझने में सहायता मिलेगी। उनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। लेकिन अपने उत्तर विश्वविद्यालय को मत भेजिए। ये सिर्फ आपके अपने अभ्यास के लिए दिए गए है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 2 सार्वजनिक तथा निजी कम्पनी

इकाई की रूपरेखा

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 निजी कम्पनी

2.3 सार्वजनिक कम्पनी

2.4 निजी कम्पनी और सार्वजनिक कम्पनी में अन्तर

2.5 निजी कम्पनी के विशेषाधिकार और छूटें

2.6 निजी कम्पनी का सार्वजनिक कम्पनी में परिवर्तन

2.7 सार्वजनिक कम्पनी का निजी कम्पनी मे परिवर्तन

2.8 सारांश

2.9 शब्दावली

2.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

2.11 स्वपरख प्रश्न

2.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे कि:

- निजी कम्पनी और सार्वजनिक कम्पनी की परिभाषा कर सकें;
- निजी कम्पनी और सार्वजनिक कम्पनी में अन्तर स्पष्ट कर सकें;
- निजी कम्पनी के विशेषाधिकारों तथा छूटों का वर्णन कर सकें; और
- निजी कम्पनी का सार्वजनिक कम्पनी में परिवर्तन और इसके विपरीत परिवर्तन का वर्णन कर सकें।

2.1 प्रस्तावना

आप इकाई 1 में पढ़ चुके हैं कि कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत कई प्रकार की कम्पनियों के प्रवर्तन और पंजीकरण का प्रावधान है। अधिनियम में दो सामान्य प्रकार की कम्पनियां जो पंजीकृत होती हैं वह हैं :

(अ) निजी कम्पनियां

(ब) सार्वजनिक कम्पनियां

इन कम्पनियों का निगमन सीमित दायित्व या असीमित दायित्व वाली कम्पनियों के रूप में किया जा सकता है।

2.2 निजी कम्पनी (Private Company)

कम्पनी (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 धारा 2(68) के अनुसार निजी कम्पनी एक ऐसी कम्पनी होती है जिसकी प्रदत्त पूंजी जो इस संदर्भ में निर्धारित की गई हो जो अपने अन्तर्नियमों द्वारा

क) सदस्यों के शेयरों के हस्तांतरण के अधिकार को प्रतिबन्धित करती है;

ख) सिवाय एक व्यक्ति कम्पनी के अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखती है, तथा

ग) आम जनता को अपनी प्रतिभूतियों में धन लगाने के लिए निमन्त्रण देने पर प्रतिबन्ध लगाती है।

क) सदस्यों के शेयर हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबन्धः निजी कम्पनी के अन्तर्नियमों में इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से प्रावधान होना चाहिए जिसके अन्तर्गत सदस्यों के शेयर (यदि कोई हैं) का हस्तांतरण करने के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके। इसका यह अर्थ हुआ कि सार्वजनिक कम्पनी के समान निजी कम्पनी के शेयर स्वतन्त्र रूप से हस्तांतरित नहीं किए जा सकते। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि निजी कम्पनी के शेयरों को हस्तांतरित किया ही नहीं जा सकता। निजी कम्पनी के अन्तर्नियमों में यह प्रावधान होता है कि जब कभी कोई सदस्य अपने शेयर हस्तांतरित करना चाहता है, तो वह निदेशकों द्वारा निर्धारित मूल्य पर उन शेयरों को विद्यमान शेयरधारियों को ही बेचने का प्रस्ताव करेगा। यह प्रतिबन्ध इसलिए लगाया गया है जिससे कि कम्पनी के सदस्यों की पारिवारिक प्रकृति को बनाए रखा जा सके। इसी कारण से निजी कम्पनी को कभी–कभी 'बन्द–निगम' भी कहा जाता है। परन्तु कम्पनी अधिनियम में स्पष्ट तौर से इन प्रतिबन्धों को लगाने के ढंग की कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। यहां आप देखेंगे कि बिना शेयर पूँजी वाली निजी कम्पनी के अन्तर्नियम में इन प्रतिबन्धों को शामिल करना आवश्यक नहीं है।

ख) सदस्यों की अधिकतम संख्या पर प्रतिबन्धः "एक व्यक्ति कम्पनी के छोड़कर" निजी कम्पनी अपने सदस्यों की अधिकतम संख्या को 200 तक सीमित रखती है। यदि दो या अधिक व्यक्ति कम्पनी के एक या अधिक शेयरों को संयुक्त रूप से रखते हैं, तो सदस्यों की गिनती करते समय उन्हें केवल एक सदस्य माना जाएगा और (i) ऐसे व्यक्ति जो कम्पनी में नौकरी करते हैं और (ii) ऐसे व्यक्ति, जो कम्पनी में नौकरी करते समय उसके सदस्य थे तथा नौकरी समाप्त होने के बाद भी वे कम्पनी सदस्य बने रहे हैं को सदस्यों की संख्या में नहीं शामिल किया जायेगा।

ग) जनता को निमंत्रित करने पर प्रतिबन्धः इस प्रतिबन्ध का यह अर्थ हुआ कि निजी कम्पनी आम जनता को अपने शेयरों पर या ऋणपत्रों में धन लगाने के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई निमन्त्रण नहीं दे सकती तथा वह प्रविवरण जारी नहीं कर सकती। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यह किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा कि कम्पनी ने सार्वजनिक निमन्त्रण दिया है अथवा नहीं। आम जनता में, जनता के किसी विशेष वर्ग को शामिल किया जा सकता है चाहे उन्हें कम्पनी के शेयरधारियों या ऋणपत्रधारियों के रूप में या प्रविवरण जारी करने वाले व्यक्ति के ग्राहक के रूप में या किसी अन्य रूप में चुना गया हो। जब सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निमन्त्रण देने वाले और निमन्त्रण प्राप्त करने वाले के बीच निजी या घरेलू मामला हो तो ऐसे निमन्त्रण को सार्वजनिक निमन्त्रण नहीं माना जा सकता।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि 200 या उससे अधिक व्यक्तियों की संख्या को जनता का निमन्त्रण माना जाएगा।

ऊपर लिखी गयी परिभाषा के अनुसार निजी कम्पनी के अंतर्नियमों में तीनों प्रतिबंध अवश्य ही शामिल किए जाने चाहिए।

एक निजी कम्पनी (क) शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी (ख) गारंटी द्वारा सीमित कम्पनी तथा (ग) असीमित कम्पनी हो सकती है।

डिबेंचर धारकों की संख्या 200 से अधिक हो सकती है

यहां पर यह ध्यान दें कि केवल सदस्यों की संख्या ही 200 तक सीमित है परन्तु निजी कम्पनी कितने ही व्यक्तियों को डिबेंचर जारी कर सकती है शर्त यह है कि इन्हें बेचने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं किया जा सकता।

निजी कम्पनी की अन्य आवश्यकताएं

1. **सदस्यों की न्यूनतम संख्याः** धारा 3 के अनुसार एक निजी कम्पनी का गठन करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति सीमानियम में हस्ताक्षर करने के लिए चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो अनुबंध करने योग्य है अभिदानी हो सकता है। क्योंकि कम्पनी एक विधिक व्यक्ति है वह हस्ताक्षर कर सकती है परन्तु एक साझेदारी फर्म ऐसा नहीं कर सकती। इस प्रकार एक अवयस्क सीमानियम पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता क्योंकि वह अनुबंध के योग्य नहीं है।
2. **'प्राइवेट लिमिटेड' शब्दों का प्रयोग** : धारा 4 के अनुसार 'प्राइवेट लिमिटेड' शब्द प्राइवेट कम्पनी के नाम के अंत में लगाना होगा या ऐसे छोटे शब्द जैसे 'Pvt. Ltd.' भी लगाया जा सकता है।

2.3 सार्वजनिक कम्पनी (Public Company)

कम्पनी (संशोधन) अधिनियम 2017 द्वारा संशोधित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(71) के अनुसार प्रत्येक ऐसी कम्पनी जो

(क) निजी कम्पनी नहीं है,

(ख) जिसकी प्रदत्त पूंजी जो कि इस संदर्भ मे निर्धारित की गयी हो।

(ग) एक कम्पनी है जो किसी कम्पनी की सहायक (नियंत्रित) कम्पनी है निजी कम्पनी नहीं है उसे स्थिति में भी जहां सहायक कम्पनी अपने अंतर्नियमों के अंतर्गत एक निजी कम्पनी बनी रहती हैं।

धारा (3) के अनुसार एक सार्वजनिक कम्पनी का गठन करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या सात होनी चाहिए।

एक सार्वजनिक कम्पनी निजी कम्पनी की भांति

(क) शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी या (ख) गारंटी द्वारा सीमित कम्पनी या (ग) असीमित कम्पनी हो सकती है।

2.4 निजी कम्पनी और सार्वजनिक कम्पनी में अन्तर

एक निजी और सार्वजनिक कम्पनी में निम्नलिखित मुख्य अन्तर हैं :

(1) **न्यूनतम सदस्यों की संख्या (धारा 3)** : निजी कम्पनी की स्थापना करने के लिए सदस्यों की संख्या कम से कम दो होनी चाहिए जबकि सार्वजनिक कम्पनी में सात होनी चाहिए।

(2) **अधिकतम सदस्यों की संख्याः** एक निजी कम्पनी में सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 200 तक हो सकती है। जब कि सार्वजनिक कम्पनी में कोई सीमा नहीं हैं।

(3) **शेयरों का हस्तांतारण (धारा 44)**: सार्वजनिक कम्पनी के किसी भी सदस्य के शेयर या डिबेंचर कम्पनी के अन्तर्नियमों के अनुसार चल संम्पत्ति होंगे और हस्तांतरित किए जा सकते है, एक निजी कम्पनी में इसकी परिभाषा से ही, इस के अन्तर्नियमों में, शेयरों के हस्तांतरण पर प्रतिबन्ध होता है।

(4) **प्रविवरण (प्रास्पेक्टस) [धारा 2(68)]**: एक निजी कम्पनी प्रविवरण जारी नहीं कर सकती। जब कि एक सार्वजनिक कम्पनी प्रविवरण द्वारा अपनी प्रतिभूतियों में धन लगाने के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है।

(5) **निदेशकों की न्यूनतम संख्या (धारा 149)** : एक निजी कम्पनी में निदेशकों की न्यूनतम संख्या दो और सार्वजनिक कम्पनी में तीन होना अनिवार्य है।

(6) **निदेशकों की सेवानिवृत्ति (धारा 152)**: निजी कम्पनी के निदेशकों को बारी–बारी से सेवानिवृत होना नहीं पड़ता। जबकि सार्वजनिक कम्पनी के कम से कम 2/3 निदेशक बारी–बारी से रिटायर होने चाहिए।

(7) **साधारण सभी में कोरम (धारा 103)**: जब तक कम्पनी के अन्तर्नियम में अधिक संख्या न दी गयी हो, सार्वजनिक कम्पनी की दशा में कोरम (i) सभा की तिथि तक यदि सदस्यों की संख्या एक हजार से अधिक नहीं है वहां व्यक्तिगत रूप से उपस्थित पांच सदस्य (ii) यदि सभा की तिथि को सदस्यों की संख्या, एक हजार से अधिक है किंतु पांच हजार तक है तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित पंद्रह सदस्य (iii) यदि सभा की तिथि को सदस्यों की संख्या पांच हजार से अधिक है तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित तीस सदस्य।

निजी कम्पनी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित दो सदस्यों से कम्पनी का कोरम होगा यदि उसके अन्तर्नियमों में अधिक संख्या न दी गई हो।

(8) **प्रबंधकीय पारिश्रमिक (Managerial Remuneration) (धारा 197)** : निजी कम्पनी में कुल प्रबंधकीय पारिश्रम पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता लेकिन एक सार्वजनिक कम्पनी में प्रबंधकीय पारिश्रमिक शुद्ध लाभ के 11% से अधिक नहीं हो सकता। प्रत्येक प्रबन्ध/पूर्ण कालिक निदेशक या प्रबन्धक का पारिश्रमिक शुद्ध लाभ के 5% से अधिक नहीं हो सकता जब तक कि केन्द्रिय सरकार की पूर्व अनुमति ना हो। इस तरह ही साधारण निदेशकों के पारिश्रमिक पर प्रतिबंध हैं।

(9) **जनता से जमा (Public Deposits)**: एक सार्वजनिक कम्पनी जनता से जमा स्वीकार कर सकती है (धारा 76 के प्रावधान के अधीन) परन्तु निजी कम्पनी जनता से जमा स्वीकार नहीं कर सकती।

बोध प्रश्न क

1) निजी कम्पनी की परिभाषा कीजिए।

.....
.....
.....

2) सार्वजनिक कम्पनी क्या होती है?

.....
.....
.....

3) सार्वजनिक एवं निजी कम्पनी के चार अन्तर बताइए।

.....
.....
.....

4) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएः

(a) निजी कम्पनी में कम–से–कम ……..सदस्य तथा अधिक–से–अधिक ……..सदस्य होने चाहिए।

(b) सार्वजनिक कम्पनी से कम से कम ……..निदेशक बारी–बारी से रिटायर होने चाहिए।

(c) एक निजी कम्पनी जनता से …….. आमंत्रित नहीं कर सकती।

5) बताइए कि निम्नलिखित कथन **सही** हैं अथवा **गलत**

(i) सार्वजनिक कम्पनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या सात होती है।

(ii) सार्वजनिक कम्पनी के लिए शेयर जारी करने से पहले प्रविवरण जारी करना आवश्यक नहीं है।

(iii) निजी कम्पनी के सीमानियम पर दो सदस्यों के हस्ताक्षर ही पर्याप्त है।

(iv) कोई कम्पनी निजी कम्पनी इसलिए कहलाती है क्योंकि यह शेयरों के हस्तातारण पर प्रतिबंध लगाती है।

(v) सार्वजनिक कम्पनी में कम–से–कम पांच निदेशक होने चाहिए।

2.5 निजी कम्पनी के विशेषाधिकार और छूटें (Special Privileges and Exemptions of a Private Company)

एक निजी कम्पनी को कम्पनी अधिनियम के कुछ प्रावधानों से छूट और विशेषाधिकार प्राप्त हैं। छूट और विशेषाधिकार देने का मूल कारण यह है कि निजी कम्पनी के 200 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते और क्योंकि यह जनता को अपने शेयर व डिबेंचर या जमा करने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती इसलिए इस में जनता का पैसा नहीं लगा होता। इस लिए इस पर सार्वजनिक कम्पनी की तरह कड़ी नज़र नहीं रखी जाती। धारा 2(68) के प्रतिबंधित उपवाक्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में यदि नहीं माने तो यह ये विशेषाधिकार व छूटें निजी कम्पनी को नहीं मिलेगें।

निजी कम्पनी को विशेषाधिकार व छूटों में शामिल हैंः

1) **न्यूनतम सदस्यों की संख्या** : कम से कम दो (जबकि सार्वजनिक कम्पनी में सात) व्यक्ति निजी कम्पनी का गठन कर सकते हैं (धारा 3)।

2) **न्यूनतम निदेशकों की सख्याः** सार्वजनिक कम्पनी के न्यूनतम तीन निदेशकों के विपरीत एक निजी कम्पनी को दो से अधिक निदेशकों की आवश्यकता नहीं है। (धारा 149)

3) **साधारण सभा के लिए कोरम** : जब तक कम्पनी के अन्तर्नियमों में अधिक संख्या के लिए प्रावधान न हो निजी कम्पनी की साधारण सभा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति दो सदस्य होने चाहिए। सार्वजनिक कम्पनी में व्यक्तिगत रुप से 5,15 या 30 सदस्य उपस्थित होने चाहिए यदि सभा की तारीख को सदस्यों की संख्या क्रमशः 1,000, 5,000 या 5,000 से अधिक हो (धारा 103)

4) **प्रबंधकीय पारिश्रमिकः** धारा 197 निजी कम्पनी पर लागू नहीं होती जिस के अनुसार शुद्ध लाभ का 11 प्रतिशत प्रबंधकीय पारिश्रमिक होता है। इसलिए निजी कम्पनी लाभ का कोई भी प्रतिशत प्रबंधकीय पारिश्रमिक दे सकती है या किसी और तरीके से भी जैसा वह योग्य समझे (धारा 197)

5) **निदेशकों की बारी–बारी से सेवानिवृति** : एक निजी कम्पनी में सभी निदेशक बारी–बारी से सेवानिवृति न होने वाले हो सकते हैं (धारा 152)

6) **आकस्मिक रिक्त स्थान भरना**: एक निजी कम्पनी के निदेशकों का आकस्मिक रिक्त स्थान भरने और उन की समय सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं होता (धारा 161)

7) **निदेशकों की नियुक्ति के लिए विशेष अयोग्यताएं**: कोई निजी कम्पनी अपने अन्तर्नियमों के द्वारा निदेशक की नियुक्ति के लिए धारा 164(1)(2) में विनिर्दिष्ट अयोग्यताओं के अतिरिक्त किन्हीं विशेष अयोग्यताओं को शामिल कर सकती है।

8) **निदेशक पदों की संख्या पर रोक** : कोई भी व्यक्ति 10 से अधिक सार्वजनिक कम्पनियों का निदेशक नहीं बन सकता परन्तु निजी कम्पनी की दशा में 20 निजी कम्पनियों से अधिक निदेशक नहीं बन सकता बशर्ते इन कम्पनियों में कोई भी कम्पनी सार्वजनिक कम्पनी या किसी सार्वजनिक कम्पनी की नियंत्रक कम्पनी या नियंत्रित कम्पनी नहीं है। (धारा 165)

9) **स्वतंत्र निदेशक**: निजी कम्पनी को एक स्वतंत्र निदेशक (कों) की नियुक्ति की आवश्यकता से छूट प्राप्त है(धारा 149)।

10) **अंकेक्षण समिति**: एक निजी कम्पनी को बोर्ड की अंकेक्षण समिति का गठन करने की आवश्यकता नहीं है (धारा 177)।

11) **शेयरों के प्रकार**: यदि निजी कम्पनी के सीमानियम या अंतर्नियमों में प्रावधान है, ऐसी दशा में धारा 43 के अंतर्गत एक निजी कम्पनी इक्विटी या पूर्वाधिकार शेयरों के अतिरिक्त अन्य शेयर भी जारी कर सकती है (MCA notification dated 5.6.2015)।

12) **राईट्स इश्यू**: एक निजी कम्पनी धारा 62 के अधीन राईट्स इश्यू की दशा में, अपना राईट्स इश्यू का प्रस्ताव (offer) कम से कम 15 दिनों की अवधि के विपरीत पहले बंद कर सकती है। दूसरे शब्दों मे इसको कम से कम 15 दिन की अवधि के लिए राईट्स इश्यू का प्रस्ताव खुला रखने की आवश्यकता नहीं है। (MCA notification dated 5.6.2015)।

13) **कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ESOP)**: निजी कम्पनी कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम के अंतर्गत, अपने कर्मचारियों को शेयर जारी करने के लिए, विशेष प्रस्ताव के बदले सामान्य प्रस्ताव पारित कर सकती है।

14) **अपनी प्रतिभूतियों के क्रय के लिए ऋण**: एक निजी कम्पनी अपनी प्रतिभूतियों के क्रय के लिए किसी को ऋण प्रदान कर सकती है बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया गया हो:

   क) किसी अन्य निगमित निकाय द्वारा निवेश नहीं होना चाहिए

   ख) बैंक, विदेशी संस्थागत निवेशक और निगमित निकाय से उधार उसकी प्रदत पूंजी के दुगने से कम होना चाहिए या 50 करोड़ रुपये, इनमे से जो कम हो।

   ग) भुगतान की तिथि पर एक निजी कम्पनी ने उधार चुकाने में कोई चूक न की हो।

15) **बोर्ड के प्रस्ताव फाइल करने में छूट**: एक निजी कम्पनी को निदेशक बोर्ड के प्रस्ताव कम्पनी के रजिस्ट्रार के पास फाइल करने की छूट प्राप्त है।

16) **रुचि निदेशक का बोर्ड सभा में भाग लेना:** धारा 184 के अंतर्गत, एक निजी कम्पनी का रुचि निदेशक अपनी इच्छा बता कर निदेशक बोर्ड की सभा में भाग ले सकता है।

बोध प्रश्न ख

1) बताइए कि निम्नलिखित कथन **सही** हैं अथवा **गलत**

i) एक निजी कम्पनी में कम से कम तीन निदेशक होना आवश्यक है।

ii) एक निजी कम्पनी में प्रविवरण को शेयर आंबटन के पांच सप्ताह पूर्व रजिस्ट्रार को फाइल करना चाहिए।

iii) एक निजी कम्पनी पंजीकरण के तुरन्त बाद कारोबार आरम्भ कर सकती है।

iv) एक निजी कम्पनी अपने निदेशकों को दिए जाने वाले प्रबन्धकीय पारिश्रमिक की राशि पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाती।

v) एक निजी कम्पनी अपने शेयर प्रविवरण जारी किए बिना आबंटित कर सकती है।

2.6 निजी कम्पनी का सार्वजनिक कम्पनी में परिवर्तन

धारा 14 के अनुसार एक निजी कम्पनी को सार्वजनिक कम्पनी में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित चरण आवश्यक हैं:

1 **विशेष प्रस्ताव:** एक निजी कम्पनी अपने अन्तर्नियमों में संशोधन करके सार्वजनिक कम्पनी में परिवर्तित हो सकती है। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 14 कहती है कि निजी कम्पनी अपनी अन्तर्नियमों में विशेष प्रस्ताव द्वारा संशोधन कर सकती है। इस प्रकार जब विशेष प्रस्ताव पारित होता है तो धारा 2(68) की वैधानिक आवश्यकताएं समाप्त हो जाती हैं जिनसे कम्पनी निजी कम्पनी बनी थी और निजी कम्पनी सार्वजनिक कम्पनी बन सकती है। जब निजी कम्पनी के अन्तर्नियम सदस्यों की संख्या 200 से अधिक करने या शेयरों का हस्तातंरण का अधिकार देते हैं या प्रतिभूतियों व डिबेंचरों को क्रय करने के लिए जनता को आमत्रित करते हैं तो उस तिथि से जब से अन्तर्नियम बदले गये है निजी कम्पनी सार्वजनिक कम्पनी बन जाती है। परिणाम स्वरूप कम्पनी को निजी कम्पनी को मिलने वाले अधिकार व छूटें समाप्त हो जाती हैं। और इस पर कम्पनी अधिनियम के प्रावधान सार्वजनिक कम्पनी की तरह लागू होंगे।

2 **सदस्यों की संख्या में वृद्धि:** यदि सदस्यों की संख्या सात से कम है, तो सात तक करनी होगी (धारा 3)।

3 **निदेशकों की संख्या में वृद्धि:** यदि निदेशकों की संख्या तीन से कम है तो कम से कम तीन तक करनी होगी (धारा 149)।

4 **शब्द "प्राइवेट" हटाना:**– शब्द "प्राइवेट" कम्पनी के नाम से हटाना होगा। (धारा 13)

5 **परिवर्तित अंतर्नियमों को फाइल करना** : धारा 14 के अन्तर्गत अंतर्नियमों में हर परिवर्तन रजिस्ट्रार के पास फार्म नं. INC 27 में परिवर्तित अंतर्नियमों की मुद्रित प्रति के साथ पंद्रह दिन के भीतर फाइल करना होगा उस विधि से जैसा कि निर्धारित किया गया हो और रजिस्ट्रार उसे पंजीकृत करेगा।

6 **अंतर्नियम की प्रत्येक प्रति पर परिवर्तन नोट करनाः** अंतर्नियमों में परिवर्तन अंतर्नियम की हर प्रति पर नोट करना होगा (धारा 15(1))। कम्पनी यदि अनुपालन में कोई चूक करती है तो कम्पनी और उस के प्रत्येक अधिकारी जिनसे चूक हुई है ऐसे परिवर्तन के बिना जारी किए गए सीमानियम व अंतर्नियम की प्रत्येक प्रति के लिए एक हजार रुपये की राशि के लिए दायी होंगे [(धारा15)(2)]।

राम पुरूषोत्तम मित्तल बनाम हिलक्रेस्ट रियल्टी Sdn Bhd. (2009) (Ram Purshotam Miltal v Hillcrest Realty Sdn Bhd. (2009)) के केस में कम्पनी ने प्रस्ताव पास कर कम्पनी को सार्वजनिक कम्पनी में परिवर्तित करने का तत्काल प्रभाव से अंतिम निर्णय ले लिया तथा निर्धारित फार्म भी प्रस्ताव के साथ फाइल कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय में निर्णय दिया कि प्रस्ताव का उचित पारित होना ही इस बात का उचित प्रमाण होगा कि कम्पनी ने अपनी स्थिति बदली है और वह सार्वजनिक कम्पनी बन गई चाहे परिवर्तन रजिस्ट्रार ने अपने रिकार्ड में दर्ज नहीं किया है।

2.7 सार्वजनिक कम्पनी का निजी कम्पनी में परिर्वतन (Conversion of Public Company into a Private Company)

सार्वजनिक कम्पनी को निजी कम्पनी में परिवर्तित करने के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 14 में निम्नलिखित प्रावधान हैंः–

1) **विशेष प्रस्ताव पास करना** : साधारण सभा में सदस्यों द्वारा विशेष प्रस्ताव पास करना होगा जिस में अन्तर्नियमों में परिवर्तन कर के निजी कम्पनी बनाने का अधिकार दिया जाएगा। धारा 2(68) में दिए गए तीनों प्रतिबंध शामिल किए जाएंगे। अर्थात् सदस्यों का 200 से अधिक न होना, शेयरों के हस्तांतरण के अधिकार को प्रतिबंधित करना और प्रतिभूतियों के लिए अभिदान करने के लिए जनता को आमंत्रित न करना।

2) **कम्पनी का नाम बदलना** : कम्पनी के नाम के अन्त में शब्द लिमिटेड से पहले प्राइवेट जोड़ना है। इस के लिए विशेष प्रस्ताव को पास करने की आवश्यक नहीं है (धारा 13)।

3) **केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त करनाः** धारा 14(1) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अंतर्नियमों में कोई भी परिवर्तन जिस के अनुसार सार्वजनिक कम्पनी को निजी कम्पनी में परिवर्तित किया है लागू नहीं होगा जब तक केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति न दी गयी हो।

4) **रजिस्ट्रार के पास फाइल करनाः** अन्तर्नियमों में संशोधन व केन्द्र सरकार के संशोधन अनुमति के आदेश की प्रति अन्तर्नियमों की मुद्रित प्रति के साथ पंद्रह दिनों के भीतर रजिस्ट्रार मे पास उपधारा (1) के अनुसार निर्धारित रूप में फाइल करनी होगी और रजिस्ट्रार उसे पंजीकृत करेगा।

बोध प्रश्न ग

1) बताइए कि निम्नलिखित कथन **सही** हैं अथवा **गलतः**

क) निजी कम्पनी का सार्वजनिक कम्पनी में परिवर्तन होने पर

i) कम्पनी के दो निदेशक तथा सात से कम सदस्य रह सकते हैं।

ii) कम्पनी को अपने सदस्यों की संख्या कम–से–कम सात तक बढ़ानी चाहिए परन्तु इसके दो निदेशक ही रह सकते हैं।

iii) कम्पनी को निदेशकों की संख्या बढ़ाकर तीन करनी चाहिए परन्तु इसके सदस्य कम से कम सात होने चाहिए।

ख) सार्वजनिक कम्पनी को निजी कम्पनी में परिवर्तित करने परः–

i) साधारण सभा में एक विशेष प्रस्ताव पास करना आवश्यक है।

ii) केन्द्र सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है।

iii) साधारण सभा में एक विशेष प्रस्ताव पास करना व केन्द्र सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है।

2) बताइये कि निम्नलिखित कथन **सही** हैं या **गलतः**

i) निजी कम्पनी को सार्वजनिक कम्पनी में परिवर्तित करने के लिए अन्तर्नियमों में परिवर्तन करने के लिए विशेष प्रस्ताव साधारण सभा में ही पास किया जा सकता है।

ii) अन्तर्नियमों में परिवर्तन करने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव की एक प्रति प्रस्ताव पास करने के एक माह के भीतर रजिस्ट्रार के पास भेजनी चाहिए।

iii) जैसे की कोई निजी कम्पनी, सार्वजनिक कम्पनी बन जाती है, उसे अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम–से–कम सात अवश्य करनी होगी।

iv) किसी कम्पनी का सार्वजनिक कम्पनी में परिवर्तन या इसके विपरीत कम्पनी के कानूनी पहचान को प्रभावित नहीं करता।

2.8 सारांश

कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत कई प्रकार की कम्पनियों के पंजीकरण का प्रावधान है। फिर भी, दो प्रकार की कम्पनियां जो मूल हैं वे निजी और सार्वजनिक कम्पनियां हैं वे इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होती हैं। फिर भी कम्पनी अधिनियम में 'एक व्यक्ति कम्पनी' और 'लघु कम्पनी' भी पंजीकृत होती है यद्यपि इन कम्पनियों की विशेषताएं अलग हैं परन्तु इन्हें निजी कम्पनी के वर्ग मे रखा जाता है। कम्पनियां सीमित दायित्व वाली कम्पनी या असीमित दायित्व वाली कम्पनी के रूप में पंजीकृत हो सकती हैं।

एक निजी कम्पनी की परिभाषा का अर्थ उस कम्पनी से है जिस की प्रदत्त पूंजी जो इस संदर्भ में निर्धारित की गई हो और जो अपने अन्तर्नियमों द्वारा (i) शेयर (यदि कोई है तो) के हस्तांतरण के अधिकार को प्रतिबन्धित करती है। (ii) आम जनता को अपने शेयरों, ऋण–पत्रों या कोई प्रतिभूतियों में धन लगाने के लिए निमन्त्रण देने पर प्रतिबन्ध लगाती है। (iii) अपने सदस्यों की संख्या को 200 तक सीमित रखती है।

एक सार्वजनिक कम्पनी धारा 2(71) कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार वह कम्पनी है जो (क) निजी कम्पनी नहीं है (ख) जिस की प्रदत्त पूंजी जो इस संदर्भ में निर्धारित की गई हो (ग) ऐसी निजी कम्पनी है जो किसी कम्पनी की नियंत्रित कम्पनी है और जो स्वयं एक निजी कम्पनी नहीं हैं।

एक निजी कम्पनी जो एक सार्वजनिक कम्पनी की नियंत्रित कम्पनी है वह सार्वजनिक कम्पनी बन जाएगी।

एक निजी कम्पनी को कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों से कुछ विशेषधिकार और छूटें प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए यह केवल दो सदस्यों द्वारा गठित हो सकती है। इस में केवल दो ही निदेशक हो सकते हैं और कोई भी राशि अपने प्रबन्धक अधिकारी को पारिश्रामिक के रूप में दे सकती है।

एक निजी कम्पनी एक विशेष प्रस्ताव पास करके और सार्वजनिक कम्पनी की न्यूनतम आवश्यक शर्तें जैसे सात सदस्य, तीन निदेशक इत्यादी पूरी करके एक सार्वजनिक कम्पनी में परिवर्तित हो सकती है।

इस प्रकार एक सार्वजनिक कम्पनी एक विशेष प्रस्ताव पास करके और केन्द्र सरकार की स्वीकृति लेकर निजी कम्पनी में परिवर्तित हो सकती है।

2.9 शब्दावली

निजी कम्पनी (Private Company): ऐसी कम्पनी जिस की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी इस संदर्भ में निर्धारित की गई हो और जो अपने अन्तर्नियमों द्वारा (क) सदस्यों द्व ारा शेयरों के हस्तातरण पर प्रतिबंध लगाती है (ख) सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 तक सीमित करती है तथा (ग) जनता द्वारा कम्पनी के शेयर, ऋण–पत्र लेने पर प्रतिबन्ध लगाती है।

सार्वजनिक कम्पनी (Public Company): एक कम्पनी जो निजी कम्पनी नहीं हैं और जिस की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी जो इस संदर्भ में निर्धारित की गई हो और निजी कम्पनी है परन्तु सार्वजनिक कम्पनी की नियंत्रित कम्पनी है।

शेयर: कम्पनी की कुल पूंजी को इकाई में विभाजित करना।

कोरम : सभा की कार्यवाही चलाने के लिए उपस्थित सदस्यों की न्यूनतम संख्या।

2.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

क 4 (a) दो, दो सौ (b) दो तिहाई (c) प्रतिभूतियों के लिए अभिदान

5 (i) सही (ii) सही (iii) सही (iv) सही (v) गलत

ख (i) गलत (ii) गलत (iii) गलत (iv) सही (v) सही

ग 1 क) iii ख) iii

2 (i) सही (ii) गलत (iii) गलत (iv) सही

2.11 स्वपरख प्रश्न

1) निजी कम्पनी की परिभाषा कीजिए। निजी कम्पनी तथा सार्वजनिक कम्पनी में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

2) निजी कम्पनी को उपलब्ध पांच विशेषधिकारों की व्याख्या कीजिए।

3) निजी कम्पनी को सार्वजनिक कम्पनी में परिवर्तित करने की विधि बताइए।

4) सार्वजनिक कम्पनी की परिभाषा कीजिए। सार्वजनिक कम्पनी को निजी कम्पनी में परिवर्तित करने की विधि का वर्णन कीजिए।

नोट : इन प्रश्नों में आपको इस इकाई को और अच्छी तरह से समझने में सहायता मिलेगी। उनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। लेकिन अपने उत्तर विश्वविद्यालय को मत भेजिए। ये सिर्फ आपके अपने अभ्यास के लिए दिए गए है।

इकाई 3 प्रवर्तक (Promoter)

इकाई की रूपरेखा

3.0 उद्देश्य

3.1 प्रस्तावना

3.2 प्रवर्तक : अर्थ एवं महत्व

3.3 प्रवर्तक के कार्य

3.4 प्रवर्तकों की कानूनी स्थिति

3.5 प्रवर्तक के कर्तव्य

3.6 प्रवर्तकों के दायित्व

3.7 प्रवर्तक का पारिश्रमिक

3.8 प्रारंभिक अनुबन्धों या निगमन से पूर्व अनुबन्धों की स्थिति

3.8.1 निगमन से पूर्व अनुबन्धों के लिए प्रवर्तकों के दायित्व

3.9 सारांश

3.10 शब्दावली

3.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

3.12 स्वपरख प्रश्न

3.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे कि:

- प्रवर्तक के अर्थ तथा महत्व का वर्णन कर सकें;
- प्रवर्तक के कार्यों को सूचीबद्ध कर सकें;
- प्रवर्तक के कर्तव्यों एवं दायित्वों को गिना सकें;
- प्रवर्तकों के देय पारिश्रमिक का वर्णन कर सकें; और
- प्रारंभिक या निगमन से पूर्व अनुबन्धों की स्थिति का वर्णन कर सकें।

3.1 प्रस्तावना

इकाई 1 में आप कम्पनियों के विभिन्न प्रकार के संबंध में पढ़ चुके हैं। कम्पनी के गठन का कार्य एक लम्बी प्रक्रिया है, जिसके विभिन्न चरण होते हैं। कम्पनी के गठन का पहला चरण "प्रवर्तन" (promotion) होता है। इस चरण में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह जिसे प्रवर्तक (promoter) कहते हैं, के द्वारा किसी व्यापार के संचालन के विचार की परिकल्पना की जाती है। कम्पनी का गठन करने के लिए अनेक औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है। प्रवर्तक इन औपचारिकताओं को पूर्ण करके कम्पनी का गठन करते हैं। इस इकाई में आप प्रवर्तकों का अर्थ एवं कार्यों, उनकी कानूनी स्थिति तथा उनके कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। अन्त में आप प्रर्वतक द्वारा किए गये निगमन से पूर्व के अनुबन्धों के विषय में भी प्रवर्तकों की कानूनी स्थिति में भी पढेंगे।

3.2 प्रवर्तक : अर्थ एवं महत्व

आप पढ़ चुके हैं कि कम्पनी कानून के द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। यथाविधि से इसका निगमन होने पर ही इसका जन्म होता है। कम्पनी का निगमन करने के लिए विभिन्न प्रकार के दस्तावेज तैयार करने पड़ते हैं तथा अनेक अन्य औपाचारिकताएं पूर्ण करनी पड़ती हैं। ये समस्त कार्य प्रवर्तकों के द्वारा किए जाते हैं। जर्सटनबर्ग (Gerstenberg) ने प्रवर्तन की परिभाषा इस प्रकार की है, **व्यावसायिक अवसरों को खोजना, तत्पश्चात् उससे लाभ अर्जित करने के लिए व्यावसायिक इकाई का रूप देने के लिए धन, सम्पत्तियां एवं प्रबन्धकीय योग्यता का संगठन करना।** विचार की परिकल्पना करने के पश्चात् उस व्यवसाय के कमजोर तथा मजबूत पक्षों को जानने के लिए प्रवर्तक विस्तृत जांच–पंड़ताल करते हैं, आवश्यक पूँजी की राशि निर्धारित करते हैं और कार्यकारी व्ययों का अनुमान लगाकर सम्भावित आय का अनुमान लगाते हैं। जब प्रवर्तक विचार की लाभप्रदता के विषय में पूर्णतः सन्तुष्ट हो जाते हैं तब वे कम्पनी के निगमन के लिए आवश्यक कार्यवाही आरम्भ करते हैं।

एल. जे. बोवेन के अनुसार, "प्रवर्तक शब्द कानून का शब्द नहीं है बल्कि व्यवसाय का शब्द है, इस एक शब्द में वे समस्त व्यावसायिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनके द्वारा कम्पनी का निर्माण किया जाता है।

जस्टिस सी. कॉकबर्न ने प्रवर्तक की व्याख्या इस प्रकार की है, "ऐसा व्यक्ति जो किसी परियोजना से सम्बन्धित कम्पनी का गठन करता है और उसे आरम्भ करता है और जो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही करता है।"

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(69) के अनुसार प्रवर्तक से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है:–

(क) जिसे प्रविवरण (प्रास्पेक्टस) में उस रूप में नामित किया गया है या धारा 92 में निर्दिष्ट वार्षिक विवरणी में कम्पनी द्वारा परिचित कराया गया है; या

(ख) जिसका कम्पनी के काम काज पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चाहे किसी शेयर धारक, निदेशक के रूप में या अन्यथा नियंत्रण है; या

(ग) जिसकी सलाह, निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कम्पनी का निदेशक बोर्ड कार्य करने का अभ्यस्त है।

जो व्यक्ति केवल किसी पेशेवर की हैसियत से ही कार्य कर रहा है उस पर यह बात लागू नहीं होती, वह प्रवर्तक नहीं माना जायेगा।

नीचे लिखे वर्णन से प्रवर्तक के कार्यों की प्रकृति का पता लगता है जिन से प्रवर्तक सामान्यतः जुड़ा होता है। ये हैं:

(1) वह कम्पनी का गठन करता है और इसे चलते देखता है।

(2) वह उन सब आवश्यक कार्यवाहियों को अपने ऊपर लेता है जो कम्पनी के गठन के लिए चाहिए।

(3) वह निदेशक बोर्ड को निदेश, सलाह व आदेश देता है।

(4) वह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी के काम काज पर नियत्रंण रखता है।

कम्पनी के एक से अधिक प्रवर्तक हो सकते हैं। प्रवर्तक एक व्यक्ति, फर्म, व्यक्तियों का समूह या निगमित निकाय (body corporate) हो सकते हैं। यहां तक कि यदि

किसी व्यक्ति ने प्रवर्तन प्रक्रिया में मामूली सा भी भाग लिया हो, तो उसे भी प्रवर्तक माना जाता है। परन्तु यदि किसी व्यक्ति ने सीमानियम में हस्ताक्षर किये हैं अथवा उसने कम्पनी के गठन से सम्बन्धित व्ययों के लिए धन जुटाया है या पेशेवर की हैसियत (professional capacity) में कार्य किया है तो इतने से ही वह प्रवर्तक नहीं बन जाता है। उदाहरण के लिए कम्पनी के निगमन प्रमाणपत्र प्राप्त करना या कम्पनी के पंजीकरण के दस्तावेज तैयार करना। अतः एक कानूनी सलाहकार (सालिसिटर) जो अन्तर्नियम तैयार करता है या एक लेखाकार, कम्पनी जो परिसम्पत्तियों क्रय करना चाहती है, उनका मूल्याकंन करता है वे अपने पेशे की हैसियत से प्रवतकों की सहायता करता है। यदि जहां वह इस से अधिक कार्य करता है जैसे अपने ग्राहकों (clients) का ऐसे व्यक्तियों से परिचय कराता है जो उस कम्पनी के शेयर क्रय करना चाहते हैं प्रवर्तक माना जायेगा। वह व्यक्ति प्रवर्तक नहीं बन जाता है जिसने सीमानियम पर एक या अधिक शेयर के लिए एक अभिदाता के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। **(Official liquidator vs. Velu Mudaliar)।**

उपर्युक्त विवरण से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि प्रवर्तक एक ऐसा व्यक्ति है जो कम्पनी को अस्तित्व में लाने के लिए प्रारंभिक कर्तव्यों का पालन करता है। इस प्रकार यह निर्णय करने के लिए कि कौन व्यक्ति प्रवर्तक है, हमे यह देखना चाहिए कि क्या वह कम्पनी का गठन करने का इच्छुक है तथा इसके लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार है या नहीं।

कम्पनी के गठन कार्य में, प्रवर्तक वास्तव में अत्यन्त महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं। वे समाज की सेवा करते हैं तथा देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। प्रवर्तक को "धन का जनक" तथा "आर्थिक मसीहा" कहा जाता हैं। प्रवर्तक बहुत जोखिमपूर्ण कार्य करते हैं क्योकि यदि उनकी परिकल्पना गलत निकलती है तो जो भी धन व समय उन्होंने उसमें लगाया है, वे सब व्यर्थ हो जाते हैं।

3.3 प्रवर्तक के कार्य

आप पढ़ चुके हैं कि कम्पनी के गठन में प्रवर्तक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपने यह भी पढ़ा कि एक व्यक्ति, संस्था या कम्पनी प्रवर्तक हो सकती है । प्रवर्तक की हैसियत से कम्पनी का निगमन करने तथा इसका कार्य आरम्भ करने के लिए प्रवर्तक निम्नलिखित कार्य करते हैं:

i) **कम्पनी के गठन की योजना की परिकल्पना :** प्रवर्तक ही सामान्यतः वे पहले व्यक्ति होते हैं जो व्यवसाय करने के विचार की योजना बनाते हैं। वे इस बात की आवश्यक जांच–पड़ताल का कार्य करते हैं कि क्या कम्पनी का गठन सम्भव तथा लाभप्रद होगा। तत्पश्चात्, वे आवश्यक साधनों को संगठित करके अपने विचारों को वास्तविक रूप देने के लिए कम्पनी गठित करते हैं। इस अर्थ में प्रवर्तक ही कम्पनी के गठन की योजना बनाने वाले पहले व्यक्ति होते हैं।

ii) **परियोजना से जुड़ने के लिए तैयार आवश्यक संख्या में व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना :** निजी कम्पनी का गठन करना है अथवा सार्वजनिक कम्पनी का, उसी के अनुसार प्रवर्तक आवश्यक संख्या में व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सार्वजनिक कम्पनी के निर्माण के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या सात तथा निजी कम्पनी की दशा में यह संख्या दो होती है। कम्पनी के स्वरूप के अनुसार, प्रवर्तक प्रारम्भिक सदस्यों की संख्या तय करते हैं।

iii) **कम्पनी के प्रथम निदेशकों के रूप में कार्य करने के लिए सहमत व्यक्तियों को खोजना एवं उनकी सहमति प्राप्त करना** : आप इकाई 1 पढ़ चुके हैं कि कम्पनी में प्रतिनिधित्व प्रबन्ध प्रणाली का चलन होता है तथा इसका प्रबन्ध ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिन्हें निदेशक कहते हैं। साधारणतः कम्पनी के प्रवर्तक ही प्रथम निदेशक स्वयं होते हैं या वे ही निदेशकों की नियुक्ति करते हैं। प्रवर्तक कुछ ऐसे व्यक्तियों की सहमति प्राप्त करते हैं जो उनके विचार में इस कार्य के लिए उपर्युक्त हैं और ऐसे व्यक्तियों को ही प्रस्तावित कम्पनी का प्रथम निदेशक नियुक्त किया जाता है। कई बार प्रवर्तक स्वयं ही पहले निदेशक बनते हैं।

iv) **कम्पनी के नाम के विषय में निर्णय करना** : कम्पनी के नाम का चयन करने के लिए प्रवर्तकों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है। आम तौर से प्रवर्तक कम्पनी के लिए प्राथमिकता के आधार पर तीन नामों का सुझाव देते हैं। नाम का चयन करते समय प्रवर्तकों को ध्यान रखना चाहिए कि कम्पनी का प्रस्तावित नाम पहले से ही चल रही किसी कम्पनी के नाम जैसा या उससे मिलता–जुलता न हो। उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो नाम उन्होनें सुझाए हैं वह कारपोरेट कार्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) द्वारा बनाए गये नियम और दिशा निदेशके अनुसार हैं। हम कम्पनी के नाम से सबंधित प्रावधानों को इकाई 6 के विस्तार से चर्चा करेंगें।

v) **प्रस्तावित कम्पनी के दस्तावेज तैयार करवाना** : आप अगली इकाई में पढेंगे कि कम्पनी का पंजीयन कराने तथा इसे अस्तित्व में लाने के लिए कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास कुछ आवश्यक दस्तावेज, जैसे कम्पनी के सीमानियम (Memorandum of Association) एवं अन्तर्नियम (Articles of Association) फाइल (जमा) कराने पड़ते है। जैसा कि आप जानते है कि निगमन से पूर्व कम्पनी का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए इन दस्तावेजों को तैयार करवाने का कार्य भी प्रवर्तक ही करते हैं। कानूनी सलाहकारों की सहायता से प्रवर्तक सीमानियम एवं अन्तर्नियम तैयार करने व छपाई कराने का कार्य करते हैं। यदि प्रस्तावित कम्पनी सार्वजनिक कम्पनी है जो निगमन के बाद शेयर जारी करेगी, तब प्रवर्तक को प्रविवरण (prospectus) भी तैयार करने व छपाई कराने की व्यवस्था करनी चाहिए।

vi) **कम्पनी के लिए बैंकर, दलाल तथा कानूनी सलाहकारों की नियुक्तिः** कम्पनी के निगमन के लिए अनेक कानूनी औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है। गठन से सम्बन्धित अनेक विषयों के लिए प्रवर्तकों को कानूनी सलाहकारों की सहायता लेनी पड़ती है। अतः कम्पनी के गठन की प्रक्रियों में सहायता प्राप्त करने के लिए वे कानूनी सलाहकार (सॉलिसिटर) नियुक्त करते हैं। कम्पनी का गठन किसी व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाता है अतः इसे धन के प्रबन्ध का भी कार्य करना होता है। इसलिए प्रवर्तकों को बैंकर की नियुक्ति अवश्य ही करनी चाहिए जो शेयरों के प्रार्थना–पत्र की राशि को प्राप्त करें। यदि प्रस्तावित कम्पनी सार्वजनिक कम्पनी हैं और जनता द्वारा पूंजी जुटाने का प्रस्ताव है तो प्रवर्तकों को कम्पनी के प्रथम पूँजी निर्गमन को सफल बनाने के लिए अभिगोपक (underwriters) तथा दलालों (brokers) की भी नियुक्ति करनी चाहिए।

vii) **परिसम्पत्तियों को प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक करार करना:** कम्पनी की फैक्टरी के लिए प्रवर्तकों को उपयुक्त स्थान का क्रय करना होता है, प्लांट एवं मशीनरी की व्यवस्था करनी होती है तथा महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने के लिए व्यक्तियों की नियुक्तियां भी करनी होती हैं। कई बार कम्पनी के कारोबार को ठीक से चलाने के लिए किसी चल रहे व्यवसाय की परिसम्पत्तियों को खरीदने का कार्य भी करना पड़ता है। ऐसी परिसम्पत्तियों या व्यवसाय को उचित शर्तों पर खरीदने का कार्य भी प्रवर्तक ही करते हैं।

vii) **विक्रेताओं के साथ प्रारम्भिक अनुबन्ध करना:** जैसा कि ऊपर बताया गया है कम्पनी के लिए आवश्यक परिसम्पतियां खरीदने के लिए प्रवर्तकों को विक्रेताओं से अनुबंध करने के लिए शर्तों को तय करने का कार्य भी करना पड़ता है। ऐसे अनुबन्धों को प्रारम्भिक अनुबन्ध कहते हैं।

ix) **रजिस्ट्रार के पास आवश्यक दस्तावेजों को जमा कराने की व्यवस्था करना :** कम्पनी के पंजीयन के लिए प्रवर्तकों को स्टाम्प शुल्क, दस्तावेज जमा कराने की फीस तथा अन्य व्ययों का भुगतान करना पड़ता है। प्रवर्तकों को ही इस बात का पूरा–पूरा ध्यान करना पड़ता है कि कम्पनी के निगमन से सम्बन्धित समस्त कानूनी औपचारिकताओं का पालन कर दिया गया है।

3.4 प्रवर्तकों की कानूनी स्थिति

आप पढ़ चुके हैं कि कम्पनी के गठन के लिए प्रवर्तक ही उत्तरदायी होते हैं। इस दृष्टि से कम्पनी के गठन कार्य में प्रवर्तकों का स्थान अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है तथा उन्हें व्यापक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। कम्पनी के प्रवर्तक की कानूनी स्थिति बड़ी विचित्र है। कम्पनी के प्रवर्तकों की कानूनी स्थिति यह है कि वे जिस कम्पनी का प्रवर्तन करते हैं वे उसके न तो एजेंट होते है और न ही न्यासी। वे एजेंट इसीलिए नहीं होते क्योंकि अभी उनके प्रधान यानी कम्पनी का कोई अस्तित्व नहीं है और न्यासी इसलिए नहीं होने क्योकि कोई न्यास (trust) नहीं है। इसी तर्क के आधार पर प्रवर्तकों को कम्पनी का न्यासी (trustee) भी नहीं कहा जा सकता।

परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रस्तावित कम्पनी से प्रवर्तकों का कोई कानूनी सम्बन्ध ही नहीं हैं। प्रवर्तकों की सही कानूनी स्थिति का वर्णन करने के लिए हम यह कह सकते हैं कि कम्पनी तथा उसके प्रवर्तकों का वैश्वासिक (fiduciary) सम्बन्ध होता है **Erlanger vs. New Sambrero Phosphate Co.** के मामले में न्यायधीश Lord Cairns ने प्रवर्तक की स्थिति का सही वर्णन इस प्रकार किया है:

"कम्पनी के प्रवर्तकों की स्थिति निःसंदेह वैश्वासिक होती है। उनके हाथों में ही कम्पनी का निर्माण है तथा वे ही कम्पनी का भविष्य तय करते है। वह इस बात का निर्णय करते हैं कि कम्पनी कब और कैसे बनेगी, उसकी क्या आकृति होगी तथा वह कैसे और किसके निरीक्षण में कार्य करेगी। वास्तव में प्रवर्तक जिस कम्पनी का प्रवर्तन करते हैं, उसके साथ उनका सम्बन्ध वैश्वासिक है। यही नहीं बल्कि वे जिन शेयरधारियों को कम्पनी के शेयर खरीदने के प्ररित करते हैं, उनके साथ भी प्रवर्तकों का सम्बन्ध वैश्वासिक ही होता है। **(Lagunas Nitrate Co. vs. Lagunas Syndicate (1899)**

लार्ड जस्टिस लिंडले (Lord Justice Lindley) ने Lidney and Wigpool Iron ore Company vs. Bird (1866) में प्रवर्तक की स्थिति इस प्रकार बताई है:

"यद्यपि प्रवर्तक कम्पनी के गठन से पहले, ना ही कम्पनी का एजेंट ना ही न्यासी होता है, किन्तु उसकी विशेष स्थिति देखते हुए एजेंसी व न्यास, के पुराने कानूनी सिद्धान्त का विस्तार किया है, और ऐसे मामलों को पूरा करने में उचित विस्तार किया है। यह निश्चित है कि प्रवर्तक ने कोई भी धन गुप्त रूप से प्राप्त किया है वह उसके लिए उत्तरदायी है। यह इसी प्रकार है जैसे एक एजेन्ट और प्रधान या न्यासी और धर्मस्व प्राप्तकर्ता (cestui que) का संबंध होता है। ऐसा ही संबंध जब उसने धन प्राप्त किया था उसके व कम्पनी के बीच उस समय था।"

आपने एजेंसी व साझेदारी अनुबन्धों में पढ़ रखा है कि वैश्वासिक सम्बन्ध से तात्पर्य ऐसे सम्बन्ध से है जो पूर्ण विश्वास एवं सद्विश्वास पर आधारित होता है तथा जहां महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्रकट कर दिया जाना चाहिए। वैश्वासिक स्थिति होने के कारण, प्रवर्तकों को कम्पनी की कीमत पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी गुप्त लाभ बिना कम्पनी की सहमति के प्राप्त नहीं करना चाहिए।

बोध प्रश्न क

1) प्रवर्तक कौन होता है ?

.....

.....

.....

2) प्रवर्तक के चार महत्वपूर्ण कार्यों को सूचीबद्ध कीजिए।

.....

.....

.....

3) वैश्वासिक सम्बन्ध से क्या तात्पर्य है ?

.....

.....

.....

4) तीन पंक्तियों में प्रवर्तक की कानूनी स्थिति बताइए ?

.....

.....

.....

5) बताइए कि निम्नलिखित कथन **सही** हैं अथवा **गलत**

i) प्रवर्तक एक व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह अथवा कम्पनी हो सकता है।

ii) कम्पनी के गठन कार्य में प्रवर्तन पहला चरण है।

iii) कम्पनी के गठन कार्य से संबंधित सभी व्यक्ति कम्पनी के प्रवर्तक होते हैं।

iv) प्रवर्तक ऐसा व्यक्ति है जो कम्पनी को अस्तित्व में लाता है।

v) प्रवर्तक को गुप्त लाभ अर्जित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

vi) प्रवर्तक जिस कम्पनी का प्रवर्तन करता है, उसके साथ उसका वैश्वासिक सम्बन्ध होता है।

vii) प्रवर्तक वास्तव में, उस कम्पनी के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं जिसका निर्माण किया जा रहा है।

3.5 प्रवर्तक के कर्तव्य

उपर्युक्त अनुच्छेद में आपने पढ़ा कि जिस कम्पनी का प्रवर्तन किया जा रहा है उसके साथ प्रवर्तकों की स्थिति पूर्ण विश्वास और भरोसे की होती है। इस वैश्वासिक स्थिति में प्रवर्तकों के निम्नलिखित मुख्य कर्तव्य हैं:

1) **गुप्त लाभ न कमाना** : कम्पनी के प्रवर्तन के दौरान प्रवर्तकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से कोई लाभ प्राप्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रवर्तक न्यासी की स्थिति में होता है, अतः उसका कर्तव्य है कि पूरी ईमानदारी से कार्य करे तथा न्यासी की अपनी स्थिति की गरिमा को बनाए रखे।

यहां यह स्मरण रहे कि कानून द्वारा प्रवर्तकों को लाभ कमाने से रोका नहीं गया है। कानून के द्वारा उन्हें केवल गुप्त लाभ कमाने से रोका गया है अर्थात् ऐसे लाभ जिन्हें प्रवर्तकों ने कम्पनी को न बताया हो।

गुप्त लाभ क्या होता है इसका अच्छा उदाहरण **Gluckstein vs. Barnes (1900)** के केस में मिलता है। इस वाद में, एक सम्पत्ति जिस का नाम 'ओलेंपिया' था क्रय करने के लिए व्यक्तियों की सिंडीकेट बनाई और इस ओलेंपिया का विक्रय एक कम्पनी बनाकर उसको करना था। सिंडीकेट ने पहले पुरानी 'ओलेंपिया' के डिबेंचर बट्टे पर क्रय किए। उसके बाद उन्होंने कम्पनी को ही £ 1,40,000 में खरीद लिया। इस रकम से जो उन्होने दी थी, डिबेचरों का पूरा भुगतान कर दिया और £ 20,000 कर लाभ कमा लिया। उन्होनें एक नई कम्पनी का गठन किया और उसे 'ओलेंपिया' को £ 1,80,000 में बेच दिया। प्रविवरण (प्रास्पेक्टस) में £ 40,000 लाभ प्रकट किया लेकिन £ 20,000 नहीं। निर्णय हुआ की गुप्त लाभ £ 20,000 था और प्रर्वतक उस लाभ को कम्पनी को देना पड़ेगा। क्योकि उन के द्वारा कम्पनी निदेशक की स्थिति में लाभ £ 40,000 का बताना पर्याप्त नहीं हैं।

किसको बताना हैं ?

आप पढ़ चुके हैं कि प्रवर्तक कम्पनी के गठन से परन्तु कम्पनी की स्वीकृति से लाभ कमा सकता है। परन्तु कम्पनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। समस्या है कि कम्पनी की ओर से किस से स्वीकृति ली जाए।

Lagunas Nitrate co vs. Lagunas Syndicate Ltd (1899) में यह निर्णय हुआ "या तो आरम्भ के शेयरधारियों की स्वीकृति व्यक्तिगत रूप से ली जाए या इस संदर्भ में साधारण प्रस्ताव पारित करके ली जाए। यदि कम्पनी ने प्रविवरण (प्रास्पेकटस) जारी किया है तो शेयरधारियों के लिए इस में प्रकट किया जाए। प्रत्येक शेयरधारी का प्रविवरण के आधार पर शेयर का अभिदान उस शेयरधारी की प्रवर्तक के लाभ के बारे में स्वीकृति मानी जाएगी। अतः प्रवर्तकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि असली तथ्य उनको बताना है जो प्रर्वतक द्वारा उस कम्पनी में शामिल होने लिए प्रेरित किए गये हैं।

यदि कोई प्रवर्तक गुप्त लाभ अर्जित करता है तो कम्पनी को उसके विरुद्ध निम्नलिखित उपचार उपलब्ध हैं:

क) **अनुबन्ध निरस्त करना** : गुप्त लाभ की सूचना होने पर, कम्पनी प्रवर्तक द्वारा किए गए उस अनुबन्ध को समाप्त कर सकती है जिससे उसे गुप्त लाभ हो रहा है।

ख) **लाभ लौटाने का आदेश** : कम्पनी प्रवर्तक से गुप्त लाभ की समस्त रकम लौटाने के लिए आदेश दे सकती है।

ग) **कर्त्तव्य भंग के लिए दावा** : कम्पनी, प्रवर्तक के विरुद्ध अपकरण (misfeasance) या छल–कपट के लिए मुकदमा दायर कर सकती है, क्योंकि प्रवर्तकों ने गुप्त लाभ कमा कर कम्पनी के प्रति अपने कर्तव्य को भंग किया है।

2) **कंपनी को महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट करना** : वैश्वासिक सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए प्रवर्तकों का यह कर्तव्य है कि वह कम्पनी के समक्ष समस्त तथ्य प्रकट कर दें। यदि प्रवर्तक स्वयं अपनी सम्पत्ति कम्पनी को बेचकर लाभ अर्जित करते है अथवा उनका कम्पनी के किसी व्यवहार में कोई हित है, तो प्रवर्तकों को यह तथ्य प्रकट कर देने चाहिए। आपके यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रकटीकरण करते समय प्रवर्तकों को पूर्ण तथ्य प्रकट कर देने चाहिए। यदि वह पूर्ण तथ्य प्रकट किए बिना अपनी सम्पत्ति को बेचता है, तो कम्पनी या तो उस अनुबन्ध को समाप्त कर सकती है या फिर अनुबन्ध को बनाए रखते हुए प्रवर्तकों से लाभ लौटाने के लिए कह सकती है। आइए अब प्रवर्तकों की इस वैश्वासिक स्थिति को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं।

'A' किसी सूखी भूमि का स्वामी था। उसने और उसके मित्रों ने माईक्रोचिप्स निर्माण करने के उद्देश्य से एक कम्पनी गठित करने का निर्णय किया। उन्होंने कम्पनी के प्रथम निदेशकों को नियुक्त कर दिया। 'A' ने अपनी भूमि उसके वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक मूल्य पर कम्पनी को बेच दी। कम्पनी के गठन के पश्चात् शेयरधारियों की सभा में भूमि खरीदने के करार की अनुमति दे दी गई परन्तु सभा मे यह तथ्य प्रकट नहीं किया गया कि वह भूमि 'A' की है तथा इस व्यवहार से 'A' ने लाभ कमाया है। कुछ समय बाद कम्पनी का समापन करना पड़ा तो समापक ने भूमि के विक्रय के सौदे से हुए लाभ को लौटाने के लिए 'A' पर मुकदमा कर दिया। इस उदाहरण में आपने अपने गौर किया होगा कि 'A' ने पूर्ण तथ्यों को प्रकट करने के अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तथा प्रवर्तन के दौरान 'A' ने गुप्त लाभ अर्जित किया। क्योंकि प्रवर्तक ने गुप्त लाभ के तथ्य को प्रकट नहीं किया अतः कम्पनी इस अनुबन्ध को समाप्त कर सकती है। यदि 'A' ने कम्पनी के निदेशकों तथा शेयरधारियों के समक्ष पूर्ण तथ्य प्रकट कर दिए होते तो वह इस लाभ को अपने पास रख सकता था।

3) **लेन–देन का लाभ कम्पनी को देना चाहिए**: प्रवर्तक का यह कर्तव्य है कि प्रवर्तक की स्थिति में वह जो लेन–देन या करार करता है, उससे उत्पन्न लाभ कम्पनी को ही दे। उदाहरण के लिए, यदि, उसने कम्पनी के लिए निश्चित मूल्य पर बेचने के लिए भूमि कोई सौदा किया है, तो उस निश्चित मूल्य पर ही वह भूमि कम्पनी को बेचनी चाहिए। यदि यह निश्चित मूल्य से अधिक मूल्य पर भूमि बेचता है, तो कम्पनी इस बात की जानकारी मिलने पर इस अनुबन्ध को समाप्त कर सकती है। यदि किसी कारण से उस अनुबन्ध को समाप्त नहीं किया जा सकता हो, तो कम्पनी प्रवर्तकों से हर्जाने की मांग कर सकती है तथा हर्जाने की रकम प्रवर्तक को मिले हुए लाभ की रकम के बराबर होगी। परन्तु यह ध्यान रहे कि सम्पत्ति के विक्रय से उत्पन्न लाभ को प्रवर्तक से केवल तभी वापस मांगा जा सकता है जब यह क्रय–विक्रय उस समय हुआ हो जब वह प्रवर्तक के रूप में कार्य कर रहा था। भावी कम्पनी तथा बाहरी व्यक्तियों के साथ लेन–देन करते समय अपने दायित्व से बचने के लिए प्रवर्तकों को पूर्ण ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करना चाहिए।

4) **भावी आबंटितियों के प्रति कर्तव्य** : प्रवर्तकों का कम्पनी के प्रति विश्वास का सम्बन्ध है। इसका यह अर्थ नहीं है कि उनका सम्बन्ध केवल कम्पनी के प्रति है बल्कि भावी आबंटितियों के प्रति भी प्रवर्तकों का यही सम्बन्ध है। अतः प्रवर्तकों

का यह कर्तव्य है कि उनके द्वारा जो भी प्रविवरण जारी किया जाए उसमें समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों का पूर्ण विवरण दिया जाए तथा उसमें कोई भी असत्य कथन नहीं दिया जाना चाहिए।

प्रवर्तकों के कर्तव्यों की समाप्तिः कम्पनी के निगमन के बाद प्रवर्तक के कर्तव्य समाप्त नहीं होते या यहां तक कि जब निदेशक बोर्ड भी गठित हो गया हो। वह जब तक रहते हैं जब तक कम्पनी ने सम्पति अधिगृहित न कर ली हो या व्यापार जो चलाना है और आरम्भिक पूँजी न जुटा ली हो **(Lagunas Nitrate Co. vs. Lagunas Syndicate Ltd (Supra))** और प्रवर्तक से निदेशक बोर्ड ने कम्पनी का प्रबंध अपने हाथों में ले लिया हो। **(Twy Cross vs. Grant (1877)**

3.6 प्रवर्तकों के दायित्व

आपने अभी–अभी प्रवर्तकों के वैश्वासिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ा और यह पढ़ा कि कोई भी कर्तव्य भंग किए जाने पर कम्पनी प्रवर्तकों को गुप्त लाभ लौटाने के लिए कह सकती है। प्रवर्तकों द्वारा किए गये किसी ऐसे विक्रय अनुबन्ध में जिसमें उन्होंने अपने हित को प्रकट नहीं किया हो, कम्पनी अनुबन्ध को समाप्त कर सकती है। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत प्रवर्तकों के दायित्व निम्नलिखित हैंः

i) धारा 26 में उन विषयों व रिपोर्टों का वर्णन किया गया है जिन्हें प्रविवरण में अवश्य शामिल करना चाहिए। यदि इस प्रावधान का पालन नहीं किया जाता तो शेयराधारी प्रवर्तकों को धारा 35 के अन्तर्गत हर्जाना (compensation) देने के लिए उत्तरदायी ठहरा सकते हैं।

ii) धारा 35 के अनुसार प्रविवरण में किए गये असत्य वर्णन के लिए प्रवर्तकों के विरुद्ध दीवानी कार्यवाही की जा सकती है। इस धारा के अन्तर्गत प्रविवरण में किए गए असत्य या गुमराह करने वाले कथनों के लिए प्रवर्तक प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होता है जिसने प्रविवरण पर विश्वास करके शेयरों या ऋणपत्रों के लिए प्रार्थना–पत्र भरे हैं। प्रविवरण में किए गये असत्य कथन से यदि किसी ऐसे व्यक्ति को हानि होती है जिसने प्रविवरण के आधार पर ही शेयरों या ऋण–पत्रों के लिए आवेदन किया है, तो इस हानि को पूरा करने के लिए प्रवर्तक उत्तरदायी होते हैं।

    धारा 35 में उन प्रावधानों का भी विशेष उल्लेख किया गया है कि जिनके आधार पर प्रवर्तक अपने दायित्व से बच सकते हैं। प्रविवरण में किए गए असत्य कथन के दायित्व से बचने के लिए ये उपचार सभी दायी व्यक्तियों को उपलब्ध हैं। इन उपचारों के बारे में आप इकाई 8 में विस्तार से अध्ययन करेंगे।

iii) धारा 34 में प्रविवरण में किए गये असत्य वर्णन के लिए अपराधिक (criminal) कार्यवाही करने का प्रावधान है। उपर्युक्त उल्लिखित दो परिस्थितियों में दीवानी (civil) कार्यवाही के अतिरिक्त, प्रवर्तकों के विरुद्ध असत्य वर्णन के लिए अपराधिक कार्यवाही भी जा सकती है। अपराधिक दायित्व के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 447 में प्रावधान है, इस के अनुसार छह मास से दस वर्ष तक का कारावास हो सकता है और प्रर्वतक जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा जो कपट की रकम से कम नहीं होगा, किन्तु यह रकम कपट की रकम के तीन गुना तक भी हो सकती है। और जहां कथित कपट जनहित के विरुद्ध है वहां कारावास की अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी।

प्रवर्तकों को असत्य कथनों के लिए अपराधिक दायित्व जब तक वहन करना पड़ेगा जब तक वह साबित नहीं कर दे कि ऐसा कथन महत्वहीन था या उन के पास विश्वास करने के युक्ति युक्त आधार थे और प्रविवरण जारी करते समय उसके पास उस कथन को सत्य समझने के लिए पर्याप्त आधार थे और चूक या सम्मिलित किया जाना आवश्यक था।

iv) धारा 300 के अनुसार अधिकरण को यहाँ अधिकार है कि वह कम्पनी के गठन के दौरान कपट के लिए दोषी सभी प्रवर्तकों की सार्वजनिक रूप से जांच करे। यदि कम्पनी के समापन की स्थिति में समापक अपनी रिपोर्ट में कम्पनी के प्रवर्तन या गठन के दौरान किसी कपट का वर्णन करते है, तब भी अधिकरण उस प्रर्वतक (कों) से पूछताछ कर सकता है।

v) धारा 340 में प्रावधान किया गया है कि यदि कम्पनी के गठन के दौरान अपकरण (misfeasance) या विश्वास–भंग करके धन का दुरुपयोग किया जाता है, तो भी प्रवर्तक इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। कम्पनी के किसी अन्य निदेशक या अधिकारी के समान, प्रवर्तकों को भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है यदि उसने कम्पनी की किसी सम्पत्ति का दुरुपयोग किया है या निजी कार्यों के लिए प्रयोग किया है अथवा वह कम्पनी के प्रति विश्वास भंग करने या अपकरण का दोषी है।

vi) निगमन से पूर्व किए गए अनुबन्धों के लिए प्रवर्तक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। प्रवर्तक की मृत्यु होने पर उसका यह दायित्व समाप्त नहीं होता। इस इकाई के 3.8 में आप निगमन से पूर्व के अनुबन्धों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।

बोध प्रश्न ख

1) प्रवर्तकों के तीन मुख्य कर्तव्य लिखिए।

.....

.....

.....

2) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:

i) प्रवर्तक कम्पनी के .....में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

ii) एक व्यक्ति के अतिरिक्त ..... भी प्रवर्तक हो सकती है।

iii) प्रवर्तक व्यवसाय स्थापित करने की ..... करता है तथा इस विचार को कार्यरूप देने के लिए ..... को संगठित करते हैं।

iv) कम्पनी के ..... निदेशक सामान्यतः प्रवर्तकों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

v) कम्पनी के लिए परिसम्पत्तियाँ क्रय करने के लिए प्रवर्तक ..... करते हैं।

vi) कम्पनी प्रवर्तक द्वारा प्राप्त किए गये ..... को लौटाने के लिए उत्तरदायी ठहरा सकती है।

vii) प्रवर्तक का कम्पनी के साथ ..... सम्बन्ध होता है।

3.7 प्रवर्तक का पारिश्रमिक

उपर्युक्त विवरण में आपने पढ़ा कि कम्पनी के साथ प्रवर्तकों की स्थिति बहुत ही अनोखी है। कम्पनी को अस्तित्व में लाने से पहले प्रवर्तकों को समस्त औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है, काफी समय लगाना व कठिन परिश्रम करना पड़ता है

तथा कम्पनी को चालू करने के लिए विभिन्न साधनों को संगठित करना पड़ता है। उसे प्रारंभिक व्यय भी स्वयं ही करने पड़ते हैं। इस सब महत्वपूर्ण कार्यों व परिश्रम के लिए उसे पारिश्रमिक या खर्च या दोनों ही के लिए भुगतान की मांग करने का अधिकार होना चाहिए। परन्तु उसे अपनी सेवाओं के लिए कानून के अन्तर्गत कोई भी पारिश्रमिक पाने का तब तक अधिकार नहीं होता है जब तक कि इस सबन्ध में कम्पनी के गठित होने के पश्चात् प्रवर्तक का कम्पनी से विशेष अनुबंध नहीं हो जाता। यह ध्यान रहे कि यदि निगमन से पहले संभावित निदेशकों के साथ प्रवर्तकों का कोई अनुबन्ध हो भी जाता है, तब भी उसे पारिश्रमिक प्राप्त करने का कोई वैध अधिकार नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि निदेशक कम्पनी की ओर से कोई अनुबन्ध नहीं कर सकते क्योंकि अभी कम्पनी अस्तित्व में आई ही नहीं है। कई ऐसी परिस्थितियां भी हैं जब कम्पनी के अन्तर्नियमों में एक निश्चित धनराशि प्रवर्तकों को पारिश्रमिक के रूप में देने का प्रावधान किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान होने पर निदेशकों को यह भुगतान करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, परन्तु इससे प्रवर्तकों को पारिश्रमिक की मांग करने या उसे वसूल करने के लिए दावा करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। व्यवहार में, कम्पनी के पंजीकरण के बाद कम्पनी आमतौर से प्रवर्तकों को उनकी महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए उचित पारिश्रमिक देने का करार करती है। प्रवर्तकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक निम्नलिखित में से किसी भी रूप में दिया जा सकता है:

1) वह अपनी सम्पत्ति को नकद मूल्य पर या पूर्णदत्त शेयर पर ऊँचे मूल्य पर कम्पनी को बेच सकता है, परन्तु वह ऐसा तभी कर सकता है जब उसने अपने लाभ के बारे में स्वतन्त्र निदेशक मंडल या इच्छुक शेयरधारियों के समक्ष तथ्य प्रकट कर दिये हों।

2) वह बेचे गये शेयरों पर कमीशन भी प्राप्त कर सकता है।

3) उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए उसे कम्पनी एकमुश्त रकम का भुगतान कर सकती है।

4) कम्पनी प्रवर्तकों को पूर्णदत्त शेयर जारी कर सकती है या तो मुफ्त या भारी बट्टे पर।

चाहे किसी भी ढंग से भुगतान किया गया हो, भुगतान की राशि का पूर्ण विवरण प्रविवरण में अवश्य दिया जाना चाहिए।

3.8 प्रारंभिक अनुबन्धों या निगमन से पूर्व अनुबन्धों की स्थिति (Position of Preliminary or Pre-Incorporation Contracts)

कम्पनी के गठन के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने तथा साधनों को संगठित करने के लिए प्रवर्तकों को अन्य पक्षकारों के साथ ऐसी कम्पनी के लिए अनुबन्ध करने पड़ते हैं जो अभी अस्तित्व में नहीं आई है। ऐसे अनुबन्ध सामान्यतः प्रवर्तक किसी सम्पत्ति को खरीदने या किसी कम्पनी के अधिकार को प्राप्त करने के लिए करते है। कम्पनी के निगमन से पूर्व प्रवर्तकों द्वारा कम्पनी की ओर से अन्य पक्षकारों के साथ किए गये अनुबन्धों को प्रारंभिक अनुबन्ध कहते हैं।

आपको स्मरण रखना चाहिए कि कम्पनी के निगमित हो जाने पर भी, कम्पनी इन प्रारंभिक अनुबन्धों से बाध्य नहीं होती है। इसका कारण यह है कि निगमन से पहले कम्पनी कोई अनुबन्ध कर ही नहीं सकती क्योंकि इसका कोई कानूनी अस्तित्व नहीं

होता। यही नहीं, बल्कि निगमन के पश्चात् कम्पनी इन प्रारंभिक अनुबन्धों की पुष्टि भी नहीं कर सकती, क्योंकि वैध पुष्टीकरण के लिए आवश्यक है कि जिस समय प्रवर्तकों ने अनुबन्ध किया हो उस समय प्रधान (कम्पनी) का अस्तित्व होना चाहिए। प्रारंभिक अनुबन्धों के आधार पर कम्पनी न तो अन्य पक्षकारों के विरुद्ध कोई मुकदमा दायर कर सकती है, और न ही अन्य पक्ष कम्पनी के विरुद्ध मुकदमा कर सकते हैं क्योकि निगमन से पहले कम्पनी का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। प्रारंभिक अनुबन्धों की स्थिति को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता हैः

i) **पंजीकरण होने पर कम्पनी प्रारंभिक अनुबन्धों से बाध्य नहीं होती हैः** प्रारंभिक अनुबन्ध से कम्पनी बाध्य नहीं होती, भले ही उसने उस अनुबन्ध के अन्तर्गत किए गये कार्यों का लाभ उठाया हो। उदाहरण के लिए, कम्पनी के प्रवर्तकों ने कम्पनी की सीमानियम तथा अन्तर्नियम तैयार करने के लिए एक कानूनी सलाहकार (सालिसिटर) को नियुक्त किया। कानूनी सलाहाकार ने कम्पनी के पंजीयन की फीस आदि भी चुकाई। ये प्रवर्तक बाद में कम्पनी के निदेशक बन गये। कानूनी सलाहकार ने खर्चों तथा अपनी फीस के लिए दावा कर दिया। निर्णय दिया गया कि जब व्यय किए गये थे जब समय कम्पनी का अस्तित्व ही नहीं था, अतः कम्पनी भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है।

ii) **कम्पनी प्रारंभिक अनुबन्धों को प्रवर्तित नहीं कर सकतीः** आपको याद रखना चाहिए कि जिस प्रकार प्रारंभिक अनुबन्धों के लिए कम्पनी उत्तरदायी नहीं होती उसी तरह निगमन के पहले किए गये किसी भी अनुबन्ध को कम्पनी प्रवर्तित नहीं कर सकती। इसका अर्थ यह है कि प्रारंभिक अनुबन्धों के आधार पर कम्पनी दूसरे पक्षों पर अनुबन्ध का पालन करने के लिए मुकदमा नहीं कर सकती। उदाहरणार्थ `X' आसाम में एक भूमि के टुकड़े का स्वामी था। उसने अपनी भूमि को एक प्रस्ताविक कम्पनी के प्रर्वतकों A, B और C को पट्टे पर देने का अनुबन्ध कर लिया। बाद में प्रवर्तकों ने M. Pvt. Ltd. नाम की कम्पनी का गठन किया। भूमि की जांच करने पर पता चला कि वहां पर तेल निकलने की पूर्ण संभावना है। तदुपरान्त `X' ने M. Pvt. Ltd. को जमीन पट्टे पर देने से इंकार कर दिया। निर्णय दिया गया कि कम्पनी `X' के विरुद्ध मुकदमा नहीं कर सकती, तथा वह यथा–निर्दिष्ट पालन की मांग भी नहीं कर सकती क्योंकि जिस समय पट्टे पर हस्ताक्षर हुए थे उस समय कम्पनी का अस्तित्व ही नहीं था।

iii) **कम्पनी प्रारंभिक अनुबन्धों की पुष्टि नहीं कर सकतीः** कम्पनी के निगमित होने के पश्चात् कम्पनी अपने अस्तित्व से पहले किए गये अनुबन्धों की पुष्टि नहीं कर सकती। एजेंसी के अनुबन्ध में आपने पढ़ा था कि वैध पुष्टीकरण के लिए यह आवश्यक है कि जिस समय प्रारंभ में अनुबन्ध किया गया था, उस समय प्रधान का अस्तित्व में होना आवश्यक है और यहां अनुबन्ध करने के समय कम्पनी अस्तित्व में थी ही नहीं, अतः निगमन के पश्चात् कम्पनी प्रारंभिक अनुबन्धों की पुष्टि नहीं कर सकती। **Kelner vs. Baxter** के केस में निर्णय दिया गया था कि प्रारंभिक अनुबन्ध करने के समय कम्पनी का अस्तित्व नहीं था, अतः कम्पनी उनकी पुष्टि भी नहीं कर सकती। हां, कम्पनी यह अवश्य कर सकती है, कि वह निगमन के बाद विक्रेताओं से नया अनुबन्ध कर सकती है तथा यह नया अनुबन्ध प्रारंभिक अनुबन्ध के आधार पर तथा उन्हीं शर्तों पर किया जा सकता है।

उपर्युक्त नियमों के सम्बन्ध में हमारे देश में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 (Specific Relief Act) मे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गये हैं। ये प्रावधान उपर्युक्त

नियमों के अपवाद स्वरूप है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 15 एवं 19 के अनुसार, यदि निगमन से पहले प्रवर्तकों द्वारा कम्पनी की ओर से कोई ऐसा अनुबन्ध किया गया है जो कम्पनी के उद्देश्यों के लिए किया गया हो तथा यह अनुबन्ध निगमन की शर्तों के अनुसार हो, तो ऐसा अनुबन्ध कम्पनी के द्वारा अथवा उसके विरुद्व प्रवर्तित कराया जा सकता है, बशर्ते कम्पनी ने निगमन के बाद उस अनुबन्ध को स्वीकार किया हो, तथा स्वीकृति की सूचना दूसरे पक्ष को दे दी गई हो।

उपर्युक्त पैरा में "कम्पनी के उद्देश्यों के लिए" से तात्पर्य ऐसे अनुबन्धों से है जो कम्पनी के निगमन तथा कार्यशीलता के लिए आवश्यक हैं। उदाहरण, कम्पनी के सीमानियम एवं अन्तर्नियमों को तैयार करने व छपाई कराने का अनुबन्ध अथवा कम्पनी में उत्पादन कार्य आरंभ करने के लिए आवश्यक कच्चे माल की सप्लाई करने का अनुबन्ध। ये अनुबन्ध कम्पनी के उद्देश्यों के लिए माने जाते है। अब तक आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि ऐसे अनुबन्धों को प्रवर्तित कराने के लिए यह आवश्यक है कि निगमन के बाद कम्पनी में उन्हें स्वीकार किया हो तथा इस स्वीकृति की सूचना दूसरे पक्ष को दे दी गई हो।

3.8.1 निगमन से पूर्व अनुबन्धों के लिए प्रवर्तकों के दायित्व

यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका स्पष्टीकरण करना आवश्यक है कि वह प्रवर्तक की निगमन के पूर्व अनुबन्धों के संबंध में क्या स्थिति होती है। यदि कम्पनी निगमन के बाद नया अनुबंध नहीं करती और यह अनुबन्ध कम्पनी के निगमन से संबंधित भी नहीं है ऐसी स्थिति में प्रर्वतक की कानूनी स्थिति क्या होगी जिसने ऐसा अनुबन्ध किया है।

प्रर्वतक ऐसे अनुबन्धों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं जो उन्होने ऐसी कम्पनी के लिए किए हैं जिस का अस्तित्व नहीं है। आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक अनुबन्धों को कम्पनी के द्वारा अथवा उसके विरुद्व प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता, ना ही वह बाध्य है। इसलिए प्रवर्तक ऐसे पूर्व निगमन अनुबन्धों के लिए स्वयं अकेले ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहते हैं। इस का कारण यह है कि प्रारंभिक अनुबन्ध उस कम्पनी के लिए है जिस का अस्तित्व नहीं है और यह दोनों पक्षकारों को ज्ञात है। अतः यह माना जाता है कि ये अनुबन्ध प्रवर्तकों ने स्वंय किए हैं तथा वह ही इनके निष्पादन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रवर्तक जो प्रारंभिक अनुबन्ध करते हैं उनमें प्रायः प्रावधान होता है कि यदि निगमन के बाद कम्पनी इन करारों को स्वीकार करती है तो प्रर्वतकों का दायित्व समाप्त हो जाता है। यदि कम्पनी एक निश्चित अवधि के भीतर प्रारंभिक अनुबन्धों को स्वीकार नहीं करती है तो कोई भी पक्ष इस अनुबन्ध को रद्द कर सकता है। ऐसी स्थिति में निर्धारित समय के व्यतीत हो जाने पर प्रर्वतकों का दायित्व समाप्त हो जाता है।

Phonogram Limited vs. Lane (1982) केस में यह बताया गया कि यद्यपि अनुबन्ध कम्पनी के गठन से पहले हुआ जो कम्पनी पर बाध्य नहीं है परन्तु इस का कानूनी प्रभाव बिल्कुल समाप्त नहीं होता हालांकि वे सब व्यक्ति जिन्होंने अनुबन्ध किया था वह जानते हैं कि कम्पनी का अभी निगमन नहीं हुआ है। इस वाद में एक व्यक्ति ने एक पॉप ग्रुप का निगमन कराने के लिए एक रिकाडिंग कम्पनी से वित्तीय सहायता ली थी। यह निर्णय हुआ कि वह व्यक्तिगत रूप से वह रकम वापिस करने के लिए बाध्य है जो उसने अपने प्रोजेक्ट के लिए ली जो विफल हो गया।

अनुबन्ध का प्रभाव एक व्यक्तिगत अनुबन्ध की तरह होता है उन व्यक्तियों के साथ जो कम्पनी की ओर से अनुबन्ध करते हैं **(Kelner vs. Baxter)**। प्रवर्तकों को हर्जाना देना होगा यदि वे कम्पनी नाम से अनुबन्ध करते हैं एवं उसे पूरा नहीं करते। यह वहां भी लागू होगा जहां स्पष्ट रूप से अनुबन्ध में प्रावधान हो की कम्पनी की प्रदत्त पूंजी में से निष्पादन करना होगा **(Scot. vs. Lord Ebury (1867)।**

बोध प्रश्न ग

1) प्रवर्तकों को पारिश्रामिक देने के तीन ढंग बताइए।

.....
.....
.....

2) निमगन से पूर्व अनुबन्ध क्या होते हैं ?

.....
.....
.....

3) बताइये कि निम्नलिखित कथन **सही** हैं अथवा **गलत** :

i) कम्पनी के गठन के लिए की गई सेवाओं के लिए प्रवर्तकों को उचित पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार है।

ii) कम्पनी के साथ किये गये अनुबन्ध की पुष्टि न किए जाने पर प्रवर्तक ऐसे भुगतानों की रकम वसूल नहीं कर सकता जो उसने कम्पनी के गठन से सम्बन्धित कार्यों के लिए किए हैं।

iii) यदि प्रवर्तक ने आवश्यक तथ्य प्रकट कर दिए हैं तो वह अपनी सम्पत्ति कम्पनी को ऊँचे मूल्य पर बेच सकता है।

iv) प्रारंभिक अनुबन्धों के लिए प्रवर्तक का दायित्व कम्पनी का गठन होते ही समाप्त हो जाता हैं।

v) पंजीयन होने पर कम्पनी प्रारभिक अनुबन्धों के लिए बाध्य नहीं है।

vi) यदि कम्पनी के सदस्य सहमत हों तो कम्पनी प्रारंभिक अनुबन्धों की पुष्टि कर सकती है।

vii) कम्पनी तीसरे पक्षकारों के विरुद्व प्रारंभिक अनुबन्धों को प्रवर्तित नहीं कर सकती।

viii) प्रारंभिक अनुबन्धों के लिए प्रवर्तक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं।

3.9 सारांश

कम्पनी के पंजीकरण व गठन करने में प्रर्वतन पहला कदम है। जो व्यक्ति इस कार्य को करते हैं उन्हें प्रर्वतक कहते हैं। परन्तु जो व्यक्ति प्रवर्तकों की अनुभवी व्यक्तियों (पेशेवर) के रूप में सहायता करते हैं वे प्रर्वतक नहीं कहलाते। प्रर्वतक की स्थिति निदेशकों के बोर्ड बनते ही समाप्त हो जाती हैं और वे कम्पनी का संचालन करना प्रारम्भ कर देते हैं।

अधिनियम में प्रर्वतकों के कर्तव्यों के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। यह प्रविवरण में अशुद्ध कथनों, जिसके वह पक्षकार हैं व कपटपूर्ण व्यापार के लिए प्रर्वतकों पर दायित्व लगाता है।

न्यायलय ने उन पर दो वैश्वासिक कर्तव्य लगाये हैं, (1) प्रर्वतन में कोई गुप्त लाभ न कमाना और (2) उन लेन–देनों में जिन में उस का हित है कम्पनी को प्रकट करना।

एक प्रर्वतक को उसकी सेवाओं के लिए किसी प्रकार के पारिश्रमिक का अधिकार नहीं है। जब तक एक वैध अनुबन्ध उस के और कम्पनी के बीच में न हो। और विकल्प यह है कि अन्तर्नियम निदेशकों को उसे रकम देने के लिए प्राधिकृत करें।

निगमन से पूर्व किया गया अनुबन्ध प्रारम्भ से ही व्यर्थ है जब तक कि कम्पनी ऐसे अनुबन्धों को निगमन के बाद अपना ले और यह अनुबन्ध निगमन की शर्तों के साथ हो।

3.10 शब्दावली

प्रर्वतक (Promoter) : ऐसा व्यक्ति जो कम्पनी के गठन सम्बन्धी विभिन्न कार्य करता है।

वैश्वासिक सम्बन्ध (Fiduciary relation): ऐसा सम्बन्ध जो परस्पर विश्वास और निष्ठा पर आधारित होता है।

प्रारंभिक अनुबन्ध (Preliminary Contracts): निगमन से पहले किए गये अनुबन्ध।

पुष्टीकरण (Rectification): किए जा चुके कार्य को स्वीकार करना।

गुप्त लाभ (Secret Profit): समस्त सम्बनिधत तथ्यों को प्रकट किए बिना अर्जित लाभ।

प्रविवरण (Prospectus): ऐसा प्रलेख जिसके द्वारा जनता को कम्पनी के शेयर या ऋण–पत्र खरीदने का निमन्त्रण दिया जाता है।

3.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

क) 5 i) सही ii) सही iii) गलत iv) सही v) सही vi) सही vii) सही

ख) 2 i) गठन ii) संस्था या कम्पनी iii) कल्पना, साधनों iv) प्रथम v) प्रारंभिक अनुबन्ध vi) गुप्त लाभ vii) वैश्वासिक ।

ग) 3 i) गलत ii) सही iii) सही iv) गलत v) सही vi) गलत vii) सही viii) सही

3.12 स्वपरख प्रश्न

1) प्रवर्तक शब्द की परिभाषा कीजिए तथा उसके द्वारा दिऐ जाने वाले कार्यों को स्पष्ट कीजिए।

2) प्रवर्तक की कानूनी स्थिति स्पष्ट कीजिए।

3) "प्रवर्तक तो कम्पनी का एजेंट है और न ही न्यासी परन्तु उसकी कम्पनी के प्रति वैश्वासिक स्थिति होती है।" इस कथन को स्पष्ट कीजिए।

4) प्रवर्तक द्वारा गठित कम्पनी के प्रति उस के क्या वैश्वासिक कर्तव्य हैं?

5) प्रवर्तक के दायित्वों का वर्णन कीजिए।

6) कम्पनी के गठन के दौरान की गई सेवाओं के लिए क्या प्रवर्तकों को पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार है? टिप्पणी कीजिए।

7) प्रारंभिक अनुबन्धों से आप क्या समझते हैं? चर्चा कीजिए क) प्रारंभिक अनुबन्धों के सम्बन्ध में कम्पनी की स्थिति तथा ख) प्रारंभिक अनुबन्धों के लिए प्रवर्तक के दायित्व।

8) निगमन से पूर्व अनुबन्ध से कम्पनी बाध्य क्यों नहीं होती?

नोट : इन प्रश्नों में आपको इस इकाई को और अच्छी तरह से समझने में सहायता मिलेगी। उनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। लेकिन अपने उत्तर विश्वविद्यालय को मत भेजिए। ये सिर्फ आपके अपने अभ्यास के लिए दिए गए है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 4 कम्पनी का गठन (Formation of a Company)

इकाई की रूपरेखा

4.0 उद्देश्य

4.1 प्रस्तावना

4.2 कम्पनी के गठन के विभिन्न चरण

4.3 प्रवर्तन

4.4 रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाने वाले दस्तावेज

4.4.1 दस्तावेजों की ई–फाइलिंग

4.5 निगमन

4.5.1 निगमन प्रमाण–पत्र का निश्चायक प्रमाण

4.5.2 पंजीयन के प्रभाव

4.6 व्यवसाय आरम्भ करना

4.7 सारांश

4.8 शब्दावली

4.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

4.10 स्वपरख प्रश्न

4.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे कि:

- कम्पनी के गठन के चरणों का वर्णन कर सकें;
- रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाने वाले दस्तावेजों को सूचीबद्ध कर सकें;
- दस्तावेजों की ई–फाइलिंग के बारे में जान सकें;
- पंजीयन के प्रभाव को स्पष्ट कर सकें;
- निगमन प्रमाण–पत्र का अर्थ स्पष्ट कर सकें; और
- व्यवसाय आरम्भ के बारे में चर्चा कर सकें।

4.1 प्रस्तावना

आप इकाई 1 में पढ़ चुके हैं कि कम्पनी कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति होती है तथा इसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। आप इकाई 3 मे यह भी पढ़ चुके हैं कि कम्पनी के गठन से पहले, कुछ व्यक्ति, जिन्हें 'प्रवर्तक' कहते हैं, गहन जांच–पडताल करके जब वे व्यवसाय की लाभप्रदता के बारे में सतुष्ट हो जाते हैं, तब, कम्पनी के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं। इस इकाई में आप कम्पनी के गठन के विभिन्न चरणों तथा रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाने वाले दस्तावेज तथा दस्तावेजों की ई–फाईलिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। आप व्यवसाय आरम्भ करने के विषय में भी पढेंगें।

4.2 कम्पनी के गठन के विभिन्न चरण

कम्पनी का गठन एक लम्बी प्रक्रिया है। पंजीयन कराने या निगमन प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के निम्नलिखित तीन चरण हैं:

1 प्रवर्तन,

2 पंजीयन या निगमन, तथा

3 व्यवसाय आरम्भ करना

उपर्युक्त प्रत्येक चरण में अनेक विशिष्ट कार्य करने पड़ते हैं। आइये प्रत्येक चरण को बारी–बारी से पढ़ें।

4.3 प्रवर्तन

कम्पनी को अस्तित्व में लाने के लिए प्रवर्तकों द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों के बारे में आप इकाई 3 में पढ़ चुके हैं।

व्यवसाय के विचार की परिकल्पना करके प्रवर्तक इसकी सुदृढ़ता को देखता है, तत्पश्चात् वह अपने विचारों को साकार रूप देने के लिए आवश्यक साधनों को संगठित करता है। वह कम्पनी के लिए आवश्यक सम्पत्ति, प्लांट एवं मशीनरी खरीदने के लिए आवश्यक बातचीत करके उन्हे प्राप्त करता है, तथा कम्पनी को जितनी पूंजी की आवश्यकता हो, उतनी पूंजी एकत्रित करने की व्यवस्था करता है इसके अतिरिक्त, प्रवर्तक उन व्यक्तियों से भी बातचीत करता है जो कम्पनी के प्रथम निदेशक का उत्तरदायित्व संभालने को तैयार हैं।

यहां यह ध्यान रहे कि कम्पनी का निर्माण वैध उद्देश्यों के लिए ही हो सकता है। कम्पनी का उद्देश्य अवैधानिक होगा यदि

क) यह कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है, या

ख) यह भारत में लागू होने वाले किसी अन्य कानून के प्रावधानों के विपरीत है।

यदि आप ध्यान करें तो आपने इकाई 2 में पढ़ा था कि प्रवर्तक सीमित दायित्व वाली अथवा असीमित दायित्व वाली कम्पनी का गठन कर सकते हैं। सीमित दायित्व वाली कम्पनी की दशा में, सदस्यों का दायित्व शेयरों अथवा गारंटी द्वारा सीमित हो सकता है।

इसके पश्चात् प्रवर्तक कम्पनियों के प्रस्तावित नाम के लिए अनुमति प्राप्त करता है। अब आवेदन आनलाईन भी कर सकते हैं। इसके लिए प्रवर्तक प्राथमिकता के क्रम में तीन या चार नामों का चुनाव करते हैं ताकि कोई एक नाम की स्वीकृति मिल जाए। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 4 (2) में प्रावधान है कि कोई भी कम्पनी ऐसे नाम से पंजीकृत नहीं की जाएगी

(क) जो नाम पहले से ही इस अधिनियम के या अन्य पहले कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत विद्यमान किसी कम्पनी के नाम जैसा या उससे मिलता जुलता हो; या

(ख) ऐसा हो जो (i) किसी कानून के अन्तर्गत वह अपराध हो या (ii) जो केन्द्र सरकार के मत में अवांछनीय हो।

इस सम्बन्ध में आप सीमानियम से सम्बन्धित इकाई 6 में विस्तार से अध्ययन करेंगे।

कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास कम्पनी के पंजीयन के लिए आवेदन देने से पहले,

प्रवर्तक को महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे सीमानियम तथा अन्तर्नियम तैयार करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर लेनी चाहिए। इस कार्य के लिए कम्पनी के प्रवर्तक कानून विशेषज्ञ, सॉलिसिटर, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट, कॉस्ट अकाउन्टेन्ट या कम्पनी सचिव की सहायता ले सकते हैं। ये दस्तावेज छपे हुए होने चाहिए। सीमानियम तथा अन्तर्नियमों पर स्टाम्प होना चाहिए। यह स्टाम्प शुल्क अलग–अलग राज्यों में वहां के राज्य स्टाम्प कानून के अनुसार होता है।

अधिनियम की धारा 7 (a) तथा केन्द्रिय सरकार द्वारा बनाए गये नियम के अनुसार सीमानियम तथा अंतर्नियमों पर प्रत्येक अभिदाता के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए तथा उसे अपना नाम, विवरण तथा पेशा, यदि कोई है, तो कम से कम एक गवाह की उपस्थिति में लिखने होंगे तथा गवाह को अभिदाता के हस्ताक्षर प्रमाणित कर स्वयं अपने हस्ताक्षर करने होंगे तथा अपना नाम, पता और व्यवसाय सम्बन्धी विवरण भी देना होगा। गवाह को अपनी पहचान (ID) भी देनी होगी। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि सीमानियम व अन्तर्नियम पर प्रवर्तक स्वयं हस्ताक्षर करें।

निदेशकों की इस रूप में कार्य करने की लिखित सहमति भी फाइल करना आवश्यक है। निदेशकों द्वारा योग्यता शेयर खरीदने तथा उनका मूल्य चुकाने का लिखित वचन भी दिया जाना चाहिए, यदि कोई है, जैसा अंतर्नियमों में निर्धारित हो।

इस के अतिरिक्त सीमानियम के प्रत्येक अभिदाता से और ऐसे व्यक्तियों से, जिनका नाम प्रथम निदेशकों के रूप में है यह घोषणा फाइल की जाए कि उसे किसी पंजीकृत कम्पनी के प्रवर्तन, गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध नहीं किया गया है या उसे पिछले पांच वर्षों में इस अधिनियम या किसी पूर्व कम्पनी अधिनियम के अधीन, किसी कपट या उपकरण या किसी पंजीकृत कम्पनी के कर्तव्य के भंग का दोषी नहीं पाया गया है और यह कि कम्पनी के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास फाइल किए गए सभी दस्तावेजों में जो जानकारी दी गयी है वह उस की सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण तथा सत्य है।

इस आशय की सांविधिक घोषणा कि कम्पनी अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए सभी नियमों का अनुपालन कर दिया गया है, भी फाइल की जानी चाहिए। यह घोषणा अभिवक्ता (advocate) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट, लागत लेखापाल या कम्पनी सचिव द्वारा, जो कम्पनी के गठन में शामिल हैं और उस व्यक्ति द्वारा जिसका नाम अतंर्नियमों में निदेशक, प्रबंधक या मैनेज़र के रूप में दिया गया है द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिए।

इन कार्यों के अतिरिक्त, कम्पनी की विशिष्ट प्रकृति तथा उद्देश्यों के अनुसार, प्रवर्तकों को पंजीकरण कराने के लिए कम्पनी अधिनियम की कुछ अन्य औपचारिकताओं को भी पूरा करना पड़ता है। इसमें शामिल हैं – i) प्रस्तावित कम्पनी को उद्योग (विकास एवं नियंत्रण) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करना ii) पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करना iii) प्रारंभिक अनुबन्ध करना और iv) प्रविवरण तैयार करना।

बोध प्रश्न क

1) कम्पनी के प्रर्वतन का क्या अर्थ है?

.....

.....

.....

2) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

i) कम्पनी के गठन के लिए प्रवर्तकों को .....अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है।

ii) कम्पनी गठन की तीन चरण हैं, प्रवर्तन,..... तथा व्यवसाय आरम्भ करना।

iii) कम्पनी के प्रवर्तन का कार्य .....से आरम्भ होता है

iv) कम्पनी का गठन केवल ..... उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।

v) ऐसी कम्पनी, जिसके सदस्यों के दायित्व की कोई सीमा नहीं..... कम्पनी कहलाती है।

vi) अधिनियम की धारा 5 के अनुसार कोई भी कम्पनी किसी ऐसी नाम से पंजीकृत नहीं की जाएगी जो ..... के मत में ..... है।

vii) कम्पनी के आन्तरिक प्रबन्ध सम्बन्धी मामलों के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें ..... कहते हैं।

viii) कम्पनी का पंजीकरण कराने के लिए रजिस्ट्रार के पास सीमानियम तथा अन्तर्नियम फाइल करने से पहले इन दस्तावेजों पर प्रस्तावित कम्पनी के प्रत्येक .....के .....होने चाहिए।

ix) सीमानियम के अभिदाताओं को कम से कम एक..... की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने चाहिए।

4.4 रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाने वाले दस्तावेज

प्रवर्तकों ने जब आवश्यक दस्तावेज तैयार करवा लिए हों तो कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास इन दस्तावेजों को फाइल (जमा) कर देना होता है। कम्पनी का पंजीकरण कराने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज फाइल किए जाने आवश्यक होते हैं।

1) **सीमानियम (Memorandum of Association)** : सीमानियम कम्पनी का चार्टर होता है। प्रत्येक कम्पनी को यह बनाना आवश्यक है। इसमें उन उद्देश्यों का वर्णन होता है जिनके लिए कम्पनी का निर्माण किया जाता है। सीमानियम के खंडों से कम्पनी के बारे में सम्पूर्ण जानकारी मिल जाती है। इसमें कम्पनी के उद्देश्य, नाम, दायित्व की प्रकृति, पंजीकृत कार्यालय का पता व राज्य जिसमें पंजीकृत कार्यालय होगा तथा अधिकृत पूंजी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सीमानियम में उन व्यक्तियों के नाम, पते तथा अन्य निर्धारित विवरण होनें चाहिए जिन्होने अपने नाम की सहमति सीमानियम में दी है। सीमानियम कम्पनी के कार्यक्षेत्र को परिभाषित करता है तथा बाहरी व्यक्तियों से सम्बन्ध नियमित करता है। सीमानियम कम्पनी अधिनियम की अनुसूची 1 में (Table A, B, C, D and E) वर्णित प्रारूपों में किसी भी प्रारूप के समान या उससे मिलते जुलते प्रारूप में होना चाहिए जो कम्पनी के लिए उपयुक्त हो।

कम्पनी का पंजीकरण कराने के लिए, प्रवर्तकों को सीमानियम की छपी, हस्ताक्षरित तथा स्टाम्पित कापी रजिस्ट्रार के पास फाइल करानी होती है। यह याद रहे कि निजी कम्पनी में सीमानियम पर दो व्यक्तियों के और इसके विपरीत सार्वजनिक कम्पनी में सात व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

2) **अन्तर्नियम (Article of Association)**: कम्पनी के अन्तर्नियमों में कम्पनी के आंतरिक प्रबन्ध सम्बधी नियम व विनियम दिए होते हैं अतः ये कम्पनी

और सदस्यों के बीच सम्बन्धों को नियमित करते हैं। सभी कम्पनियों के लिए अन्तर्नियम आवश्यक हैं। परन्तु कोई भी कम्पनी, उस कम्पनी को लागू आदर्श अन्तर्नियम में अंतर्विष्ट सूची के किसी नियम को अपना सकती है। विभिन्न प्रकार की कम्पनियों के संबंध में आर्दश कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 1 की सारणी च, छ, ज, झ और त्र (Table F, G, H, I and J) में दिए हैं।

अधिनियम के अंतर्गत किसी भी पंजीकृत कम्पनी के पंजीकृत अन्तर्नियमों पर मॉडल अन्तर्नियमों में दिए गये नियम लागू होंगे जब तक उन्हें संशोधित या अलग न कर दिया गया हो।

अन्तर्नियमों पर अभिदाताओं के अलग–अलग से हस्ताक्षर होगें और वे गवाह से प्रमाणित होंगे। याद रहे निजी कम्पनी में दो और इसके विपरीत सार्वजनिक कम्पनी में सात व्यक्तियों के अन्तर्नियम पर हस्ताक्षर होंगे।

(3) **सीमानियम के अभिदाताओं व प्रथम निदेशकों द्वारा शपथपत्र :** धारा 7(1)(c) के अनुसार सीमानियम के प्रत्येक अभिदाता से और उन व्यक्तियों से जिनका नाम प्रथम निदेशकों के रूप में है, यदि कोई है, अन्तर्नियम में, यह शपथपत्र (declaration) फाइल किया जाना चाहिए कि उसे किसी पंजीकृत कम्पनी के प्रवर्तन, गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध नहीं किया गया है या यह कि उसे पिछले पांच वर्षों के दौरान इस अधिनियम या किसी पूर्व कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत किसी कपट या अपकरण या किसी कंम्पनी के कर्तव्य भंग के दोषी नहीं पाया गया है और पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार को फाइल के लिए किए गए सभी दस्तावेजों में जो जानकारी दी गयी है वह उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण तथा सत्य है। (धारा 7(1)(c))

(4) **उन व्यक्तियों की सूची जो कम्पनी के पहले के निदेशक बनने के लिए सहमति दे चुके है फाइल की जानी चाहिए:** अन्तर्नियमों में ऐसे व्यक्तियों के नाम, उपनाम, कुटुंब नाम, निवास स्थान का पता, राष्ट्रीयता, निदेशक पहचान संख्या और ऐसे अन्य विवरण जो इस संबंध में निर्धारित हैं फाइल किए जाएं।

इसके अतिरिक्त कम्पनी के प्रथम निदेशकों के रूप में अन्तर्नियमों में उल्लेखित व्यक्तियों का अन्य फर्मों या निगमित निकायों में हितों का विवरण तथा उसके साथ कम्पनी के निदेशकों के रूप में कार्य करने की उनकी सहमति भी रजिस्ट्रार के पास निर्धारित प्रारूप व रीति में फाइल करनी होगा।

(5) **पत्र व्यवहार के लिए पता:** जब तक कम्पनी अपना पंजीकृत कार्यालय प्राप्त नहीं कर लेती है, उसे संपर्क के लिए पता देना होगा।

यद्यपि कम्पनी को धारा 12 के अनुसार, पंजीयन के 30 दिनों के भीतर, सभी प्रकार के पत्र व्यवहार, प्राप्ति सूचना (पावती) और नोटिस के लिए, जो उसके नाम में भेजे जा सकते हैं पंजीकृत कार्यालय स्थापित करना होगा।

धारा 12 और जो इस संबध में नियम बनाए गये है उसके अंतर्गत कम्पनी को निर्धारित फार्म न. 225 में निगमन के 30 दिनों के भीतर पंजीकृत कार्यालय का सत्यापन रजिस्ट्रार को देना होगा।

(6) **सांविधानिक घोषणा:** अन्त में, कम्पनी प्रवर्तकों को यह संविधानिक घोषणा अवश्य करनी चाहिए कि कम्पनी अधिनियम की सभी आवश्यकताओं

तथा पंजीयन संबधी इसके नियमों का पालन कर लिया गया है। इस घोषणा पर निम्नलिखित में से किसी एक के द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं:

i) एडवोकेट या

ii) चार्टर्ड लेखापाल या

iii) लागत लेखापाल या

iv) कम्पनी सचिव वह प्रेक्टिस करने वाला हो तथा कम्पनी के गठन कार्य में संलग्न रहा हो

और ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसका नाम कम्पनी के अन्तर्नियमों में निदेशक, प्रबंधक या सचिव के रूप के दिया गया हो।

4.4.1 दस्तावेजों की ई–फाइलिंग

धारा 398 से 402 तक कम्पनी अधिनियम 2013 में कुछ प्रावधान इलैक्ट्रानिक प्रारूप में आवेदन, दस्तावेज निरीक्षण रजिस्ट्रार के पास फाइल करने तथा मूल्य वर्धित सेवाओं से (Value added Services) संबंधित दिए हैं।

इलैक्ट्रानिक प्रारूप में आवेदन, दस्तावेज, निरीक्षण आदि फाइल करना

केन्द्रीय सरकार को धारा 398 के अन्तर्गत आवेदन, फार्म इत्यादि की फाइलिंग, निरीक्षण इलैक्ट्रानिक प्रारूप में रखने सम्बंधित नियम बनाने का अधिकार है।

और धारा 400 इस बात को स्पष्ट करती है कि इलैक्ट्रानिक रूप, भौतिक रूप से अलग अनुकल्पी या अतिरिक्त होगा और केन्द्रीय सरकार इस बारे में भी नियम बना सकेगी।

इलैक्ट्रानिक रूप के माध्यम से मूल्य वर्धित सेवाओं की व्यवस्था (धारा 401)

केन्द्रीय सरकार, इलैक्ट्रानिक के माध्यम से ऐसी मूल्य वर्धित सेवाओं की व्यवस्था और उस पर ऐसी फीस लगा सकेगी, जो विहित की जाएं।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधानों को लागू करना (धारा 402)

आप नोट करें कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के इलैक्ट्रानिक अभिलेखों से संबंधित सभी प्रावधान जिस के अंतर्गत (ऐसी रीति और प्रारूप भी है जिस में इलैक्ट्रानिक अभिलेख फाइल किए जाएंगे) जहां तक वे इस अधिनियम से असंगत न हो, धारा 3298 के अधीन विनिर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक रूप में अभिलेखों के संबंध में लागू होंगे।

ई–फाइलिंग के लाभ

एम.सी.ए. 21 ने अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम कार्यप्रणाली अपनाकर शेयरधारकों को अधिक उपयोगिता प्रदान की है। ई–फाइलिंग के निम्नलिखित लाभ हैं :

- व्यवसाय कम्पनी का पंजीकरण करा सकते हैं और विधिक दस्तावेजों को शीघ्र और आसानी से फाइल कर सकते हैं।
- जनता सम्बन्धित अभिलेखों तक आसानी से पहुंच सकती है और अपनी शिकायतों का समाधान तुरंत कर सकती है।
- व्यवसायी अपने ग्राहक कम्पनियों को उत्तम सेवाएं प्रदान कर पाते हैं।
- वित्तीय संस्थाएं भारों (charges) का पंजीकरण और सत्यापन आसानी से करा पाएंगे।

- सम्बंधित कानूनों का और कारपोरेट गवर्नेस का उत्साह और प्रभाव पूर्ण रूप से सरकार अनुपालन करा सकेगी।
- एम. सी. ए. के कर्मचारी अधिक से अधिक उत्तम सेवाएं दे पाएंगे।

एम.सी.ए.–21 कार्यक्रम का आरंभ

कम्पनी कार्य मंत्रालय ने एम. सी. ए. – 21, प्रोग्राम ई–गवर्नेस के बारे में चलाया जो 21 जुलाई 2006 को एक बड़ा कदम था। एम सी.ए. 21 में ई– फाईलिंग की सुविधा है जिस में एम. सी. ए. के पोर्टल में कम्पनी से सम्बन्धित सारे दस्तावेज ई–फाइल किए जा सकते हैं।

एम.सी.ए.–21 के मुख्य लक्षणों में शामिल हैं।

- निगमों, व्यावसायिकों और सामान्य जनता को अब रजिस्ट्रार के कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं हैं और अपने घर या, कार्यालय से एम सी ए – 21 द्वारा मंत्रालय से सम्पर्क कर सकते हैं। वे सुविधा केन्द्रों पर, जो इस कार्य के लिए खोले गए हैं, पहुंचकर भी यह कार्य कर सकते हैं।
- उपयोगकर्ताओं को भुगतान करने के अनेक विकल्प ''ऑनलाईन'' (Online) उपबल्ध हैं। इस के अतिरिक्त भुगतान का ''डीमांड ड्राफ्ट'' (Demand Draft) द्वारा पुराना तरीका भी स्वीकार किया जाता है जो देश भर में विशेष बैकों की शाखाओं में इस रीति द्वारा चालान रूप मे होता है।
- सेवा निवेदन नम्बर (Service Request Number) (SRN) द्वारा हितधारकों का इस रीति द्वारा सेवा निवेदन खोजने में सहायता मिलती है।

दस्तावेजों को कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में अब भौतिक रूप में फाइल नहीं कर सकते। विधि द्वारा फार्मों और विवरणों की फाइलिंग रजिस्ट्रार आफ कम्पनी के कार्यालय में अब केवल ई–फार्म द्वारा ही होगी।

वर्तमान कम्पनियों के स्थायी दस्तावेज जैसे सीमानियम, अंतर्नियम, चालू भार दस्तावेज इत्यादी कम्पनियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में कागजों मे रखे हुए हैं। ये सारे दस्तावेज अब इलैक्ट्रिक रूप में बदल दिए गए हैं। ई–फाइलिंग की सुविधा केवल रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज कार्यालयों, क्षेत्रीय निदेशकों और नई दिल्ली स्थित मुख्यालय पर उपलब्ध हैं, ये ''शासकीय समापक, अधिकरण और न्यायालय में उपलब्ध नहीं है।

एम सी ए.–21 की वर्तमान क्षेत्र में सेवाएं नई दिल्ली स्थित सचिवालय, चार क्षेत्रीय निदेशकों और 20 कम्पनीयों के रजिस्ट्रारों के कार्यालयों तक ही सीमित है। ई–फाइलिंग सुविधाएं निम्नलिखित हैं :

- नई कम्पनियों का निगमन और पंजीकरण
- बैलेंस शीट और वार्षिक विवरण को फाइल करना
- निदेशकों का ब्यौरा या पता या नाम बदलने के फार्म फाइल करना
- भारों का पंजीकरण और सत्यापन
- दस्तावेजों का निरीक्षण
- एम. सी. ए. द्वारा विभिन्न सेवाओं को प्राप्त करने के आवेदन
- निवेशकों की शिकायतों का निपटारा

बेहतर तरीके से समझने के लिए और मानकीकरण के उद्देश्य से ई–फार्म निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है।

क) **नई कम्पनी का पंजीकरण**

ख) **अनुपालन सम्बन्धित फाइलिंगः** – चाहे वार्षिक हो या किसी घटना पर निर्भर हो, इन में शामिल हैं, वार्षिक विवरण, बैलेंसशीट, लाभ–हानि खाता, आबंटन का विवरण, अपनी स्वयं की प्रतिभूतियों के क्रय का विवरण, निक्षेपों का विवरण, प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति का विवरण, अंकेक्षक की नियुक्ति की सूचना तथा लागत अंकेक्षण की रिपोर्ट इत्यादि।

ग) **बदलाव संबंधी सेवाएंः** इस के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के बदलाव जैसे पूंजी की संरचना, पंजीकृत कार्यालय या निदेशकों, सचिवों या अधिकृत प्रतिनिधि जैसे व्यक्तियों की नियुक्ति के बदलाव सम्बंधी मामले आते हैं।

घ) **भार प्रबंध :** – सृजित या संशोधित भार का पंजीकरण करने और भार को पूरा करने के लिए रजिस्ट्रार के पास फाइल करना है। इस में समापक (receiver) की नियुक्ति या हटाने संबंधी ई–फार्म को फाइल करना है तथा समापक द्वारा लेखों का फाइल करना शामिल है।

च) **निवेशकों के लिए सेवाएं :–** निवेशक किसी कम्पनी के बारे में ई–फाइलिंग पद्धति द्वारा शिकायत फाइल कर सकते हैं। इस कार्य के लिए एक विशेष फार्म होता है।

म) **कम्पनी रजिस्ट्रार की अनुमति के लिए निवेदनः** कम्पनी रजिस्ट्रार को यह शक्ति होती है कि वह किसी निजी कम्पनी का नाम बदलने का और सार्वजनिक कम्पनी को निजी कम्पनी में बदलने से सम्बंधित कार्यों के लिए आदेश दे सकता है। इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रार की अनुमति वार्षिक साधारण सभा बुलाने के समय को आगे बढ़ाने, वार्षिक साधारण सभा को पंजीकृत कार्यालय के स्थान पर किसी और स्थान पर बुलाने, किसी कम्पनी को निष्क्रिय घोषित करने, वार्षिक खातों के समय को बढ़ाने कम्पनियों के समामेलन के लिए आवश्यक है। एम.सी.ए ने कई नए ई–फार्म निर्धारित किए हैं जो फार्म पहले निर्धारित नहीं थे।

छ) **सूचनाएं देने वाली सेवाएं :** – इस में वे फार्म होते हैं जो कम्पनी रजिस्ट्रार के पास भरे जाते हैं जिस में सूचनाएं देनी होती हैं जो कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के पालन के लिए आवश्यक हैं जैसे कम्पनी अपने ही शेयरों का क्रय करती है उस समय ''शोधन क्षमता" (declartion of solvency) की घोषणा करना, प्रस्तावों ओर ठहरावों को फाइल करना, वह स्थान जहां लेखा पुस्तकें रखी जाती हैं, जब कम्पनी अपने शेयरों को दूसरी कम्पनी में हस्तांतारण करती है इत्यादि।

ई–फाईलिंग प्रणाली में खोज सुविधाएं उपलब्ध प्रमाणित दस्तावेजों को देखने के लिए खोज सुविधाएं उपलब्ध हैं, प्रमाणित कापी प्राप्त करना, निगमित पहचान संख्या मालूम करना, कम्पनी के नाम की जांच करना, नाम की उपलब्धता पता करना इत्यादि। सार्वजनिक दस्तावेजों की सूची में जो दस्तावेज आते हैं वे हैं निगमन दस्तावेज, भार दस्तावेज, वार्षिक विवरण, बैलेंसशीट निदेशकों का बदलना और दूसरे दस्तावेज।

ई–फाइलिंग प्रक्रिया के पांच कदम

कदम (1) : अपने को पंजीकृत कराएं

कदम (2) : ई– फार्म को डाउन लोड करें

कदम (3) : ई–फार्म को पूरा करें

कदम (4) : ई–फार्म को भेजें

कदम (5) : भुगतान करें

बोध प्रश्न ख

1) किन्हीं तीन दस्तावेजों को सूचीबद्ध कीजिए जिन्हें किसी कम्पनी के निगमन के लिए रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाना आवश्यक होता है।

.....

.....

.....

2) बताइए कि निम्नलिखित कथन **सही** हैं अथवा **गलतः**

i) कम्पनी के सीमानियम उन उद्देश्यों को परिभाषित करते हैं जिनके लिए कम्पनी का गठन किया जाता है।

ii) अन्तर्नियम कम्पनी और तीसरे पक्षकारों के बीच के सम्बन्धों को नियमित करते हैं।

iii) कम्पनी और उसके सदस्यों के बीच सम्बन्ध अन्तर्नियम द्वारा नियमित होते हैं।

iv) निजी कम्पनी के पंजीयन के लिए, रजिस्ट्रार के पास अन्तर्नियम को फाइल करना आवश्यक है।

v) निजी कम्पनी के निदेशकों की सूची के साथ निदेशक के रुप में कार्य करने की उनकी लिखित सहमति भी रजिस्टार के पास फाइल करनी चाहिए।

3) एम सी एम – 21 के मुख्य लक्षण क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

4) ई–फाइलिंग प्रक्रिया के पांच कदम कौन से हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

5) निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं :

क) कम्पनी रजिस्ट्रार के पास एक कम्पनी अपने विवरण फाइल कर सकती हैः

i) ई–फार्म में या भौतिक स्वरूप में कापी की सुपुर्दगी।

ii) केवल निर्धारित ई–फार्म में।

ख) रिकार्ड के फाइल करने की विधि और प्रारूप निर्भर करता हैः

i) कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों पर।

ii) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधानों पर।

4.5 निगमन (Incorporation)

जब रजिस्ट्रार के पास सभी आवश्यक दस्तावेज निर्धारित शुल्क सहित जमा करा दिए जाते हैं, तब वह इन दस्तावेजों की जांच करता है तथा जब वह सन्तुष्ट हो जाता है कि (क) सभी दस्तावेज ठीक हैं, (ख) पंजीयन सम्बन्धी कम्पनी अधिनियम के सभी प्रावधानों का पालन कर दिया गया है, तथा (ग) जिस उद्देश्य के लिए कम्पनी का निर्माण किया जा रहा है वह यदि वैध है तब वह अपने कार्यालय में रखे हुए कम्पनियों के रजिस्टर में कम्पनी का नाम लिख देगा। तत्पश्चात, वह अपने हस्ताक्षर करके एक प्रमाण–पत्र जारी कर देगा जो इस बात का प्रमाण है कि कम्पनी का निगमन हो गया है। इस प्रमाण–पत्र को ही निगमन प्रमाण–पत्र कहते हैं। इस प्रमाण–पत्र में कम्पनी का नाम, इसके जारी करने की तिथि तथा रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर व उसकी मुदा (seal) अंकित होते हैं। निगमन प्रमाण–पत्र वास्तव में कम्पनी के जन्म का प्रमाण–पत्र होता है तथा इसके प्राप्त होने पर कम्पनी शाश्वत अस्तित्व वाली निगमित संस्था बन जाती है जिसकी एक सामान्य मुद्रा हो सकती है। निगमन प्रमाण–पत्र में लिखी तिथि से ही कम्पनी को अस्तित्व में माना जाता है।

यदि रजिस्ट्रार के विचार में किस दस्तावेज में कोई मामूली सी त्रुटि या कमी है, तो वह उसे ठीक करने के लिए कह सकता है, परन्तु यदि उनमें कोई महत्वपूर्ण तथा भारी दोष है तो वह कम्पनी का पंजीयन करने से इन्कार कर सकता है।

निगम पहचान संख्या आबंटन (CIN): धारा 7(3) के अनुसार निगमन प्रमाण पत्र मे उल्लिखित तिथि से ही रजिस्ट्रार कम्पनी को निगम पहचान संख्या (Corporate Identity Number) आबंटित करेगा, जो कम्पनी के लिए एक भिन्न पहचान होगी और जिसे प्रमाण पत्र में भी शामिल किया जाएगा।

4.5.1 निगमन प्रमाण–पत्र का निश्चायक प्रमाण

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा दिया जाने वाले निगमन प्रमाणपत्र निश्चाय्क प्रमाण पत्र नहीं होगा यदि प्रमाण पत्र मिथ्या या गलत जानकारी या कोई सारवान जानकारी छिपाकर प्राप्त किया गया है।

मिथ्या या गलत जानकारी देने / छिपाने का कम्पनी का निगमन करने के परिणाम

आप नोट करें धारा 7 की उपधारा (5), (6) और (7) के अनुसार मिथ्या या गलत जानकारी या कोई महत्वपूर्ण तथ्य या जानकारी छिपाने के लिए छह मास का कारावास जो दस वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है और या जुर्माना कपट की रकम से कम नहीं होगा कितुं वह कपट की रकम से तीन गुना भी हो सकता है।

उपरोक्त दंड के अतिरिक्त यदि अधिकरण को आवेदन किया गया है और यह आश्वस्त होने पर कि स्थिति के अनुसार (क) कम्पनी के प्रबंधन के विनियमन के लिए जिसके अंतर्गत उसके सीमानियम व अन्तर्नियम का परिवर्तन भी है यदि कोई हो, लोकहित और सदस्यों और लेनदारो के हित में ऐसे आदेश पास कर सकता है जो वह ठीक समझता है या (ख) यह आदेश दे सकता है कि सदस्यों का दायित्व असीमित होगा, या (ग) कम्पनियों के रजिस्ट्रर से कम्पनी के नाम को हटाने का आदेश दे सकता है या (घ) कम्पनी के समापन का कोई आदेश पारित कर सकता है या (ड) ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

परन्तु ऐसा आदेश देने से पहलेः

(i) कम्पनी को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा और

(ii) अधिकरण कम्पनी द्वारा किये गए लेन देन पर, जिसके अंतर्गत अनुबन्ध की गई वाध्यताएं यदि कोई है या किसी दायित्व के भुगतान पर भी विचार करेगा।

परन्तु इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना बहुत आवश्यक है कि कम्पनी के सीमानियम में उद्देश्य खंड के अन्तर्गत वर्णित किसी अवैध उद्देश्य को निगमन प्रमाण–पत्र वैध नहीं बना देता है। अतः यदि किसी ऐसी कम्पनी का पंजीकरण कर लिया गया है जिसके उद्देश्य अवैधानिक है, तो निगमित हो जाने पर वे अवैघ उद्देश्य वैध नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में एकमात्र उपाय यही है कि कम्पनी का समापन किया जाए।

4.5.2 पंजीयन के प्रभाव

अभी–अभी आप पढ़ चुके हैं कि रजिस्ट्रार द्वारा किए जाने वाले प्रमाण–पत्र को निमगन प्रमाण–पत्र कहते हैं। यह प्रमाण–पत्र कम्पनी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि कम्पनी का निगमित जीवन प्रमाण–पत्र में दी गयी तारीख से ही आरम्भ हुआ माना जाता है।

कम्पनी के सीमानियम, अन्तर्नियम तथा अन्य प्रस्तावित करार आदि जब रजिस्ट्रार के पास फाइल कर दिए जाते हैं तब रजिस्ट्रार कम्पनी को निगमन प्रमाण–पत्र जारी करता है। इस प्रमाण–पत्र में रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर द्वारा यह प्रमाणित करता है कि कम्पनी का निगमन हो गया। यदि कम्पनी सीमित दायित्व वाली कम्पनी है तो रजिस्ट्रार यह भी प्रमाणित करता है कि यह कम्पनी सीमित कम्पनी है।

निगमन की तारीख से अर्थात् निगमन प्रमाण–पत्र में लिखी हुई तारीख से, कम्पनी का अपने सदस्यों से पृथक् विधिक अस्तित्व हो जाता है। धारा 9 में पंजीयन के प्रभाव का वर्णन इस प्रकार किया गया हैः

धारा 9 कहती है "निगमन प्रमाण–पत्र में उल्लिखित निगमन की तारीख से, सीमानियम के ऐसे अभिदाता और सभी अन्य व्यक्ति, जो समय–समय पर सदस्य बनते हैं सीमानियम में दिए गए नाम की एक निगमित निकाय के सदस्य होंगे, वह कम्पनी सभी कार्यों को करने के लिए समर्थ होगी और उसका शाश्वत् उत्तराधिकार तथा उसके पास मूर्त/अमूर्त, चल व स्थायी (immovableètangible) दोनों प्रकार की सम्पत्ति को रखने की, प्राप्त करने की तथा निपटाने की, तथा अनुबन्ध करने का अधिकार होगा और अपने नाम से वाद ला सकती है और इस पर वाद लाए जा सकते है"।

निगमन के प्रभाव इस प्रकार हैंः

i) निगमन की तारीख से सीमानियम पर हस्ताक्षर करने वाले मूल अभिदाता तथा समय–समय पर कम्पनी के सदस्य बनने वाले अन्य व्यक्ति, सीमानियम में दिए नाम से एक निगमित संस्था बन जाते हैं। यदि आप स्मरण करें तो आप इकाई 1 में पढ़ चुके है कि निगमन के पश्चात् कम्पनी का अपने सदस्यों से पृथक् अस्तित्व हो जाता हैं कम्पनी एक विधिक व्यक्ति बन जाती है। कम्पनी का जीवन निगमन की तारीख से आरभ्भ होता है।

ii) कम्पनी को शाश्वत् उत्तराधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके परिणाम को एक उदाहरण देकर अच्छी तरह से समझा जा सकता है। यदि किसी कम्पनी मे दस सदस्य है और एक रेल दुर्घटना में अचानक उन सभी की मृत्यु हो जाती

है तब भी कम्पनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अन्य शब्दों में, कम्पनी के सदस्य आते–जाते रह सकते हैं परन्तु जब तक कम्पनी का समापन नहीं कर दिया जाता वह निरन्तर चलती रहती है।

iii) कम्पनी स्वयं अपने नाम से मुकदमा दायर कर सकती है तथा उस पर मुकदमा दायर किया जा सकता है।

iv) कम्पनी की देयताएं एवं ऋण कम्पनी के ही होते हैं, उसके शेयरधारियों या सदस्यों के नहीं। फिर भी वे अनुबन्ध के अन्तर्गत अपने दायित्व की सीमा तक या गारन्टी की गई राशि तक कम्पनी के समापन की दशा में ही, कम्पनी को अंशदान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं।

v) कम्पनी को अपनी सम्पत्ति अपने नाम से रखने का अधिकार होता है। कम्पनी की सम्पत्ति शेयरधारियों की सम्पत्ति नहीं होती।

vi) कम्पनी के सीमानियम तथा अन्तर्नियम कम्पनी पर तथा प्रत्येक सदस्य पर बाध्य होते हैं। अन्तर्नियमों को कम्पनी और सदस्यों के बीच एक अनुबन्ध माना जाता है तथा निगमन के पश्चात् ये (क) कम्पनी के प्रति सदस्यों के (ख) सदस्यों के प्रति कम्पनी के तथा (ग) कम्पनी के सदस्यों के परस्पर अधिकारों को नियमित करते हैं।

4.6 व्यवसाय आरम्भ करना

धारा 10(a) के अनुसार एक कम्पनी जिसका निगमन कम्पनी (संशोधन) अधिनियम 2019 के प्रश्चात् हुआ है और जिसकी शेयर पूंजी है वह कोई भी व्यवसाय और उधार लेने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती जब तक क) कम्पनी के निगमन की तिथि के 180 दिन के भीतर निदेशक द्वारा यह घोषणा नहीं फाइल की जाती कि सीमानियम के प्रत्येक अभिदाता द्वारा उन सभी शेयरों का मूल्य चुका दिया गया है जिसकी उन्होने सहमति दी है और ख) निगमित हुई कम्पनी के पंजीकृत कार्यलय का उपधारा (2), धारा (12) के अनुसार रिटर्न फाइल करने से सत्यापन हो गया है

दंड

इस धारा का अनुपालन करने में चूक करने पर कंपनी 50 हजार रुपये के दंड की दायी होगी तथा प्रत्येक अधिकारी जिससे चूक हुई है वह प्रतिदिन एक हजार रुपये के दंड से जब तक चूक रहती है दायी होगा परन्तु यह जुर्माना एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगा। अनुपालन न करने पर कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा कम्पनी का नाम कम्पनी के रजिस्टर से हटाया जा सकता है। पुनः संशोधित धारा 12(a) के अनुसार रजिस्ट्रार के पास यह अधिकार है कि कम्पनी किसी व्यवसाय को अपनी पंजीकृत कार्यालय से कर रही है का भौतिक सत्यापन कर सकता है। यदि यह पाया जाता है कि कम्पनी कोई व्यवसाय नहीं कर रही है तो वह कम्पनी का नाम कम्पनी के रजिस्टर से हटाने की कार्रवाई आरम्भ कर सकता है।

यह शेल कम्पनियों (कागजी कम्पनियों) की संख्या तथा प्रचालन पर नियंत्रण के लिए है।

बोध प्रश्न ग

1) निगमन प्रमाण–पत्र से क्या तात्पर्य है?

.....

.....

.....

.....

2) निगमन के क्या परिणाम होते हैं?

.....

.....

.....

.....

3) बताइए निम्नलिखित कथन **सही** हैं अथवा **गलत** :

i) निगमन प्रमाण–पत्र में लिखी तारीख से कम्पनी अस्तित्व में आ जाती है।

ii) रजिस्ट्रार अपना हस्ताक्षर करके निगमन प्रमाण–पत्र जारी करता है।

iii) केवल सार्वजनिक कम्पनी को निगमन के पश्चात् शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त होता है।

iv) कम्पनी (संशोधन) अधिनियम 2019 के पश्चात् निगमित हुई कम्पनी अपना व्यवसाय, पंजीकरण के पश्चात् तुरंत प्रारभ्भ कर सकती है।

4.7 सारांश

कम्पनी के गठन के तीन चरण हैं – प्रवर्तन, निगमन तथा व्यवसाय आरभ्भ करना। प्रवर्तन की अवस्था में कम्पनी के प्रवर्तक व्यवसाय की परिकल्पना करते है तथा कम्पनी के निर्माण के लिए सभी आवश्यक साधनों को संगठित करते हैं। वे सभी आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी व उनकी छपाई की व्यवस्था करते हैं तथा पंजीयन के लिए निर्धारित फीस के साथ उन्हे रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल करते हैं। इन दस्तावेजों की जांच करके यदि रजिस्ट्रार इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि कम्पनी अधिनियम द्वारा निर्धारित सभी औपचाकिताओं को पूरा कर दिया गया है, तो यह अपना हस्ताक्षर करके कम्पनी को निगमन का प्रमाण–पत्र प्रदान करता है दस्तावेजों का ई–फाईलिंग द्वारा जमा किया जा सकता है। इस तारीख से कम्पनी का निगमित जीवन आरम्भ होता है तथा वह अपना व्यवसाय आरम्भ कर सकती हैं।

26 जुलाई 2006 की कम्पनी कार्य मंत्रालय ने एक बड़ी पहल ई–गवर्नेंस के रूप में की। इसे एम सी ए. – 21 (MCA–21) के नाम से जाना जाता है। एम.सी.ए. 21 से कम्पनी कार्य मंत्रालय ने पुराने कागज पद्धति के स्थान पर ई–गवर्नेंस अपनाया। ई–गवर्नेंस में नागरिकों और व्यापारियों और सरकारी विभागों के बीच सम्पर्क इंटरनेट प्रौद्योगिकी द्वारा सम्भव हुआ है। ई–फाइलिंग में सम्मिलित है नई कम्पनियों का निगमन और रजिस्ट्रीकरण, वार्षिक विवरणी और बैलेंसशीट फाइल करना, निदेशकों का पूरा विवरण या नामों या पता बदलने के फार्म, दस्तावेजों का निरक्षण, मंत्रालय द्वारा देने वाली सेवाओं के लिए आवेदन, निवेशकों की शिकायतों का समाधान इत्यादी।

मानकीकरण और अच्छी प्रकार समझने के लिए ई–फार्मों को कई उचित वर्गों में बांटा गया है।

ई–फाइलिंग रीति में सार्वजनिक दस्तावेज, प्रमाणित कॉपी प्राप्त करना, निगमित पहचान संख्यांक, कम्पनी के नाम की जांच, नाम उपलब्धी पता करना, को देखने की सुविधा है।

कम्पनी जिसका गठन कम्पनी (संशोधन) अधिनियम 2019 के बाद हुआ है और जिसकी शेयर पूंजी है वह अपना व्यवसाय और उधार लेने की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती जब तक वह एक लिखित घोषणा कम्पनी के निदेशक द्वारा जमा नहीं की जाती और रिटर्न फाइल किया जाता है कि ऑफिस का सत्यापन हो गया है।

4.8 शब्दावली

निश्चायक (Conclusive): अन्तिम, जिसके लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती।

ऋणपत्र (Debenture): ऐसा दस्तावेज या प्रमाण–पत्र जिस पर कम्पनी के अधिकारी हस्ताक्षर करके ऋण का प्रमाण–पत्र देते है तथा ब्याज सहित उसे वापस लौटाने की गारंटी देते है।

निगमित (Incorported): निगमित निकाय के रूप में निर्मित, जो एक व्यक्ति की तरह कार्य करने का हकदार होती है।

आपस में (Inter se): एक–दूसरे के बीच या परस्पर।

प्रवर्तक (Promoter) : जो कम्पनी के निर्माण का कार्य करता है।

सांविधिक घोषणा (Statutory Declaration): किसी लिखित कानून के विषयों को पालन करने की घोषणा।

एम. सी. ए.–21: 26 जुलाई 2006 को कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा ई–गवर्नेंस के बारे में पहल को उस MCA–21 कहते हैं। इस के द्वारा एम सी ए. के पोर्टल पर कम्पनियों के दस्तावेज ई–फाइल किए जा सकते हैं।

4.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

क 1) इस प्रश्न के उत्तर के लिए इस इकाई का 4.2 देखिए।

2) i) तीन ii) निगमन iii) व्यवसाय के विचार की खोज iv) वैध v) असीमित vi) केन्द्र सरकार, अवांछनीय vii) अन्तर्नियम viii) अभिदाता या प्रवर्तक, हस्ताक्षर ix) गवाह

ख 1) इस इकाई का 4.4 देखिए

2) i) सही ii) गलत iii) सही iv) सही v) सही

5) क (ii) ख (i)

ग 3 i) सही ii) सही iii) गलत iv) गलत

4.10 स्वपरख प्रश्न/अभ्यास

1) कम्पनी के निर्माण के विभिन्न चरण क्या हैं ? वर्णन कीजिए।

2) कम्पनी के पंजीयन के लिए रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाने वाले दस्तावेजों को सूचीबद्ध कीजिए।

3) कम्पनी के 'निगमन' से आप क्या समझते है? कम्पनी के पंजीयन के क्या प्रभाव होते है?

4) "निगमन का प्रमाण–पत्र इस बात का निश्चायक प्रमाण है कि कम्पनी अधिनियम द्वारा निर्धारित कम्पनी के निर्माण सम्बन्धी सभी आवश्यकताएं पूरी कर ली गई है" स्पष्ट कीजिए।

5) तमिलनाडू राज्य में लाटरी का व्यवसाय चलाने के उद्देश्य से एक निजी कम्पनी का निगमन किया गया। कम्पनी के कार्य को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि लाटरी चलाना गैरकानूनी है। कम्पनी का यह तर्क था कि जब एक बार कम्पनी का निगमन हो गया तो कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृत्ति के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता तथा निगमन प्रमाण–पत्र निश्चायक होता है।

संकेतः अपने ऊपर 4.5 में पढ़ा है कि निगमन प्रमाण–पत्र, सीमानियम के उद्देश्य खण्ड में वर्णित कम्पनी के उद्देश्य की वैधता के सम्बन्ध में निश्चायक नहीं हो, तो तथा अवैध उद्देश्य इसके वैध नहीं हो जाते। अतः कम्पनी को लाटरी का व्यवसाय करने से रोका जा सकता है।

6) ई–फाइलिंग के क्या लाभ हैं ?

7) एम.सी.ए. 21 की विशेषताओं का विवेचन कीजिए।

नोट : इन प्रश्नों में आपको इस इकाई को और अच्छी तरह से समझने में सहायता मिलेगी। उनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। लेकिन अपने उत्तर विश्वविद्यालय को मत भेजिए। ये सिर्फ आपके अपने अभ्यास के लिए दिए गए है।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 5 कम्पनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्राधिकरण

इकाई की रूपरेखा

5.0 उद्देश्य

5.1 प्रस्तावना

5.2 राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण

- 5.2.1 योग्यताएं
- 5.2.2 चयन
- 5.2.3 कार्यकाल
- 5.2.4 अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और निष्कासन
- 5.2.5 क्षेत्राधिकार
- 5.2.6 विविध प्रावधान
- 5.2.7 राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण की शक्तियां
- 5.2.8 अपील अधिकरण को अपील

5.3 राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण

- 5.3.1 योग्यताएं
- 5.3.2 चयन
- 5.3.3 कार्यकाल
- 5.3.4 सदस्यों का त्यागपत्र या निष्कासान
- 5.3.5 सर्वोच्च न्यायालय में अपील
- 5.3.6 मध्यस्थता और सुलह पैनेल
- 5.3.7 राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण की शक्तियां

5.4 विशेष न्यायालय

- 5.4.1 क्षेत्राधिकार
- 5.4.2 अपील और संशोधन
- 5.4.3 जुर्माना
- 5.4.4 संज्ञान

5.5 अन्य प्राधिकारी / प्राधिकरण

- 5.5.1 रजिस्ट्रार
- 5.5.2 क्षेत्रीय निदेशक
- 5.5.3 राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
- 5.5.4 गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय

5.6 सारांश

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

5.7 शब्दावली

5.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

5.9 स्वप्ररख प्रश्न

5.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप इस योग्य हो सकेंगे कि:

- राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीन अधिकरण के गठन का वर्णन कर सकें;
- राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण और राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण के सदस्यों की योग्यता, चयन और कार्यकाल की गणना कर सकें;
- विशेष न्यायालयों की व्याख्या कर सकें;
- कम्पनी रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण तथा गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय की चर्चा कर सकें।

5.1 प्रस्तावना

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत तीन मुख्य प्राधिकरण हैं। ये है:

1) नेशनल कम्पनी विधि अधिकरण (National Company Law Tribunal)

2) नेशनल कम्पनी विधि अपील अधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal) और

3) विशेष न्यायालय (Special Courts)

अधिनियम के अन्तर्गत अन्य प्राधिकरण/प्राधिकारी भी हैं; ये हैं कम्पनी रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण तथा गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय। NCLT and NCLAT कम्पनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्थापित किए गए थे। विशेष न्यायालय कम्पनी अधिनियम 2013 में आरम्भ किए गए थे। इसका उद्देश्य भारतीय कम्पनियों के विवादों के मामलों के निर्णय के लिए एक न्यायालय मंच प्रदान करना है, आपराधिक अभियोगों को छोड़कर। इस इकाई में आप NCLT, NCLAT, विशेष न्यायालयों तथा अन्य प्राधिकरण/प्राधिकारियों जैसे कि रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय वित्तीय रिर्पोर्टिंग प्राधिकरण तथा गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के बारे में पढ़ेगें।

5.2 राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल) एक अर्धन्यायिक निकाय है जो भारतीय कम्पनियों से संबंधित मुद्दों का निर्णय करता है। यह कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्थापित और भारत सरकार द्वारा 01 जून 2016 को गठित किया गया था। कम्पनी अधिनियम के तहत सभी विवाद जैसे मध्यस्थता, समझौता, व्यवस्था, पुनर्निमाण और समापन का निपटान नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) द्वारा किया जाता है।

NCLT (ट्रिब्यूनल) में एक अध्यक्ष, और दो प्रकार के सदस्य होते हैं क) न्यायिक सदस्य ख) तकनीकी सदस्य, तथा उनकी की ऐसी संख्या जैसा केन्द्र सरकार आवश्यक समझे।

(यहां ट्रिब्यूनल व अधिकरण का अर्थ राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण से है।)

5.2.1 योग्यताएं

अधिकरण के अध्यक्ष और न्यायिक व तकनीकी सदस्यों की योग्यता इस प्रकार है:

धारा 409 अध्यक्ष और न्यायिक व तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करती है।

A **अध्यक्ष:** अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो पांच वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का न्यायधीश हो या रहा हो।

B **न्यायिक सदस्य**

एक न्यायिक सदस्य योग्य नहीं है जब तक कि वह नहीं है:

i) उच्च न्यायालय का न्यायधीश है या रहा है; या

ii) कम से कम पांच वर्षों के लिए जिला न्यायधीश है या रहा है; या

iii) कम से कम दस वर्षों तक एक न्यायलय के वकील रहा है। वह अवधि, जिसके दौरान कोई भी व्यक्ति किसी न्यायिक पद पर या ट्रिब्यूनल का सदस्य या संघीय या राज्य के अंतर्गत ऐसे पद पर रहा है जिसमें कानून के ज्ञान की आवश्यकता हो, जिसके बाद वह ऐडवोकेट बना रहा है, गिनी जाएगी।

ब) तकनीकी सदस्य

i) भारतीय कॉरपोरेट लॉ सर्विस या भारतीय कानूनी सेवा के पन्द्रह वर्ष से सदस्य के रूप में होना चाहिए और भारतीय सरकार में सचिव या सचिव के पद पर रहा है या उस पद से ऊपर; या

ii) कम से कम पंद्रह वर्षों से चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत है; या

iii) वह सिद्ध क्षमता, अंखडता और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति है;

जिसे कानून, औद्योगिक, वित्तीय, औद्योगिक प्रबंधन या प्रशासन, औद्योगिक पुनर्निमाण निवेश और लेखा में पंद्रह वर्ष से कम अनुभव नहीं होना चाहिए; या

iv) वह कम से कम पांच वर्षों के लिए, एक श्रम न्यायलय या ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल जिसका गठन औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत हुआ हो, उसका पीठासीन अधिकारी है, या रहा है।

5.2.2 चयन (धारा 412)

अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जाएगी।

ट्रिब्यूनल के सदस्यों को चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा। चयन समिति में होंगे:

(क) भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित – अध्यक्ष

(ख) सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ न्यायाधीश या
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश – सदस्य

(ग) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव – सदस्य

(घ) कानून और न्याय मंत्रालय में सचिव – सदस्य

समिति उपधारा (2) के तहत व्यक्तियों की सिफारिश करने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगी। चयन समिति के गठन में कोई भी रिक्तता या दोष किसी भी नियुक्ति को अमान्य नहीं करेगी। यदि किसी चयन समिति बैठक में किसी मामले पर वोटों की समानता है तब चयरमैन के पास निर्णायक मत होगा।

5.2.3 कार्यकाल

ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य का नियुक्ति की तिथि से पांच वर्ष के लिए कार्यकाल होगा और वह अगले पांच वर्ष के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए दोबारा नियुक्त किया जा सकता है।

ट्रिब्यूनल का सदस्य तब तक पद पर रहेगा जब तक वह पूरी नहीं कर लेताः

अध्यक्ष की स्थिति में, 67 वर्ष की आयु और किसी अन्य सदस्य की स्थिति में 65 वर्ष की आयु और पचास वर्ष की आयु नहीं होने पर सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

5.2.4 अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और निष्कासन

अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केंद्र सरकार को संबोधित लिखित में, अपने हस्ताक्षर के साथ नोटिस देकर या जब तक विधिवत उसके उत्तराधिकारी के रूप में कोई अन्य नियुक्त नहीं किया जाता है, और वह अपने कार्यालय में पद ग्रहण नहीं कर लेता है या जब तक कि उसका कार्यलय समाप्त नहीं हो जाता है, इनमे से जो भी पहले हो, त्यागपत्र दे सकता है।

धारा 417 के अनुसार, केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकती हैः

(a) जो दिवालिया घोषित कर दिया गया है; या

(b) जिसने अपने पद का दुरुपयोग किया है सार्वजनिक हित के लिए कार्यालय में अपनी निरंतरता प्रदान करने के लिए; या

(c) ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया है; या

(d) जिसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित का अधिग्रहण किया है जो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उनके कार्यों को संभावित प्रभावित करे; या

(e) जिसे एक अपराध का दोषी ठहराया गया है, जिसमें केन्द्र सरकार की राय में क्रूरता शामिल है।

(b) से (e) के आधार पर पद से हटाने से पहले अध्यक्ष या सदस्य को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

5.2.5 क्षेत्राधिकार

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत ट्रिब्यूनल का अधिकार क्षेत्र के मामलों में शामिल हैः –

(1) अंतर्नियमों का परिवर्तन (धारा 14)

(2) शेयरधारक अधिकारों का रद्दकरण / परिवर्तन (धारा 48)

(3) पूर्वाधिकारों शेयरों का मोचन (धारा 54)

(4) शेयरों का हस्तांतरण और अंतरण (धारा 56)

(5) सदस्यों के रजिस्टर का सुधार (धारा 59)

(6) शेयर पूंजी में कमी (धारा 66)

(7) डिबेंचर ट्रस्टी की याचिका (धारा 71)

(8) सार्वजनिक जमा (धारा 73)

(9) जमा की अदायगी (धारा 74)

(10) वार्षिक आम सभा या सदस्यों की बैठक बुलाने की शक्ति (धारा 97, 98)

(11) निदेशक की अयोग्यता (धारा 164)

(12) जाँच के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा (धारा 218)

(13) लेनदारों के साथ समझौता या व्यवस्था (धारा 230, 231)

(14) विलय या समामेलन (धारा 232)

(15) उत्पीड़न और कुप्रबंधन (धारा 241)

(16) कंपनी के रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाना

(17) बीमार कंपनी का पुनर्जीवन और पुनर्वास

(18) समापन (धारा 271)

(19) धोखाधड़ी करने योग्य (धारा 238)

(20) कंपनी लिक्विडेटर द्वारा शेड्यूल बैंक में जमा धन (धारा 350)

5.2.6 विविध प्रावधान

1. ट्रिब्यूनल के एक आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण (NCLAT) को अपील कर सकता है। (धारा 421)।
2. केंद्र सरकार ट्रिब्यूनल की बेंच की संख्या निर्दिष्ट कर सकती है। प्रधान पीठ नई दिल्ली में होगी (धारा 419)।
3. ट्रिब्यूनल द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा (धारा 424)।
4. अध्यक्ष और सदस्यों को सद्भाव में की गई कार्रवाई से बचाया जाएगा (धारा 428)।
5. ट्रिब्यूनल के गठन में रिक्ति या दोष कार्यों या कार्यवाही को अमान्य नहीं करेगा (धारा 431)।
6. ट्रिब्यूनल रूग्ण कंपनी या समापन से संबंधित कार्यवाही में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर की सहायता ले सकता है या सभी संपत्ति, लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेज सरक्षण में या नियंत्रण में ले सकता है। (धारा 429) A।

5.2.7 राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण की शक्तियां

ट्रिब्यूनल की शक्तियां इस प्रकार है

क) **दीवानी न्यायालय के रूप में शक्तिः** अधिकरण निम्नलिखित मामलों पर सिविल प्रक्रिया 1908 की संहिता के अंतर्गत दीवानी न्यायालय के समान शक्तियों का उपयोग करेगा।

i) किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को लागू करने और शपथ पर उसकी जांच करना;

ii) दस्तावेजों की खोज व उनको प्रस्तुत करना;

iii) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

iv) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 की धारा 123 और 124 के प्रावधान के अधीन, किसी भी सार्वजनिक रिकार्ड दस्तावेज या ऐसे रिकार्ड या दस्तावेज की प्रतिलिपि किसी भी कार्यालय से प्राप्त करना;

v) गवाह या दस्तावेज की जांच के लिए कमीशन जारी करना;

vi) चूक के लिए या पक्षपाती रिप्रेजेन्टेशन को खारिज करना;

vii) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जा सकता है (धारा 424(2)।

ख) **आदेश का निष्पादनः** अधिकरण द्वारा किया गया आदेश उसी तरह लागू किया जा सकता है जैसा कि एक न्यायालय द्वारा एक वाद में की गई डिक्री।

ग) **अवमानना के लिए दंडित करने की शक्तिः** अधिकरण को अवमानना के लिए दंडित करने की वही शक्तियां और व अधिकार होंगे जो उच्च न्यायलय को कोर्ट की अवमानना अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अंतर्गत होती है (धारा 425)।

घ) **मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आदि की सहायता लेने की शक्तिः** किसी कंपनी के समापन होने पर या किसी बिमार कम्पनी के पुर्नवास से संबंधित किसी भी कार्यवाही में, अधिकरण मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि की सहायता संपत्ति खाते की किताब या अन्य दस्तावेज हिरासत में लेने के उद्देश्य से ले सकता है।

5.2.8 अपील अधिकरण को अपील

अधिकरण (tribunal) के आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति, उस तिथि से पैंतालिस दिनों के भीतर, जिस दिन आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गयी थी, राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण को अपील कर सकता है। यदि व्यक्ति को पर्याप्त कारणों से पैंतालिस दिनों के भीतर अपील दायर करने में रोका गया हो तब राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण अवधि को और पैंतालिस दिनों तक बढ़ा सकता है। पक्षकारों को सुनने का उचित अवसर देने के बाद टिब्यूनल के उस आदेश की जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, अपील अधिकरण आदेश द्वारा, आदेश की पुष्टि संशोधित या रद्द कर सकता है।

आदेश की एक प्रति ट्रिब्यूनल और संबंधित पक्षों को भेजी जायेगी। यदि आदेश, पक्षों की सहमति से, टिब्यूनल द्वारा दिया गया हो तथा अपील अधिकरण (NCLAT) को अपील करना संभव नहीं होगा।

5.3 राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण

अधिकरण का प्राथमिक न्यायिक क्षेत्र है जबकि अपील अधिकरण का एक अपील न्यायिक क्षेत्र है। यह एक उच्च मंच है। यह कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के अंतर्गत स्थापित हुआ तथा 1 जून, 2016 से गठित हुआ।

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण (NCLAT) राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करता है। इसमें एक सभापती (Chairperson) और दो प्रकार के सदस्य क) न्यायिक सदस्य और ख) तकनीकी सदस्य होते हैं। दोनों प्रकार कें सदस्यों की संख्या ग्यारह से

अधिक नहीं होनी चाहिए, जैसा केन्द्रीय सरकार उचित समझें, तथा केन्द्र सरकार की अधिसूचना द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

5.3.1 योग्यताएं

सभापती और सदस्यों की योग्यताएं इस प्रकार हैं:

सभापति वह व्यक्ति होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायधीश हो या उच्च न्यायालय का मुख्यधीश हो। **न्यायिक सदस्य** वह व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायधीश है या पाँच वर्ष से राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण का न्यायिक सदस्य है। **तकनीकी सदस्य** साबित क्षमता, अंखडता और कानून, औद्योगिक वित्त औद्योगिक प्रबंधन, औद्योगिक पुनर्निर्माण, निवेश और लेखा, श्रम मामलों या प्रबन्धन, मामलों का संचालन, पुर्नरूद्धार, पुर्नवास और कम्पनियों के समापन विषयों और कम्पनियों के समापन विषयों से संबंधित अनुभव व विशेष ज्ञान वाला होगा।

5.3.2 चयन

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण के सभापति और अन्य सदस्यों का चयन राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण की भांति होगा (धारा 5.2.2)।

5.3.3 कार्यकाल

सभापति या सदस्य पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद ग्रहण करेगा और अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया जा सकता है सभापति सत्तर वर्ष की आयु तक पद ग्रहण करेगा व सदस्य सड़सठ वर्ष की आयु तक पद पर रह सकेगा। पचास वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को सदस्य नियुक्त नहीं किया जायेगा।

5.3.4 सदस्यों का त्यागपत्र या निष्कासन

सभापति और सदस्यों को निष्कासन या त्यागपत्र राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के समान होगा।

5.3.5 सर्वोच्च न्यायालय में अपील

अपील अधिकरण (NCLAT) के आदेश के विरुद्ध पीड़ित व्यक्ति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है। एनसीएलएटी के आदेश के विरुद्ध पीड़ित व्यक्ति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में साठ दिनों के भीतर अपील दायर की जानी चाहिए। यदि व्यक्ति को समय के भीतर फाइल करने के लिए पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो यह एक और साठ दिनों तक विस्तारित हो सकता है।

ट्रिब्यूनल और अपील ट्रिब्यूनल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित किया जाएगा और इसलिए उनको अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति है। वे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निर्धारित प्रक्रिया से बंधे नहीं होंगे। हालांकि, इस प्रक्रिया को पूरा करते समय वे इस अधीनियम के अन्य प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों पर विचार करेंगे। अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष किसी भी कार्यवाही या अपील के पास, या तो स्वयं या एक से विधिवत अधिकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव या कॉस्ट अकाउंटेंट या कानूनी प्रैक्टिशनर या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से ट्रिब्यूनल या अपील ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश होने का अधिकार है।

5.3.6 मध्यस्थता और सुलह पैनल (धारा 442)

केन्द्र सरकार विशेषज्ञों का मध्यस्थता और सुलह पैनल निर्धारित योग्यता तथा वह संख्या जैसा कि तय की जाए, बनाती है। यह पैनल केन्द्र सरकार या ट्रिब्यूनल या अपील ट्रिब्यूनल के समक्ष किसी भी लम्बित कार्यवाही के दौरान पक्षों के बीच मध्यस्थता करता है। केन्द्र सरकार या ट्रिब्यूनल या अपील ट्रिब्यूनल किसी भी

कार्यवाही को स्वयंप्रेरणा से पैनल के सदस्यों को सौंप सकती है। और पैनेल अपनी सिफारिशें, केन्द्र सरकार, ट्रिब्यूनल या अपील ट्रिब्यूनल को आगे बढ़ा सकते है जैसा केन्द्रीय सरकार, या ट्रिब्यूनल या अपील ट्रिब्यूनल, जैसी भी स्थिति हो, उचित समझे। इसकी सिफारिशों के विरूद्ध भी पक्ष सरकार, ट्रिब्यूनल या अपील ट्रिब्यूनल को अपनी आपत्ति दर्ज करा सकती है।

5.3.7 राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण की शक्तियां

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण की शक्तियाँ राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के समान है जैसा 5.2.7 में दिया गया है।

बोध प्रश्न क

1) राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के अध्यक्ष और न्यायिक सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए?

.....
.....
.....
.....

2) राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण के तकनीकी सदस्यों की योग्यता क्या है ?

.....
.....
.....
.....

3) राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के किन्हीं पांच अधिकार क्षेत्र के मामलों की सूची बनाइए।

.....
.....
.....
.....

4) रिक्त स्थान भरें

i) राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण में अध्यक्ष .....और ..... होते हैं।

ii) राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के अध्यक्ष को ..... परामर्श से नियुक्त किया जाता है।

iii) राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल..... वर्ष है।

iv) राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण का .....सर्वेच्च न्यायालय का न्यायधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायधीश होना चाहिए।

V) राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील विधि अधिकरण के सभापति कार्यालय .... आयु तक पद धारण करेगा।

5.4 विशेष न्यायालय

केन्द्र सरकार, अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के त्वरित परीक्षण के लिए अधिसूचना द्वारा विशेष न्यायालयों की स्थापना या नामित कर सकती है। विशेष न्यायालयों में शामिल होंगेः–

i) एक न्यायधीश, तथा एक सत्र न्यायधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायलय के पद पर

कार्यरत कम्पनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत दो वर्ष या अधिक के कारावास के साथ दंडनीय मामलों में।

ii) अन्य अपराधों के मामले में प्रथम श्रेणी के एक मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट (धारा 435))।

उन्हें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश की सहमति से नियुक्त किया जाएगा।

5.4.1 क्षेत्राधिकार

1) विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कम्पनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत दो वर्ष या अधिक के कारावास के सभी अपराध होंगे।

2) अन्य सभी अपराधों की कानूनी जांच की जाएगी, जैसा भी मामला हो, मेट्रापॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अधिनियम के या किसी पूर्व अधिनियम के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत।

3) विशेष न्यायालय किसी भी प्रकार के अपराध के सारांश परीक्षण का प्रयास करती है, जो तीन वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय नहीं है। यद्यपि सारांश परीक्षण में कारावास की सजा एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि सारांश परीक्षण के दौरान, विशेष न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि कारावास का दंड एक वर्ष से अधिक हो सकता है या मामले को संक्षेप में जांच करना आवंछनीय है, यह मामले की सुनाई के लिए नियमित कानूनी जांच की प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ सकती है।

5.4.2 अपील और संशोधन

उच्च न्यायालय विशेष न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील या संशोधन पर कार्यवाई कर सकती है।

5.4.3 जुर्माना

जुर्माने की राशि, आंशिक या पूर्ण रूप से लगायी जाएगी कार्यवाही की लागतों के भुगतान या सूचना देने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत करने में या उसकी ओर।

5.4.4 संज्ञान

न्यायालय, किसी कम्पनी या अधिकारी के विरुद्ध किसी भी अपराध का संज्ञान रजिस्ट्रार या सदस्य या एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा केवल लिखित शिकायत द्वारा लेगा।

अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध गैर संज्ञेय होंगे केवल गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा मामलों को छोड़कर। विशेष न्यायालय द्वारा या सेशन कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति को उचित कारण बिना अभियुक्त किए जाने पर मुआवजा दिया जाएगा।

5.5 अन्य प्राधिकारी / प्राधिकरण

कुछ प्राधिकरणों के विषय में अभी आपको बताया गया है उसके अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य प्राधिकरण हैं जो कम्पनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कम्पनियों का अवलोकन या विनियमन करते हैं। यह हैं :

1 कम्पनी रजिस्ट्रार

2 क्षेत्रीय निदेशक

3 राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

4 गंभीर धोखाघड़ी जांच कार्यालय

5.5.1 रजिस्ट्रार

रजिस्ट्रार का अर्थ रजिस्ट्रार या एक अतिरिक्त, एक संयुक्त और एक डिप्टी या एक असिंटेंट रजिस्ट्रार से है जिसका कम्पनियों को पंजीकृत करने और अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न कार्यों का निर्वहन करने का कर्त्तव्य होता है धारा 2(75)

कम्पनी रजिस्ट्रार फील्ड अधिकारी होते हैं जो अपने अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत कम्पनियों से/या जो कम्पनियां पंजीकृत होने का आशय रखती हैं सीधे व्यवहार करते हैं। प्रत्येक राज्य के लिए एक कम्पनी रजिस्ट्रार होता है। वह केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त पूर्ण कालिक अधिकारी है और उस राज्य में कम्पनी कानून के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।

अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुछ शक्तियां कम्पनी रजिस्ट्रार में निहित होती हैं। कम्पनियों द्वारा जब दस्तावेज पंजीकरण, रिकार्ड या जमा कराने के लिए फाइल किए जाते है उसके पश्चात् रजिस्ट्रार के कुछ कर्तव्य होते हैं। उसे उन दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए। दस्तावेजों के जमा करने के 30 दिन भीतर उसे निर्णय लेना चाहिए। दस्तावेजों किसी दृष्टि से दोषपूर्ण या अधूरे होने की स्थिति में उसे उन दस्तावेजों का सही करने के लिए निर्देश देने चाहिए।

5.5.2 क्षेत्रीय निदेशक

उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को कवर करते हुए अहमदाबाद, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, शिलांग और हैदराबाद, में क्षेत्रीय निदेशकों के सात निदेशालय है। कारपोरेट मामलों में मंत्रालय को अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को करने के लिए क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त करने का अधिकार है। विभिन्न कार्यों के अंतर्गत केन्द्र सरकार की शक्तियां और कार्यों को धारा 458 के अनुसार क्षेत्रीय निदेशकों को सौंप दिया गया है। क्षेत्रीय निदेशक केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियां और कार्यों का विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रयोग करते हैं।

5.5.3 राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

केन्द्रीय सरकार एक राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन अधिसूचना द्वारा कर सकती है।

यह लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों से संबंधित विभिन्न मामलों के उद्देश्य के लिए एक सर्वोच्च निकाय है। यह लेखांकन मानकों के निर्माण, निगरानी और प्रर्वतन से सबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी होगा।

क) कंपनियों या कंपनियों के वर्ग या उनके अंकेक्षकों द्वारा अपनायी जाने वाली लेखांकन और संपरीक्षा नीतियों और मानकों को निश्चित या अधिकथित करने में केन्द्रित सरकार को सिफारिश करना;

ख) लेखांकन और अंकेक्षण मानकों के अनुपालन को ऐसी रीति में मानिटर करना और लागू करना जैसा निर्धारित किया जाए;

ग) ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने से संबद्ध पेशेवरों (Professional) की सेवाओं की गुणवत्ता का निरीक्षण करना और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए अपेक्षित उपायों और ऐसे अन्य संबंधित विषयों का जो निर्धारित किए जाएं सुझाव देना; और

घ) क से ग तक संबंधित ऐसे अन्य कार्यों का पालन करना जो निर्धारित किए जाएं।

यह एक सिविल कोर्ट की शक्तियों के साथ निहित है। यह किसी भी निगमित निकाय, व्यक्ति या पेशेवरों का किसी अन्य सदस्य या चार्टर्ड अकांउटेंट की फर्म द्वारा या

किसी अन्य सदस्य या चार्टर्ड अकांउटेंट की फर्म द्वारा दुराचार को स्वयं या केंन्द्र सरकार के निर्देश द्वारा जांच पड़ताल कर सकता है। (धारा 132)

5.5.4 गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय

गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 211 और 212 के अंतर्गत गठित किया गया। यह एक बहुविषयक संगठन है जिससे वित्तीय क्षेत्र, पूंजी बाजार, लेखाविधि, फोरेंसिक, अंकेक्षण, कराधान, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी, कंपनी विधि, कस्टम तथा जाँच से विशेषज्ञ होते हैं।

इस कार्यालय को किसी कम्पनी से संबंधित धोखाधड़ी की जांच करने का अधिकार है। जब केन्द्र सरकार की राय में किसी गंभीर धोखाधड़ी द्वारा किसी कंपनी के मामलों की जांच करना आवश्यक है तब वह इसे जांच सौंप सकती है। केन्द्र सरकार निम्नलिखित परिस्थितियों में इस कार्यालय को यह कार्य दे सकती है।

i) रजिस्ट्रार द्वारा या एक निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर;

ii) कपंनी द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव की सूचना पर कि उसके मामलों की जांच आवश्यक है;

iii) जनहित में;

iv) केन्द्र या राज्य सरकार के किसी भी विभाग के अनुरोध पर।

इसका एक विशेष अधिकार क्षेत्र है और एक बार गंभीर धोखाधड़ी को मामला सौपें जाने के बाद कोई अन्य एजेंसी जांच आरम्भ नहीं करेगी या आगे बढ़ेगी। इसे धोखाधड़ी में शामिल किसी भी व्यक्ति से जानकारी या स्पष्टीकरण लेने और गिरफ्तार करने को अधिकार है।

बोध प्रश्न ख

1) विशेष न्यायालय क्या हैं ?

.....

.....

.....

.....

2) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण क्या है ?

.....

.....

.....

.....

3) गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

4) रिक्त स्थान भरें

i) केन्द्र सरकार एक विशेषज्ञों का पैनल रखती है। उसे कहा जाता है .....

ii) .....के रूप में एक एकल न्यायधीश का पद विशेष न्यायालयों में नियुक्त किया जा सकता है।

iii) .....क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय है।

iv) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण.....मानकों के लिए उत्तरदायी है।

5.6 सारांश

कम्पनी अधिनियम 2013 ने कुछ प्राधिकरण कम्पनियों का सिहांविलोकन और उन्हे विनियमित करने के लिए निर्दिष्ट किए हैं। यह है : राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण और विशेष न्यायालय। दोनों में एक अध्यक्ष या सभापति और न्यायिक व तकनीकी सदस्य होते हैं। दोनों की चयन समिति एक प्रकार की होती है। अध्यक्ष /सभापति की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायधीश से परामर्श द्वारा की जाती है। ट्रिब्यूनल के सदस्य चयन समिति की सिफारिशों द्वारा नियुक्त किए जाते है। केन्द्र सरकार अपराधों के त्वरित परिक्षण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। इन प्राधिकरणों के अतिरिक्त अन्य प्राधिकरण/प्राधिकारी भी हैं। यह है, रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय।

5.7 शब्दावली

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण : यह एक क्वासी न्यायिक निकाय है जो भारतीय कम्पनियों से संबंधित मुद्दों का निर्णय करता है।

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण : यह राष्ट्रीय कम्पनी विधि की तुलना में एक उच्च मंच है। जो आमतौर पर उसके निर्णयो की समीक्षा करता है।

विशेष न्यायालयः यह केन्द्र सरकार द्वारा शीघ्र ट्रायल के लिए स्थापित किए जाते हैं।

5.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

क) i) न्यायिक व तकनीकी सदस्य

ii) भारत के मुख्य न्यायधीश

iii) पांच वर्ष

iv) अध्यक्ष, 70 वर्ष

ख) 1) मध्यस्थता और सुलह पैनल

2) सत्र न्यायधीश

3) छह

4) लेखा व लेखा परीक्षा

5.9 स्वप्ररख प्रश्न

1) नेशनल कम्पनी विधि अधिकरण की शक्तियों का वर्णन कीजिए। इसके क्षेत्राधिकार क्या हैं ?

2) विशेष न्यायालय क्या हैं ? वर्णन कीजिए

3) नेशनल कम्पनी विधि अपील अधिकरण के बारे में विस्तृत से चर्चा कीजिए।

4) कम्पनियों के रजिस्ट्रार पर टिप्पणी लिखिए।

नोट : इन प्रश्नों में आपको इस इकाई को और अच्छी तरह से समझने में सहायता मिलेगी। उनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। लेकिन अपने उत्तर विश्वविद्यालय को मत भेजिए। ये सिर्फ आपके अपने अभ्यास के लिए दिए गए